खण्ड-348, अंक-10
शुक्रवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(20 फरवरी, 1981 ई0)

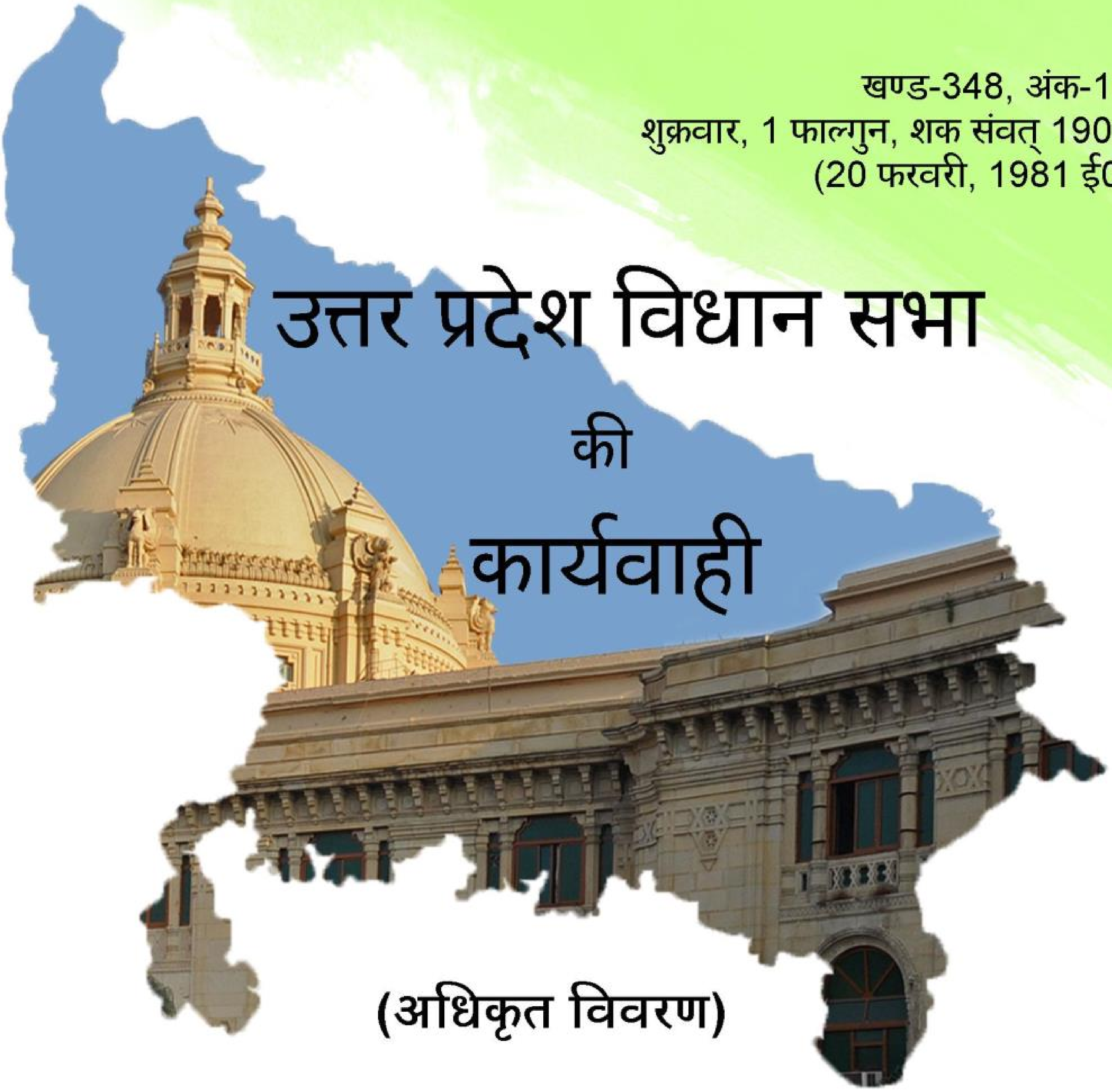

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1321–1325
प्रश्नोत्तर	1327–1379
भूतपूर्व सदस्य, डाक्टर जगमोहन वर्मा के निधन पर शोकोद्गार ..	1379–1380
बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने के नायब दरोगा कुंवर वीरेन्द्र सिंह द्वारा बस्ती साप्ताहिक पत्र के सम्पादक, श्री उपेन्द्र नारायण को पीटे जाने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1381
बिजली कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल से विद्युत् आपूर्ति के प्रभावित होने तथा जनजीवन त्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1381–1382
महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर के मिल गेट पर अनशन कर रहे श्री केदार की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1382–1383
सुल्तानपुर के उप पुलिस अधीक्षक, श्री जे0 एस0 राना द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता, श्री भानु प्रताप सिंह गौड़ की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1383–1384
मुरादाबाद जिले में जनगणना कर रहे कर्मचारियों द्वारा मातृ भाषा के कालम में उर्दू का उल्लेख न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1384–1385
नेता सदन के सम्बन्ध में सदन में उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में महाधिवक्ता द्वारा सदन की कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	1385
उत्तर प्रदेश पथ–कर विनियमन उद्ग्रहण और संग्रह नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी।) ..	1385–1386
श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	1386
12 जून, 1979 को वायरलेस जीप ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा विधान सभा के कर्मचारी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ..	1386
औचित्य के प्रश्न	1386–1387
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1387–1393
1981–82 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा ..	1393–1441
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1441–1442

विषय	पृष्ठ संख्या
इलाहाबाद से प्रकाशित "भारत" दैनिक के बन्द हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1442–1445
1981–82 के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1445–1449
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 (पारित) ..	1450–1458
मतियां	1459–1462

अविर्द पदुआ सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 298

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अब्दुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊ.ल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला बदियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादान अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोरी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)

गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबली, ब्रह्मचारी (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारुचन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह, त्यागी, श्री (मुजफ्फर नगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
चानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतपुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्त , श्री (मिर्जापु)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेटली, श्री (फैजाबाद)

प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरीज) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राज पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)

राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम ओतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझ सिंह, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निस, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
बिशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)

सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

संसद पुस्तकालय

विधान सभा मध्यप्रदेश

शुक्रवार, 20 फरवरी, 1981]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री सूरज एवं श्री सरजू, ग्राम दौलतपुर, जिला आजमगढ़ का भूमि सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

1-श्री जंगबहादुर--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23-8-80 को सूरज एवं सरजू हरिजन, निवासी ग्राम दौलतपुर, पो० दौलतपुर, तहसील लालपुर, जिला आजमगढ़ की कोई दरख्वास्त बाबत आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु प्राप्त हुयी थी जिस पर मंत्री महोदय ने जिलाधिकारी को अविलम्ब कार्यवाही का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व उप-मंत्री (जैराज गौतम)--

जी हां,

दिनांक 2-9-80 को श्रीमती मंझरिया पत्नी सरजू एवं श्रीमती मकड़ी पत्नी सूरज को ग्राम दौलतपुर में आवंटित उनके भूखण्डों पर कब्जा दिला दिया गया है ।

श्री जंग बहादुर--

5-6 वर्ष से लगातार प्रार्थना-पत्र देने के बाद उनको कब्जा नहीं दिया गया । मंत्री जी को भी प्रार्थना-पत्र दिया, आदेश हुआ लेकिन मेरी सही जानकारी है कि आज तक भी उनको कब्जा नहीं दिया गया और यह जो जवाब आया है मेरी जानकारी से यह जवाब बिल्कुल गलत है । क्या माननीय मंत्री जी फिर से इसकी जांच कर के दूसरे अधिकारी से उनको कब्जा दिलायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों व्यक्तियों को पट्टा मिला था 76 में । कब्जा भी हो गया था, इनका लेकिन बीच में कुछ सामन्त लोगों ने इनका कब्जा हटा दिया था, तो जब शासन की जानकारी में यह बात आई इसकी जांच हुई और उनको मौके पर जा कर फिर से कब्जा दिला दिया गया है और भू अभिलेखों में उसका इन्दराज भी कर दिया गया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने इन आवंटियों की भूमि पर कब्जा कर लिया था, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जिन आवंटियों की भूमि पर, पट्टादारों की भूमि पर, कब्जा कर लिया गया था उसको हटाने के लिए एक जबरदस्त अभियान चलाया गया और उस

[श्री बैजनाथ कुरील--]

अभियान के दौरान बहुत से ऐसे लोगों को जिनका कब्जा मौके पर नहीं है, हटा दिया गया था, उनको फिर से कब्जा दिला दिया गया है और अभी भी वह अभियान चल रहा है। अब उसमें कुछ सख्ती भी और कर रहे हैं कि अगर दुबारा फिर एक बार हटाने के बाद कब्जा कर लिया गया, तो उसके लिए सजा का भी प्राविधान है जो 6 महीने से लेकर 3 वर्ष की है।

श्री ए० सी० ग्राइस--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसके द्वारा उनको कब्जा दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह जो उन दो व्यक्तियों को कब्जा दिलाने का प्रश्न है, इनको मौके पर जा कर परगनाधिकारी आदि ने कब्जा दिलाया। अगर वह जबरदस्ती कब्जा नहीं छोड़ते, तो फिर मुकदमा उन पर दायर किया जाता, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था और कब्जा दे दिया।...

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, हरिजनों को उनको आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह जमीन सन् 1976, में आवंटित की गई थी और अगस्त, 1980, तक उनको कब्जा नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया कि उनको कब्जा दिला दिया जाय। जब कब्जा नहीं मिला, तो यह सवाल किया गया और 31-1-81 को यह सवाल फिर स्थगित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 31 जनवरी तक कब्जा नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको जब कब्जा नहीं मिल रहा है तो जो अधिकारी उत्तरदायी हैं, जिन्होंने इसमें उदासीनता बरती है और इतने समय के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया है, उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे और इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे ? क्योंकि आज इसी तरह के पूरे प्रदेश की हालत है।

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने निवेदन किया कि जिस वक्त उनको पट्टा मिला था, उस समय उनको कब्जा दिला दिया गया था। बीच में जब कब्जा हटा, तो उस पर शिकायत हुई और जब यह मालूम हुआ कि उनका कब्जा हटा दिया गया है, तो फिर उनको कब्जा दिला दिया गया। जहां तक पूरे प्रदेश का सवाल है, इसके लिये अभियान चल रहा है और सख्ती बरती जा रही है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बारे में पूरी तरह से अवगत हैं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर कि पिछले बजट सेशन में, राजस्व ग्रांट के समय तत्कालीन राजस्व मंत्री ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि इस तरह के केसेज में, जहां कब्जा नहीं होगा, वहां के कानूनगो को एकदम मुअत्तल कर दिया जायेगा। इस मामले में भी उनके आदेशों की अवहेलना हुई, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में भी सम्बन्धित क्षेत्र के कानूनगो के खिलाफ निश्चित कार्यवाही करने की घोषणा सदन में करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पहले भी कब्जा दिला दिया गया था और फिर दुबारा भी कब्जा दिलाया गया । इसलिये किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह सवाल पूरे प्रदेश का सवाल है । मैं चाहूंगा कि कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में क्या इस तरह के आदेश दिये गये हैं कि जहां कहीं गलत पट्टे दिये गये थे, जैसे किसी का घर बना हुआ था किसी का कुआ बना हुआ था और वहां पर पट्टे दिया गया और उसके सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है, तो क्या ऐसे आदेश सरकार की तरफ से गये हैं कि इस तरह के मुकदमें नहीं देखे जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य का जो सवाल है उसमें कब्जे की बात है और यदि वह ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की हो, उसमें खलिहान हो या बिस्तार हो और उस तरह के जो पट्टे हो गये थे, उनको निरस्त करने के आदेश पिछली सरकार के द्वारा हो गये थे । इस तरह के 90 हजार मुकदमें दायर हो गये थे, जिनको निरस्त करने के लिये आदेश हो गये । लेकिन जब देखा गया कि आवंटियों को कठिनाई हो रही है, तो 10 नवम्बर, को अध्यादेश के द्वारा उनको वेट कर दिया गया है और आसामी का हक पट्टेदारों को दे दिया गया है ।

गोंडा जिले के ग्राम शहजोत में विदेशी नागरिक, डाक्टर पीटर की भूमि

*2-मसरूर जाफरी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में गोंडा तहसील परगना पहाड़पुर मौजा शहजोत के अन्तर्गत लगभग 10 एकड़ जमीन इस समय एक विदेशी नागरिक के नाम से है ? यदि हां, तो क्या उक्त विदेशी नागरिक क्या उक्त भूमि को रखने का अधिकारी है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त विदेशी नागरिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जैराज गौतम--

जिला तथा तहसील गोंडा के अन्तर्गत परगना पहाड़पुर में स्थित ग्राम शहजोत में 8.88 एकड़ भूमि इस समय एक विदेशी नागरिक फादर डा० पीटर नाम भू-लेखों में अंकित है । विदेशी नागरिक होने के कारण राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना डा० पीटर उक्त भूमि रखने के अधिकारी नहीं हैं । डा० पीटर के नाम भू-लेखों में अंकित प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित अन्तरण को निष्प्रभावी करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मसरूर जाफरी--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस अधिकारी के आदेश से भू-अभिलेख फादर पीटर के नाम अंकित किये गये और कब अंकित किये गये ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, डा0 पीटर ने चार बेनामे कराये जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, तीन का तो 30-9-77 को और चौथ का 28-10-78 को दाखिल खारिज कराया और यह आदेश वहाँ के नायब तहसीलदार के जरिये हुआ ।

श्री मसरूर जाफरी--

मंत्री जी ने जो कहा है कि इसका बेनामा हुआ है, तो उसमें सकुनत कहां की लिखी गयी है, जब कि वह विदेशी नागरिक था ।

श्री बैजनाथ कुरील--

यह जो डा0 पीटर हैं, यह विदेशी हैं, इटली के रहने वाले हैं लेकिन यह जो जमीन खरीदा यह चर्च के नाम खरीदी लेकिन दाखिलखारिज उन्होंने अपने नाम करा लिया, उसके लिए वह दोषी हैं, उसके लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भीखालाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1977 में इस जमीन का दाखिलखारिज हुआ था । सरकार के नोटिस में यह बात 1977 में आ गयी थी कि यह विदेशी नागरिक है, तो इस अंतरण को निष्प्रभावी करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, 1977 में यह बात नोटिस में आई यह जानकारी मुझे नहीं है । (व्यवधान) इसे निष्प्रभावी करने की कार्यवाही 7-2-81 को की गयी ।

श्री ए0 सी0 ग्रास--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानेंगे कि फादर पीटर ने आन बिहाफ आफ चर्च यह जमीन खरीदी है । इसे अब 25 वर्ष हो जायेंगे यह जमीन शांतिनगर हास्पिटल, लिप्रोसी हाऊस और स्कूल के लिए खरीदी गयी और यह जमीन आन बिहाफ आफ चर्च ली गयी है, इसका पता लगायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने पहले कहा डा0 पीटर ने चर्च के वास्ते खरीदी थी, लेकिन दाखिल खारिज में अपना नाम उन्होंने दर्ज करा दिया । जिला अधिकारी को यह आदेश दिये गये हैं कि यदि उन्होंने कोई गलत शपथ पत्र दाखिल किया है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

नदुआ बाजार, जिला गोरखपुर की भूमि पर भूतपूर्व जमीन्दारों का कब्जा

3--श्री फिरगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के ग्राम नदुआ बाजार से संबंधित भूमि पर भूतपूर्व जमींदार घराने के व्यक्तियों ने अपना नाम फर्जी ढंग से (बंजर एवं आबादी आदि पर) दर्ज कराकर बाजार लगवा कर प्रति वर्ष लगभग 25 हजार रुपये ले रहे हैं जिसमें ग्राम समाज

को बहुत बड़ी हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता का माह अगस्त, 1980 मह अक्टूबर, 1980 के बीच प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जैराज गौतम--

महाराजगंज के ग्राम नदुआ बाजार से सम्बन्धित भूमि पर भूतपूर्व जमींदार घराने के व्यक्तियों का नाम चकबन्दी प्रक्रिया के पूर्व 1369 फसली में और इसके बाद के वर्षों में भी अंकित है ।

प्रश्नकर्ता सदस्य महोदय का शिकायती पत्र दिनांक 24-9-80 प्राप्त हुआ जिस पर जांच कराई गयी । चूंकि जांच से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, अतः राजस्व परिषद् को निदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने अधिकारी द्वारा पुनः सम्पूर्ण जांच करें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष जी, आप स्वयं देखें इसमें लिखा है पत्र की जांच कराई गयी और कुछ परिस्थितियां बताई गयी और जांच स्पष्ट नहीं हुई, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से बिन्दुओं पर जांच के लिए राजस्व परिषद् को दिया गया ? क्या यह सत्य है कि महाराजगंज के जो सरकारी वकील आगा साहब है, उनके प्रभाव से यह हो रहा है । तो क्या वह इसको प्रभावित न कर सकें, इसके लिए उनको सरकारी वकील के पद से हटाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह जो अस्पष्टता है वह यह है कि फसली वर्ष 69, और उसके बाद के वर्षों में इनके नाम दर्ज हैं लेकिन फसली 59 में बंजर दर्ज थी, अब वह इस बीच किसके आदेश से हुआ यह देखना है । कागज पर यह मिलता है कि एक परगनाधिकारी के आदेश 7-4-60 को हुए, उसके द्वारा बंजर शब्द हटाकर उनके नाम कर दिया गया । इसकी पूरी जानकारी अब राजस्व परिषद् से कराई जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह बंजर काटा गया और उनके नाम चढ़ा और तब से अब तक उनके नाम चढ़ता आया है और किस तरह यह उसका उपयोग करते हैं ? यह किसी मुकदमे के निर्णय द्वारा या किसी अप्लीकेशन द्वारा या अन्य किसी तरह हुआ है, यह बात लिखी नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह--

अध्यक्ष जी, यह बड़ा स्पष्ट घोटाला है । चूंकि पहले बंजर था और फिर एक विशेष व्यक्ति के नाम से भूमि चढ़ा दी गई । ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर इस मामले में टालमटोल करने की कोशिश की जा रही है और राजस्व परिषद् को देने का इसमें कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता है, तो क्या मंत्री जी इस केस को विजीलेंस से जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे दोषी अधिकारियों को सजा दी जा सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस विभाग के सबसे उच्च अधिकारी राजस्व परिषद् के ही हैं, इसीलिए हम उसके माध्यम से इसकी छानबीन करा रहे हैं । इसके अलावा हम स्वयं इन कागजात से और कार्यवाही से सन्तोष नहीं हैं । उसकी जांच रिपोर्ट आने पर फिर आगे देखा जाएगा ।

श्री ऊद :--

क्या मंत्री जी इसको भी देखने की कृपा करेंगे कि उक्त भूतपूर्व जमींदार के पास सीलिंग से भी अधिक जमीन है और आपके अधिकारियों ने परती और बंजर जमीन को उनके नाम कर दिया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह भी जांच के समय हमारे अधिकारी देख लेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या यह बात सत्य नहीं है कि जो बंजर और आबादी दर्ज है, वहां पर एक खूंटा या मड़ई तक नहीं है, इस पर महम्मद नईम व महम्मद शमीम, नम्बर 385, रकबा 1.16 वि0, आगा एजाज हुसैन, आगा शमशाह हुसैन, नं0 386, रकबा 6015, तथा खातेदार अफजाज हुसैन पुत्रगण आगा लिपटेन, नं0 387, रकबा 2215, दर्ज है । ऐसा कुछ है नहीं उनका, लेकिन वहां के जो प्रधान श्री बहादुर हैं, उनके साथ सौदा पटवाकर अपने पक्ष में बयान लेकर उनके नाम चढ़ा दिया गया है । क्या आप इन सभी बातों की जांच, जो सरकारी वकील श्री आगा साहब हैं, उनको उनके पद से हटवाकर, करवायेंगे ।

श्री बैजनाथ कुरील--

इन्हीं सब मुद्दों पर ही तो जांच करने के आदेश हुए हैं ।

[दिनांक 20 फरवरी, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद जिले की टान्डा तापीय विद्युत् परियोजना

*1--श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में निर्मित होने वाले टांडा थरमल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य काफी दिनों से रुका हुआ है जिससे राज्य विद्युत् परिषद् को लगभग 45 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षति हो रही है । यदि हां, तो टांडा थरमल प्रोजेक्ट के निर्माण में रुकावट के क्या कारण हैं और प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

फैजाबाद जनपद में निर्माणाधीन 4 × 110 मेगावाट टान्डा तापीय विद्युत् परियोजना के निर्माण का कोई कार्य रुका हुआ नहीं है । इस परियोजना की पहली 110 मेगावाट इकाई को दिसम्बर 1983 में चालू करने तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य को वर्ष 1985 में पूरा करने का लक्ष्य है ।

*2--श्री कद किशोर सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कानपुर जिले के ब्लाक रसूलाबाद में वर्षा एवं बाढ़ के फलस्वरूप हुई मृत्यु

*3--श्री मोतीलाल बेहलवी--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जुलाई सन् 1980 के अन्तिम सप्ताह से 2 सितम्बर, 1980 तक कानपुर जनपद के ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक

ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद के अन्तर्गत वर्षा एवं बाढ़ तथा मकानों के गिरने के कारण कुल कितने लोगों की मौतें हुईं और मृतक परिवारों को क्या सहायता दी गई ? तथा उक्त प्रत्येक ब्लाक में कितने प्रतिशत फसल की हानि हुई ?

श्री जैराज गौतम--

जुलाई 1980 के अन्तिम सप्ताह से 2 सितम्बर, 1980 तक कानपुर जनपद के ब्लाक बिल्हौर, ब्लाक ककवन में वर्षा एवं बाढ़ तथा मकानों के गिरने के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । ब्लाक रसूलाबाद के अन्तर्गत 4 मौतें, 2 मकानों के गिरने से तथा 2 डूबने से हुई । उक्त मृतकों के परिवारों को कुल 2,600 रु0 की अहेतुक सहायता दी गई ।

उपर्युक्त प्रत्येक ब्लाक में खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कि दैनिक 'आज' अखबार है, इसमें बिल्हौर के परगनाधिकारी का एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मकान गिरने से अब तक 14 व्यक्तियों एवं 53 जानवरों की मृत्यु हो गई है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने जो कहा है वह सही है या 1 सितम्बर, 1980 के दैनिक 'आज' में जो परगनाधिकारी का बयान छपा था, वह सही है या सरकार ने जो अब बयान दिया है, इनमें से किसके बयान पर विश्वास किया जाय और कौन सही है, क्या इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इस समय पिछला तो मेरे पास है नहीं । उसको हम देख लेंगे । यदि कोई विसंगति होगी, तो उसको तो देखा जा सकता है । मैं इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर में मृतक बताए गए हैं 4, यह किस-किस गांव के हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

(1) श्री अयोध्या--आयु 25 वर्ष ग्राम ढकपुरवा, (2) श्रीमती सुजनिया आयु 20 वर्ष, ग्राम-मलकापुरवा, (3) कुमारी मुन्नी, ग्राम-मनकी, (4) श्री परभूराम, आयु 48 वर्ष, ग्राम-मौरागांव ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह भी कहा गया है कि इन चारों मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है और 2600 रुपया बांटा गया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो नाम गिनाए हैं, उनमें से कितना-कितना रुपया हर एक को दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो पहले मृतक हैं, श्री अयोध्या, उनके दो लड़के हैं, उनको 00-500 रु0 दिया गया है । दूसरी जो श्रीमती सुरजनिया हैं उनके पति को

(श्री बैजनाथ कुरील--)

1000 रु0 दिया गया है । तीसरे कुमारी मुन्नी देवी के पिता को 500 रु0 दिया गया तथा चौथे परशूराम की पत्नी को 100 रु0 दिया गया ।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम दहिलिया में बाढ़ सहायता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4-श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिसम्बर, 1978 में ग्राम सभा दहिलिया परगना खाखटमऊ तहसील सदर, फर्रुखाबाद में बाढ़ सहायता वितरण में हुए घोटाले के विरुद्ध कोई शिकायत जिला प्रशासन फर्रुखाबाद को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या जांच की गई तथा जांच के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जैराज गौतम--

जी हां ।

वर्ष 1978 में जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर के ग्राम दहिलिया, परगना खाखटमऊ में बाढ़ सहायता वितरण से सम्बन्धित श्री बृज किशोर मिश्र, प्रधान ग्राम सभा दहिलिया का शिकायती पत्र दिनांक 20-2-79 जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद द्वारा कराई, जिससे विदित हुआ कि ग्राम दहिलिया के अन्तर्गत विभिन्न तारीखों में कुल 169 व्यक्तियों को बाढ़ सहायता के रूप में वितरित की गई धनराशि में से 29 ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया, जो सहायता के पात्र नहीं थे ।

उक्त विवरण में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों ग्राम दहिलिया के प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, दो सुपरवाइजर कानूनगो व एक नायब तहसीलदार को आरोप पत्र दिए जा चुके हैं । अन्य दो दोषी नायब तहसीलदारों के विरुद्ध आरोप पत्र राजस्व परिषद् के माध्यम से जारी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब जांच से यह सिद्ध हो गया कि बाढ़ सहायता गलत ढंग से वितरण की गई, जो पात्र व्यक्ति नहीं थे उनको दिया गया । दोषी कर्मचारियों को निलम्बित न करके उन्हें आरोप-पत्र दिए गए । यह भी बताया गया कि अन्य दो दोषी नायब तहसीलदारों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । क्या अधिकारी इस जांच को दबाने का प्रयास नहीं करते रहे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस प्रश्न का जो मुख्य भाग है, वह यह है कि 2 नायब तहसीलदारों को राजस्व परिषद की ओर से क्यों आरोप-पत्र जारी हुए । इन नायब तहसीलदारों का नियुक्ति प्राधिकारी राजस्व परिषद है । इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही परिषद के ही माध्यम से होनी चाहिए ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि बाढ़ सहायता के वितरण में घोटाला हुआ है, जो दोषी अधिकारियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? दूसरे जो अधिकारी वर्ष 1979 से निरन्तर जांच कर रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले को

क्यों छिपाया ? मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनको निलम्बित न करने के क्या कारण हैं । इसमें प्रधान को भी फंसाने का प्रयास किया गया है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

इसमें प्रभावी ढंग से विभागीय कार्यवाही हो रही है । जहां तक प्रधान को फंसाने का प्रश्न है जो अनुदान देने के कागज बनते हैं, उनमें लेखपाल और प्रधान, दोनों के हस्ताक्षर होते हैं । नीचे के स्तर पर कागज बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दोषी अधिकारी हैं, उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया, केवल आरोप पत्र ही क्यों दिए गए ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी ने कहा तो है कि वैभागिक कार्यवाही हो रही है । उसमें सम्बन्धित व्यक्तियों को आरोप-पत्र भी दिए जाते हैं और उन्हें निलंबित भी किया जाता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मन्त्री जी स्वयं कहते हैं कि वे व्यक्ति दोषी हैं, तो फिर उनका निलंबन क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

विभागीय कार्यवाही हो रही है । मैं देखूंगा, अगर वे निलम्बित नहीं हुए हैं, तो उनका निलंबन कराया जाएगा । पूरी जांच हुई है, साल भर हुआ है और जो निचोड़ आया है उससे स्पष्ट है कि वे दोषी हैं । उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

श्री सूबेदार सिंह--

चूंकि बाढ़ पीड़ितों को सहायता न देना आपराधिक धारा के अन्तर्गत आता है, तो अभी तक भी इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखायी गयी ? क्या मन्त्री जी अब इसको दर्ज कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ताकि आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

अभी तो वैभागिक कार्यवाही हो रही है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

एक तो भ्रष्टाचार का यह मामला है और एक दूसरा यह है कि जो गांव सम्मिलित हुए हैं, उनमें यह अनुदान वितरित नहीं किया जा रहा है । वर्ष का अन्त होने जा रहा है तो "घर गिरे" का जो अनुदान है, उसको वितरण के क्या कोई आदेश चले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, बिल्कुल वही प्रश्न है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में यह अनुदान वितरण नहीं किया गया है, वहां के बारे में सरकार ने क्या कोई निश्चित आदेश दिए हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, 20-2-79 को ग्राम प्रधान ने स्वयं यह शिकायत की है कि उनके हस्ताक्षर फर्जी बना लिए गये हैं। फिर भी प्रशासन इस मामले को दबाये हुये हैं और जब 12-11-80 को मैंने प्रश्न किया तब जांच प्रारम्भ हुई। मेरा प्रश्न यह है कि इतने गम्भीर मामले में जब कि भ्रष्टाचार स्पष्ट है तो दोषी अधिकारियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया अभी तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया कि यह शिकायत अवश्य प्रधान ने की। लेकिन उस मामले की छानबीन हो रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कागजात से जो छानबीन हुई है, उससे यह पता चलता है कि उसमें उनको भी दोषी पाया गया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

20-2-79 से शिकायत को दबाये रखने और दोषी अधिकारियों को निलम्बित न करने का क्या कारण है ? इससे तो भ्रष्टाचार को और प्रश्रय मिलता है।

श्री बैजनाथ कुरील--

अगर निलम्बित नहीं हुए हैं, तो उसको देखा जायेगा। किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं किया जायेगा। पूरी कार्यवाही की जायेगी।

श्री पंचानन राय--

जब यह शिकायत आयी कि हस्ताक्षर फर्जी हैं तो जांच आपने तहसीलदार से करवायी। जिसने भ्रष्टाचार किया अगर उसी से जांच करवायी जायेगी, तो वह तो मामले को दबायेगा ही। इसलिए इस मामले में क्या माननीय मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से जांच करवायेंगे और जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कार्यवाही तो इसमें विभागीय हो रही है। अगर कोई चीज रह गयी है, तो उसे भी देखा जायेगा।

(व्यवधान)

*5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[11 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6--श्री पंचानन राय--

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ, अलीगंज का एम0 आई0 जी0 कालोनी में विद्युत् की चोरी

*7--श्री मित्रसेन--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में माह नवम्बर वर्ष 1980 में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अनियमित रूप से विद्युत् आपूर्ति एवं चोरी के मामलों में चलाये गये अभियान में कितने मामले प्रकाश में आये ? इसमें कितने सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी-अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त--

उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् शक्ति भवन, लखनऊ के पुलिस अधिकारियों व लखनऊ विद्युत् प्रदेश उपक्रम के अधिकारियों द्वारा माह नवम्बर, 1980 में चलाये गये अभियान में 38 मामले प्रकाश में आये हैं । इनमें 38 अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये गये । उपरोक्त 38 अभियुक्तगणों में से 12 अभियुक्तगण का चालान अदालत में किया जा चुका है शेष अभियुक्तगणों के विरुद्ध विवेचना जारी है । इन सभी अभियुक्तगणों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही अदालत की कार्यवाही के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगी ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं और नम्बर दो के भी मंत्री हैं । (हंसी) मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन 12 लोगों के खिलाफ चार्ज-शीट दी जा चुकी है, उनके नाम क्या हैं और जिन 26 लोगों के खिलाफ अभी जांच चल रही है उनके नाम क्या क्या हैं तथा किन-किन लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंने बताया कि 38 व्यक्ति हैं, जो भिन्न-भिन्न विभागों से संबंधित हैं । जिनके खिलाफ विवेचना पूरी हो गयी उनके मामले अदालत में भेज दिये गये हैं, बाकी में विवेचना अभी चल रही है । वह पूरी हो जाने पर उनके मामले भी अदालत में भेज दिये जायेंगे ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, उसमें कौन-कौन से व्यक्ति हैं और कौन-कौन से अधिकारी या कर्मचारी हैं जो दोषी पाये गये हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट चली गयी, उनके नाम माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

38 आदमियों के नाम पढ़ना है, लिस्ट उनसे ले लीजिएगा ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं सूची उनको उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, सूची पढ़वा दिया जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, सूची पढ़वा दीजिये ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह बहुत बड़ी लिस्ट है, आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ दीजिये ।

श्री ब्रह्म दत्त--

(1) सहायक गन्ना आयुक्त ।

माल एवेन्यू, उ0 प्र0, लखनऊ, फ्लैट नं0 54 ।

(2) सहायक भूगर्भशास्त्र, भूगर्भ एवं जल सर्वेक्षण निदेशालय, लखनऊ, फ्लैट नं 56 ।

(3) मेडिकल आफीसर, सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ फ्लैट नं0 58 ।

(4) अतिरिक्त निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 63 ।

(5) संख्या अधिकारी, मनोरंजन-कर आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 64 ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये । यादव जी आप लिस्ट ले लीजियेगा और कार्य होने दीजिये ।

श्री अदल--

मान्यवर, सूची पढ़ दी जाय ।

श्री पंचानन--

अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करवा दी जाय, तमाम अधिकारी लोग चोरी कर रहे हैं । चर्चा करवा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

पंचानन राय जी, आप बैठ जाइये ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मंत्री जी पद पढ़ रहे हैं, नाम नहीं पढ़ रहे हैं । नाम पढ़ने में क्यों इनको कठिनाई हो रही है ?

श्री अदल--

मान्यवर, पूरी लिस्ट पढ़वा दी जाय । मान्यवर, आपने रोक दिया ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा केवल यह मतलब था कि आधे से अधिक क्वेश्चन अभी रह गये हैं और समय बहुत कम है, इसलिए मैंने कहा था ।

माननीय मंत्री जी, लिस्ट पढ़ दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से नाम पढ़ना शुरू कर दूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, चर्चा इस पर करवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, फिर से पढ़ दीजिए ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, 12 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप आ चुका है और 26 के विरुद्ध विवेचना जारी है । मान्यवर, इनमें 38 अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं :--

(1) श्री गिरजापति श्रीवास्तव, सहायक गन्ना आयुक्त, 2 माल ऐवन्यू, उ0 प्र0, लखनऊ, फ्लैट नं0 54 ।

(2) श्री राम चन्द्र वर्मा, सहायक भू-गर्भशास्त्री, भूगर्भ एवं जल सर्वेक्षण निदेशालय, लखनऊ, फ्लैट नं0 56 ।

(3) श्री राम लाल कपूर, मेडिकल आफीसर, सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ, फ्लैट नं0 58 ।

(4) श्री राम प्रसाद सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 63 ।

(5) श्री दिग्विजय सिंह सेंगर, संख्याधिकारी, मनोरंजन-कर आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 64 ।

(6) श्री हरिश्चन्द्र, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 71 ।

(7) श्री राम गोपाल सिंह, सहायक अभियन्ता, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 80 ।

(8) कुमारी सुमन श्रीवास्तव, लाइब्रेरियन फाइनेन्स इन्स्टीट्यूट, 16, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, फ्लैट नं0 83 ।

(9) श्री दलबीर सिंह, विकास अन्वेषणालय, कालाकांकर हाउस, लखनऊ, फ्लैट नं0 85 ।

(10) श्री सन्तोष कुमार शर्मा, सचिव, उ0 प्र0, संस्थागत सेवा मंडल, लाल बाग, लखनऊ, फ्लैट नं0 86 ।

(11) श्री चन्द्र भान गुप्त, उप निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 88 ।

(12) डा0 डी0 सी0 पाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कालाकांकर हाउस, लखनऊ, फ्लैट नं0 100 ।

(श्री ब्रह्म दत्त--)

(13) श्री डी0 के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, हुसेनगंज रोड, लखनऊ, फ्लैट नं0 59 ।

(14) श्री एन0 दत्ता, अधिशासी अभियन्ता, मेडिकल हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 60 ।

(15) डा0 आर0 पी0 मिश्र, मेडिकल आफिसर स्टेट ब्लड बैंक, उ0 प्र0, मेडिकल कालेज, लखनऊ, फ्लट नं0 61 ।

(16) श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल, रिपोर्टर हिन्दुस्तान समाचार-पत्र, लखनऊ, फ्लैट नं0 6 ।

(17) श्री आर0 एस0 चौहान, असिस्टेंट पंचायत राज्य, अधिकारी, लाल बाग, लखनऊ, फ्लैट नं0 69 ।

(18) मकबूल अहमद, सहायक अभियन्ता पी0 डब्लू0 डी0, मुख्यालय, लखनऊ, फ्लैट नं0 70 ।

(19) श्री एस0 एन0 मेहरोत्रा, मेडिकल आफिसर, हेल्थ एवं फेमिली प्लानिंग, आर0 एस0, एम0 नगर, लखनऊ, फ्लैट नं0 79 ।

(20) श्री प्रद्युम्न कुमार, अनुभाग अधिकारी, विधान सभा, लखनऊ, फ्लैट नं0 81 ।

(21) श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, सहायक अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड नं0 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज्य भवन, लखनऊ, के सामने फ्लट नं0 82 ।

(22) श्री एन0 एम0 चौहान, मेडिकल आफिसर, बलरामपुर, लखनऊ, फ्लैट नं0 84 ।

(23) श्री नन्द किशोर गुप्ता, उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ, फ्लैट नं0 98 ।

(24) श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, पौध रक्षण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, लखनऊ, फ्लैट नं0 99 ।

(25) अज्ञात, स्टाफ क्लर्क, प्रोजेक्ट एवं निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ ।

(26) श्री आर0 आर0 मिश्रा, सहायक विकास आयुक्त, रूम नं0 1034, दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ, फ्लैट नं0 1/13 ।

(27) श्रीमती ऊषा कन्सल (पी0 सी0 एस0) सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद् (हाई कोर्ट के पास) लखनऊ, फ्लैट नं0 3/9 ।

(28) श्री हरिहर सिंह, डिवीजन फारेस्ट आफिसर (फारेस्ट सेकेट्री के साथ) फ्लैट नं0 50 ।

(29) श्री रमेश चन्द्र (पी0 सी0 एस0) उप सचिव, पी0 डब्लू0 डी0, विकास भवन, जनपद मार्केट हजरतगंज, लखनऊ, फ्लैट नं0 5/1 ।

(30) श्री० एस० पी०, त्यागी, सहायक अभियन्ता स्टेशनरी सेल, चिनहट राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ, फ्लैट नं० 5/11 ।

(31) श्री रामजनम सिंह, उप सचिव, स्टेट मिल्क ऐण्ड बोर्ड, जवाहर भवन, लखनऊ, फ्लैट नं० 5/14 ।

(32) श्री बाल किशन सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ, फ्लैट नं० 5/16 ।

(33) श्री जी०एस० चौधरी संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग सचिवालय, लखनऊ, फ्लैट नं० 7/14 ।

(34) श्री आई० पी० सिंह, डिप्टी डायरेक्टर विभाग, सचिवालय, लखनऊ ।

(35) श्री दिवाकर त्रिपाठी, ए० डी० एम०, जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ, फ्लैट नं० 2 ।

(36) श्री गुरु प्रसाद अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखनऊ, फ्लैट नं० 5 ।

(37) श्री राम रतन तोमर, डिप्टी कलेक्टर सेल टैक्स, लखनऊ, फ्लैट नं० 11 ।

(38) श्री एस० पी० सिंह, एस० ओ० सी० कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, कन्धारी बाजार, लखनऊ, फ्लैट नं० 16 ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जिन 11/12 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट भेज दी है, उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है कि नहीं और नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जितनी कार्यवाही की जा रही है, वह विद्युत् अधिनियमों और नियमों के अनुसार की जा रही है । तो जो कार्यवाही है, की जायेगी । उसमें विभागीय कार्यवाही का अधिकार नहीं ।

प्रदेश में सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के पट्टे के निरसन सम्बन्धी आदेश

*8--श्री भीखालाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में आठ प्रतिशत सुरक्षित भूमि के पट्टे भूमिहीनों को कर दिये गये थे और बाद में शासन द्वारा ऐसे पट्टे को निरस्त करने के आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा कि ऐसे भूमिहीनों को सम्बन्धित भूमि से बेदखल न करके उनको असामी के पट्टे दे दिये जायं ।

श्री जैराज गौतम--

जी, हां । गांवों के नियोजित विकास के लिए सुरक्षित आठ प्रतिशत भूमि में से भूमिहीनों को दिए गए पट्टे निरस्त करने के कोई आदेश नहीं दिए गये

(श्री जैराज गौतम---)

उक्त आठ प्रतिशत के अतिरिक्त, ऐसी भूमि के पट्टों को, जो सार्वजनिक प्रयोजन की थी, तथा जिसमें सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते थे, निरस्त करने के आदेश दिए गयेथे । नवम्बर, 1980 में जारी अध्यादेश संख्या 15/1980 द्वारा कानून में संशोधन करके उपर्युक्त पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है तथा ऐसे पट्टेदारों को पट्टे की भूमि का असामी बना देने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री भीखा लाल---

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से एक ही प्रश्न करूंगा कि आपने जो नवम्बर में अध्यादेश जारी किये हैं, तो क्या जिलाधिकारियों को पुनः आदेश देंगे ताकि वे प्रभावी ढंग से लागू हो जांय, क्योंकि, मान्यवर, मेरी सूचना में है कि पट्टेदारों को आसामी अभी दर्ज नहीं किया गया ।

श्री बैजनाथ कुरील---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आदेश जा चुके हैं और अभी पिछले ही महीने में पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों की मीटिंग बुलायी गयी थी, उसमें भी बहुत ही प्रभावी ढंग से कह दिया था कि यह काम प्रायरटी बेसिस पर लेकर इसको तुरन्त पूरा करें । तो, मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप तो हम कार्यवाही पूरी तरह से कर ही रहे हैं ।

ब्लैक लिस्ट की गयी मेसर्स इलेक्ट्रा फर्म, मेरठ

*9---श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1978 में तत्कालीन विद्युत् सचिव ने मेसर्स इलेक्ट्रा मेरठ की फर्म से ट्रांसफारमर्स न खरीदने हेतु उक्त फार्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया था । यदि हां, तो उक्त फर्म को मई, 1979 में पुनः ट्रांसफारमर्स सप्लाई करने के आर्डर दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त ---

जी हां ।

मई, 1979 में उक्त फर्म को ट्रान्सफार्मर्स सप्लाई करने के आर्डर नहीं दिये गये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1978 तक मेसर्स इलेक्ट्रा फर्म को कितने लाख का खरीदने का आर्डर दिया था और उसको ब्लैकलिस्ट करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त ---

मान्यवर, शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को 30 दिसम्बर, 1978 को एक आदेश दिया और उसमें यह कहा कि उनको कोई आर्डर न दिया जाय । तत्कालीन सरकार ने यह किया । उसके बाद उसके परीक्षण का आदेश किया गया और 24 सितम्बर, 1979 को वह पूर्व आदेश रद्द कर दिया गया और उसके बाद इनको ट्रान्सफारमर की सप्लाई के आर्डर दे दिये गये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया जो कि मैंने पूंछा था कि इलेक्ट्रा फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का क्या कारण था ?

श्री ब्रह्म दत्त --

मान्यवर, उस आदेश में कहा था कि विद्युत् मंत्री जी (उस सरकार के) ने आदेश दिये हैं कि इस फर्म को अगली बार अनुभव के आधार पर कोई आर्डर न दिया जाय और पूरी तरह से निरीक्षण किया जाय ।

चेक पोस्ट मोहन नगर, गाजियाबाद में पकड़े गये ट्रैक्टर

*10--श्री रियासत हुसैन--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है दिनांक 28-6-1980 को चेक पोस्ट मोहन नगर, गाजियाबाद पर ट्रक नं0-सी0 एच0 डब्लू0 1375 जिसमें दो ट्रैक्टर चंडीगढ़ से आ रहे थे, सेल्स टैक्स के कर्मचारियों ने रोक लिया और मालिक को परेशान कर 2000 जमा करा कर छोड़ा ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 24-7-1980 को चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

कथित ट्रक नं0 सी0 एच0 डब्लू0 1375 को 28-6-1980 को चेक पोस्ट मोहन नगर, गाजियाबाद के बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा नहीं रोका गया था वरन् एक अन्य ट्रक सी0 एच0 डब्लू0 1345, जिसमें दो ट्रैक्टर लदे थे और जिसको नियम विरुद्ध प्रदेश में लाया जा रहा था, जो बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा दिनांक 29-6-1980 को चेक पोस्ट मोहन नगर, गाजियाबाद, पर रोका गया था । चूंकि इस माल को लाने में व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 28-ए का उल्लंघन किया जा रहा था, अतः उनसे नियमानुसार 2,000 रुपये की जमानत जमा कराकर माल को ले जाने दिया गया । प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 24-7-1980 के मुख्य मंत्री जी को लिखे गये पत्र पर विभागीय जांच कराई गयी तथा अधिकारियों द्वारा मामले में किसी प्रकार की अनियमितता का किया जाना नहीं पाया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी पुनर्जांच करा लें 28-6 को ही ट्रक रोकी गई और जब ट्रक का ड्राइवर मुरादाबाद गया और वहां से मेसर्स नवीन ट्रैक्टर्स को लेकर आया तो 29-6 को सुबह कार्यवाही की गई । पहले उनसे 10 हजार रुपया मांगा जा रहा था, किन्तु जब उसने सब कागजात दिखलाये और बताया कि यह चन्डीगढ़ से आ रहे हैं और वहां पर यह फार्म 31 नहीं लागू होता है, तो जमानत के रूप में 2 हजार रुपया लेकर छोड़ दिया गया । तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने अधिकारियों को आदेश देंगे कि वे कागजात जिनके आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे ट्रैक्टर अनाधिकृत रूप से नहीं ले जा रहे थे, उन कागजातों को वापस करने का आदेश देंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र --

जहां तक माननीय सदस्य का कहना है फिर से जांच कराने का यह जांच का ही नतीजा है । माननीय सदस्य के लिखने पर ही जांच कराई गई उसी से पता

चला की मामला 29-6 का है 28-6 का नहीं है, जहां तक माननीय सदस्य 10 हजार रुपये मांगने की बात करते हैं, हमारा 12 हजार 7 सौ रुपया बनता है क्योंकि ट्रैक्टर्स 1 लाख 26 हजार के थे। बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार फार्म 31 जिसके पास नहीं होता, उनसे अर्थ दन्ड भी लिया जाता है। हमारा अधिकारी इनसे अर्थदन्ड भी नहीं मांग रहा था। इनका कहना है कि 10 हजार मांग रहा था। इन्होंने दरखास्त दिया, जिसकी जांच सेल्स टैक्स अधिकारी गाजियाबाद के यहां जांच हुई और हमारे अधिकारी का कहना है कि चूंकि यह ट्रैक्टर्स मंगाये नहीं गये बल्कि चन्डीगढ़ से लाये जा रहे थे। और इनके पास फार्म 31 नहीं था। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सीमा के अन्तर्गत बिना फार्म 31 के माल जिस पर सेल्स टैक्स देय है, नहीं लाया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी ने स्वयं अपने इतने बड़े भाषण में यह तो मान लिया कि साढ़े 12 हजार बनता है उसी आधार पर 10 हजार रुपया मांगा जा रहा था। चूंकि ट्रैक्टर मगाये नहीं गये थे चन्डीगढ़ से आ रहे थे और वहां पर फार्म 31 लागू नहीं होता है जमानत के रूप में 2 हजार रुपया लेकर छोड़ दिया गया। मेरा प्रश्न यह है कि जो कागजात अपने सबूत में सेल्स टैक्स अधिकारी को दिया जिससे उन्होंने साबित किया, तो वे कागजात आपके अधिकारी ने क्यों नहीं वापस किये और क्या उनको वापस करने के आदेश आप देंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र --

शासन से आदेश जारी कर दिये गये हैं कि कागजात वापस कर दिये जायें, लेकिन उनको कागजात लेने जाना पड़ेगा यह नहीं कि हमारे अधिकारी जाकर कागजात वापस करें। मान्यवर, कोर्ट में अगर कोई कागज दाखिल किया जाता है तो उसको लेने जाना पड़ता है।

जौनपुर जिले में सई एवं गोमती नदियों में बाढ़ के फलस्वरूप काटे गये विद्युत् कनेक्शन

*11-श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री को मालूम है कि जौनपुर जनपद की सई एवं गोमती नदियों में इस वर्ष आई भीषण बाढ़ के परिणाम 'स्वरूप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बिजली कनेक्शन काट दिये गये थे और क्या यह भी सच है कि उस अवधि का भी विद्युत् का चार्ज किसानों से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जौनपुर जनपद की सई एवं गोमती नदियों में वर्ष 1980 में आयी भीषण बाढ़ के परिणाम स्वरूप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी तथा बिजली के लाइनों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से 11000 वोल्ट के कुछ विद्युत् पोषकों में सप्लाई बन्द कर दी गई थी।

उक्त अवधि में निजी नलकूप के उपभोक्ताओं से 144 रु० प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष नियत चार्ज लिया जाता था। इसे उपभोक्ता औसतन् 1.5 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् उपभोग करके औद्योगिक दर की अपेक्षा में पूर्ण कर लेता था। यह धनराशि पूरे साल के विद्युत् खपत पर आधारित है तथा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये उनसे प्रति माह 12 रु० प्रति हार्स पावर की दर से ली जाती थी।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, आप मेरा प्रश्न देखें और इनका उत्तर देखें तो उसका कोई संबंध मेरे प्रश्न से नहीं है । इस तरह के गोल-मटोल उत्तर हमेशा हम लोगों को दिये जाते हैं । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ऐसी बाढ़ की धारा में जहां ट्यूबवेल्स बह गये पानी में और उनसे भी चार्ज वसूल किया जा रहा है तो इस तरह के कितने ट्यूबवेल्स थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैंने प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट बताया है कि 11000 वोल्ट के कुछ विद्युत् पोषकों में सप्लाई बन्द कर दी गई थी । कनेक्शन की जो बात है, तो जनवरी तक कनेक्शन न काटने के आदेश दिये गये थे और उसे अब मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है । यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि अगर फिक्सड चार्ज से कम बिजली आपूर्ति की गई है, तो ऐसे केसेज की लिस्ट बनायी जाये ।

*12-श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय, श्री राम समुझावन, श्री बब्बन सिंह, श्री राम कृष्ण उपाध्याय तथा श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

[9वें गुरुवार में तारांकित संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति एवं मिनिमम चार्ज

*13-श्री चेतराम गंगवार (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्याप्त वर्षा के होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पूरे समय नहीं दी जा रही है ? क्या वह मिनिमम चार्ज को समाप्त करके मात्र उतना ही चार्ज जितनी बिजली किसान इस्तेमाल करते हैं लेने की योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो यह आदेश कब से होंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रदेश में विद्युत् की वर्तमान उपलब्धता तथा मांग को ध्यान में रखते हुए आजकल ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति औसत 7 घंटे प्रतिदिन किये जाने की व्यवस्था है जबकि गत वर्ष औसत केवल 4, 5 घन्टे आपूर्ति की ही व्यवस्था थी ।

किसानों से निजी नलकूप के लिए मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाता है उन्हें नियत दर पर विद्युत् आपूर्ति की जाती है ? अतः मिनिमम चार्ज समाप्त करने की योजना का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति भत्ता

*14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारी को वाह्य सेवा में जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या जी—1—638/दस—534/46—1—76 दिनांक 17—5—79 द्वारा लिपिक वर्गीय लेखाकार, आशुलिपिक, लिपिकों को उक्त प्रतिनियुक्ति भत्ते से क्यों वंचित कर दिया गया ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां । प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी—1—638/दस—534(46)—76, दिनांक 17 मई, 1979 में वाह्य सेवा योजकों के अधीन लिपिक वर्गीय पदों पर लिपिक वर्गीय सरकारी सेवकों के प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । उक्त आदेशों में यह भी व्यवस्था की गई है यदि किसी विशिष्ट मामले में कतिपय कारणों से उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारी को वाह्य सेवा में लिपिक वर्गीय पद पर भेजना जनहित में आवश्यक हो तो ऐसी दशा में ऐसे कर्मचारी को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा और उसे केवल अपने पैतृक विभाग में प्राप्त वेतनमान तथा उसमें प्राप्त वेतन ही अनुमन्य होगा । उक्त निर्णय के पीछे भावना यह है कि वाह्य सेवा योजकों के लिपिक वर्गीय पदों पर राज्य सरकार के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को निरुत्साहित किया जाय क्योंकि लिपिक वर्गीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी वाह्य सेवायोजकों को खुले बाजार में सरलतापूर्वक मिल सकते हैं और उक्त पदों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का अधिक औचित्य नहीं कहा जा सकता है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो प्रतिनियुक्तियां इसके पहले हुयी हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है, तो इस असंगति को कैसे दूर करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह तो वर्मा जी के प्रश्न के जवाब में निहित है । ओपेन मारकेट में लिपिक वगैरह आसानी से मिल जाते हैं । अफसरों को भेजते हैं, क्योंकि वह नहीं मिलते हैं । इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था, उसी नियम का हम पालन करते हैं और अफसरों को हम देते हैं और लिपिकों को नहीं देते हैं ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, डेपूटेशन पर स्वयं कोई लिपिक अपनी मर्जी से नहीं जाता है, शासन भेजता है । तो सजा उस लिपिक को क्यों दी जाती है ? विभाग जो मंगाता है और शासन जो भेजता है उसको क्यों नहीं दी जाती ? जब वह स्वयं अपनी मर्जी से नहीं जाता है, तो उसको भत्ता क्यों नहीं दिया दिया जाता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय भीखालाल जी ने कहा, मैं समझता हूं कि शासन की कतई यह नीति नहीं है कि हम डेपूटेशन पर किसी को भेजें, जनहित में अगर कहीं जरूरी पड़ जाता है तो भेजते हैं। इसलिये नियम बनाया गया है, लिपिकों को अधिकतर हम भेजते ही नहीं हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है उसका पालन करते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मेरा प्रश्न है कि इसके पहले जो वाह्य विभागों में सेवारत लिपिकों को प्रतिनियुक्ति किया गया है, उन्हें अनुमन्य भत्ता दे रहे हैं । तो वह भत्ता क्या विदड्रा करेंगे या जारी रहेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं इसमें शासन निर्णय ले सकता है । लेकिन बुद्धि और विवेक के डपूटेशन पर हम जिन अफसरों को भेजते हैं, चाहे वह सेक्रेटेरियट में काम करते हों या और कहीं उनको भत्ता नहीं देना चाहिये । लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर ऐसा रहा है कि सेंट्रल-गवर्नमेंट को कोई नियम बना है, तो उसका पालन हम करते हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट से इस संबंध में जो निर्देश आयी थी, उसी के तहत हम उनको दे रहे हैं ।

अनपारा तापीय विद्युत् गृह, मिर्जापुर हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*15--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपारा जिला मिर्जापुर में जो स्टीम पावर हाउस बन रहा है उसमें 20 गांवों के निवासियों की जमीन ले ली गई है और उन्हें जबरदस्ती भगाया जा रहा है ? यदि हां, तो उनको बसाने हेतु कोई जमीन की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई और क्या उनको मुआवजा भी बाजार रेट से मकान, कुआं, बाग जमीन का देने का विचार किया गया कि नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अनपारा तापीय विद्युत् गृह के लिए कुल तीन गांवों ओड़ी, अनपारा तथा कुलडुमरी, की जमीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अधीन अध्याप्त की गई है । किसी को जबरदस्ती भगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभावित व्यक्तियों को बसाने हेतु नौ से कम सदस्यों वाले परिवार को 40 फीट × 60 फीट का एक प्लाट, नौ से बीस तक सदस्यों वाले परिवार को दो तथा बीस से अधिक सदस्यों वाले परिवार को तीन प्लाट निःशुल्क दिए जा रहे हैं तथा उनके मकान, कूपों, बाग, जमीन आदि का मुआवजा नियमानुसार मूल्यांकन करा कर दिया जा रहा है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो उनकी भूमि एक्वायर की गई है, उसका मुआवजा उन्हें बाजार रेट पर नहीं मिला है । दूसरी चीज वह है कि जो आपने प्लाट देने की बात की है यह भी अभी नहीं दिए गए हैं इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिगृहीत कृषि योग्य भूमि का प्रतिकर साढ़े 4 हजार रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है । इसको मैं निश्चित रूप से दिखवा लूंगा कि प्रतिकर दिया गया ह कि नहीं दिया गया है ।

बस्ती जिले की औद्योगिक इकाई को विद्युत् शुल्क की कथित छूट

*16--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि बस्ती जनपद के किसी औद्योगिक इकाई के विद्युत् का बकाया पर (पूर्णतः अथवा अंशतः) छूट दिये जाने का प्रश्न शासन अथवा परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कौन सी औद्योगिक इकाई है और कितनी छूट दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है तो वह क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस समय बस्ती जनपद के किसी औद्योगिक इकाई के विद्युत् बकाया पर (पूर्णतः अथवा अंशतः) छूट का प्रश्न परिषद् अथवा शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इस समय विचाराधीन नहीं है । मंत्री जी का इस समय से क्या तात्पर्य है । वर्ष 80 में कोई इस तरह का मामला विचाराधीन था, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस समय का अर्थ था कि जिस समय प्रश्न पूछा गया था और अब जो उत्तर दिया जा रहा है, इसके बीच का समय माननीय सदस्य और पीरियड के बारे में पूछेंगे, तो देख कर उत्तर दिया जायगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, प्रश्न में यह भी लिखा है कि क्या विचाराधीन है और वहीं यह भी है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है, तो वह क्या है ? यदि विचाराधीन नहीं है, तो कोई निर्णय ले लिया गया है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर दिया है कि विचाराधीन नहीं है, तो निर्णय होने का प्रश्न नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रश्न है कि इस समय क्या विचाराधीन है या निर्णय हो चुका है, दोनों ही प्रश्न हैं । स्पष्ट प्रश्न है क्या किसी औद्योगिक इकाई के बकाय की छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है या इस पर कोई निर्णय लिया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष--

दोनों का उत्तर दिया है कि विचाराधीन नहीं है, इसलिए निर्णय का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, क्या इससे पहले विचाराधीन था । यदि इस समय नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

इसके लिए अलग से सूचना की जरूरत पड़ेगी ।

एस० एफ० डी० ए० तथा गाजीपुर-बलिया एकीकृत क्षेत्र विकास एजेन्सी के अधिकारियों, का प्रतिनियुक्ति भत्ता

*17--श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सोसाइटीज ऐक्ट के अंतर्गत एस० एफ० डी० ए० तथा एकीकृत विकास क्षेत्र एजेन्सी, गाजीपुर, बलिया गठित की गई है ? दोनों प्रकार के अभिकरण एक ही तरह के कार्य करते हैं किन्तु एस० एफ० डी० ए० में अधिकारियों को 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो एकीकृत विकास एजेन्सी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

एस० एफ० डी० ए० तथा गाजीपुर-बलिया एकीकृत क्षेत्र विकास एजेन्सी दोनों का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत हुआ है ।

गाजीपुर-बलिया एजेन्सी प्रयोगात्मक रूप में चलाई जा रही है । दोनों एजेन्सीज के कुछ कार्य समान हैं लेकिन एकीकृत एजेंसी के कार्यकलाप वृहद् होने के कारण उनमें कुछ भिन्नता है ।

एस० एफ० डी० ए० के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है । एकीकृत एजेन्सी के अधिकारियों को भत्ता न देने का कारण है कि एजेन्सी को राज्य सरकार द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसमें अधिकारियों को वेतन, भत्ते एजेन्सी द्वारा दिए जाते हैं । इस प्रकार यह एजेन्सी एक सरकारी विभाग की तरह कार्य करती है केवल त्वरित विकास के लिए एजेन्सी गठित की गई है ।

देवरिया जिले के ग्राम रामपुर बगहा की चकबन्दी सम्बन्धी ज्ञापन

18--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर बगहा तहसील हाटा, जनपद देवरिया में चकबन्दी में हुयी बड़े पैमाने पर धांधली, जालसाजी, रिश्वतखोरी एवं गंभीर अनियमितताओं के बारे में बीस विधायकों द्वारा मुख्य

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

मंत्री को दिये ज्ञापन दिनांक 23-9-80 जिसके प्राप्त होने की सूचना उनके पत्र संख्या 5005, दिनांक 8-10-80 द्वारा दी गई है उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उक्त ज्ञापन में की गयी शिकायतों की जांच पहले ही करायी जा चुकी थी अतः पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा दिखाया गया मुरादाबाद दंगे का चलचित्र

*19--श्री हुकम सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि मुरादाबाद नगर में माह अगस्त, 1980 और उसके पश्चात् हुये दंगों के चलचित्र, जो पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा दर्शाये गये, का संकलन प्रदेश सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपर्युक्त के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराके दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर जिले में बाढ़ के फलस्वरूप काटी गयी विद्युत् लाइन

*20--श्री जंगबहादुर--

क्या विद्युत् मंत्री को यह जानकारी है कि गोमती बाढ़ के कारण जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र सुरल व बदलापुर की नलकूप की लाइन 2-1/2 माह से अधिक समय तक काट दी गई थी ? यदि हां, तो इस अवधि का बिजली चार्ज उपभोक्ताओं से कम करके वसूला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, लखनऊ की रूप-रेखा तैयार करने हेतु समिति का गठन

*1--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में हाल ही में स्थापित संजय गांधी मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट (मेडिकल) के प्लानिंग तथा आर्गनाइजिंग कमेटी के वर्तमान चेयरमैन (डा० डी० एन० शर्मा, भू० पू० स्वास्थ्य निदेशक) को न तो किसी इन्स्टीट्यूट में अध्यापन, रिसर्च तथा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अनुभव है और न ऐसे किसी इन्स्टीट्यूट को चलाने का ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए कोई ऐसी कमेटी गठित करने पर विचार करेगी जिसमें अनुभवी वैज्ञानिक तकनीकी चिकित्सा के ज्ञाता प्रशासनिक योग्यता (आई० ए० एस०)

इंजीनियर्स तथा डाक्टर्स हों, और उसका चेयरमैन कोई अनुभवी मेडिकल प्रोफेसर, वाइस चांसलर या डीन आफ मेडिकल फैकल्टी हो जिससे उनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ उक्त संस्थान को मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज की स्थापना हेतु उसकी रूप रेखा तैयार करने के लिये डा0 डी0 एन0 शर्मा, अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई थी :--

(1) डा0 जे0 एस0 नेको, निदेशक, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ ।

(2) डा0 वी0 रामालिन्गा स्वामी, महानिदेशक, इन्डियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली (भूतपूर्व डाइरेक्टर आफ आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली) ।

(3) डा0 एम0 एल0 धर, अध्यक्ष, एकेडेमिक बाडी, आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली (भूतपूर्व डाइरेक्टर, सी0 डी0 आर0 आई, लखनऊ) ।

(4) उत्तर प्रदेश शासन के वित्त सचिव, नियोजन सचिव तथा स्वास्थ्य सचिव ।

(5) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

(6) कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ।

इसके अतिरिक्त डा0 पी0 एन0 वाही, भूतपूर्व डाइरेक्टर जनरल आई0 सी0 एम0 आर0, भूतपूर्व कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय तथा भूतपूर्व प्रधानाचार्य, आगरा मेडिकल कालेज को भी विशेष आमंत्री के रूप में रखा गया था । डा0 शर्मा के ज्ञान तथा अनुभव पर भलीभांति विचार करने के पश्चात् ही उन्हें उक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया था । इन्स्टीट्यूट की स्थापना विषय रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई । अन्य कोई समिति गठित करने का कोई विचार नहीं है ।

ओला, सूखा एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की लगान माफ किये जाने की मांग

**2--श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीन वर्ष का (1977-78, 1978-79 तथा 1979-80) का ओला, सूखा तथा बाढ़ के कारण जो किसानों से लगान वसूल नहीं किया गया उसे माफ करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जैराज गौतम--

लगान की माफी व्यक्तिगत मामलों में हुई फसल की क्षति के आधार पर रेवेन्यू मैनुअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दी जाती है, जिसके लिये प्रस्ताव शासन को राजस्व परिषद् के माध्यम से प्राप्त होते हैं । ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्थगित लगान की माफी बिना क्षति का ध्यान रखते हुये सामान्य रूप से दी जाय ।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ित लोगों को 39 करोड़ रुपये का अनुदान और गृह अनुदान में दिया गया है और पूरे प्रदेश में लगान 34 करोड़ रुपये हैं। ऐसी हालत में लगभग 8 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के लगान से प्रभावित हो रहे हैं। अतः क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है, जिससे प्रदेश के सारे किसान जो बाढ़ से, ओले से और सूखे से प्रभावित हैं, उनका लगान माफ किया जाय। यदि नहीं, तो किस तरह उनको सहायता दिये हैं और आगे क्या इस पर सोच रहे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जब कभी दैवी आपदा आती है, तो उसके लिये माफी का प्राविधान है। वह हमारे रेवेन्यू मैनुअल भाग—1, अध्याय—6 के अन्तर्गत है। जब फसल का नुकसान होता है, 12 आने से ऊपर पर पूरा लगान माफ हो जाता है, 10–12 आने पर 10 आने की माफी, 8–10 आने में 6 आने लगान की माफी का प्राविधान है। अभी तक जो माफी दी गई है, वह 2,85,00,000 रुपये दी गई है, इस तरह के कागजात आये हैं। 4 करोड़ से अधिक के कागजात आ गये है, माफी करने का वह हो जायेगा। 1388 फसली में खरीफ का है, उसके कागजात अभी नहीं आये हैं, उसका भी हो जायेगा। इस तरह माफी का प्राविधान है। अलग-अलग मामलों में अलग-अलग आदेश हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ से पूरा माफ करने का नहीं है। मान्यवर, सदन की नोटिस में एक बात और मैं लाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में 2,73,00,000 खाते हैं, जिसमें से 1,71,00,000 खाते ऐसे हैं जिनकी होल्डिंग है 3–1/8 एकड़ के हैं, उनको लगान नहीं देना पड़ता है। 70 प्रतिशत लगभग इसमें कवर्ड हो जाते हैं और 30 प्रतिशत बचते हैं, जिसमें बताया है कि इस तरह का प्राविधान है। स्थगित जो लगान वसूल करने का है, उसमें भी माननीय सदस्यों को भेजा है कि इस तरह से हम उसको वसूल कर रहे हैं। जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है वहां तो कुछ किश्तों में वसूल कर रहे हैं और जहां पर इससे कम का नुकसान हुआ है, यानी इससे नीचे (50 फीसदी से) का नुकसान हुआ है वहां पर तीन–तीन किश्तों में वसूल कर रहे हैं।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तीन साल से लगान मुलतवी है जहां पर, वहां एक साल का लगान देने के लिये भी किसान सक्षम नहीं है और वहां शासन की ओर से जो आदेश दिये गये हैं कि किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल किया जाय, और जबरदस्ती लगान वसूल किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुर्की की जा रही है, तो क्या शासन ऐसा कोई आदेश करेगा कि तब तक लगान वसूल नहीं किया जायेगा जब तक हेडक्वार्टर से कागज न पहुंच जायं, तो क्या मन्त्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आदेश पहले से ही पहुंच गये हैं कि जहां वे समझते हैं कि 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां वे अपने विवेक से माफी दे सकते हैं, चाहे उस सम्बन्ध में तब तक हेडक्वार्टर से कागज पहुंचे या नहीं, उसके बाद कागज भेजे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं

कि कागज पहुंचे, तब वे वहां पर माफी के आदेश दें। अपने विवेक से जहां वे समझते हैं कि रेवेन्यू मैनुअल के आधार पर अध्याय 6 के पैरा 166 के तहत, वहां वे खुद कार्यवाही कर सकते हैं, या कर रहे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि परिस्थितियों को वे भी समझ रहे हैं। यहां सालों तक उनकी पार्टी राज्य करती रही है, आज राज्य नहीं कर रही, यह बात नहीं है। स्पष्ट है कि मन्त्री जी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी रेवेन्यू मैनुअल के उन नियमों में परिवर्तन करने की दिशा में विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

रेवेन्यू मैनुअल तो बहुत स्पष्ट है, उससे अधिक सुविधा हम समझते हैं कि नहीं हो सकती।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 166 का जिक्र किया है, क्या यह 70-80 बरस पुराना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके ऊपर विचार करेगी कि समय की आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने पहले ही बताया कि लगान बहुत ज्यादा नहीं है रेवेन्यू मैनुअल में।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, हम पूछ क्या रहे हैं और वे हमें दूसरी बात बता रहे हैं कि लगान बहुत ज्यादा नहीं है। यह रेवेन्यू मैनुअल जो 1904 का बना हुआ है और उसको बने आज जो हैं 76 वर्ष बीत गये हैं, उसमें क्या तरमीम करने पर सरकार विचार करेगी ? जो आज के युग के अनुरूप हो कि ओला, सूखा और बाढ़ से जो नुकसान किसानों को होता है उससे उनको राहत कैसे मिल सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उन नियमों में सब दिया हुआ है इसका उसमें कोई संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

बाढ़ और ओले से जो नुकसान हुआ है वह अगर 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान है, तो वहां सरकार छूट देगी और जहां कम हुआ है, वहां छूट नहीं दी जायगी, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने को तैयार है कि खातेवार रिलीफ खतौनी के हिसाब से छूट दी जाय।

श्री बैजनाथ कुरील--

व्यवस्था यह है कि रिलीफ खतौनी के हिसाब से रिलीफ दी जाती है लेकिन जैसा मैंने बतलाया अपने विवेक से भी दी जा सकती है। रिलीफ खतौनी बनने में देर लगती है।

श्री भीखालाल--

1978, 1979, 1980 लगातार तीन फसलों में कास्तकार को नुकसान हुआ है जब कि रेवेन्यू मैनुअल में नियम किसी एक फसल की कल्पना करके बनाये गये हैं, तो क्या इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए शासन इस बात पर विचार करेगा कि जिन इलाकों में 8 आने से ज्यादा नुकसान हुआ है लगातार तीन वर्ष तक उनका पूरा लगान माफ कर दिया जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैनुअल के हिसाब से खरीफ की फसल में माफी नहीं दी जाती है लेकि चूंकि तीन फसलों में लगातार नुकसान हुआ है काश्तकारों को इसलिये खरीफ तथा रबी सब फसलों को मिला कर उनको माफी दी जायगी ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि विवेक के आधार पर अधिकारी लगान माफी करेंगे । दो करोड़ रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिये दिया गया, लेकिन हिसाब अगर लगाया जाय तो 67 रुपये प्रति चूल्हा बैठता है लेकिन सीतापुर में 33 प्रतिशत लोगों को बटा ही नहीं और जिन लोगों ने गोलमाल किया और अधिकारियों को खिलाया उनको 250 रुपये तक मिल गया, तो यह जो विवेक के हिसाब से अधिकारियों को छूट देने का अधिकार सरकार ने दिया है, इससे क्या वह प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ाने की साजिश अधिकारियों के साथ मिल कर कर रही है और क्या इसके रोकथाम के लिये वह रेवेन्यू मैनुअल में परिवर्तन करने की व्यवस्था करेंगी ?

(मन्त्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री खियासत हुसैन--

86 फसली तथा 87 फसली में नुकसान हुआ है और मंत्री जी ने कहा कि अभी तक दो करोड़ 85 लाख रुपया राइट आफ हुआ है और 4 करोड़ रुपया पैंडिंग है, जिनके लिये आदेश देने शेष हैं । माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, तो अधिकारियों का विवेक केवल यह होता है कि तहसील की डिमांड बेबाक हो जाय और इसी के लिये वह प्रयास भी कर रहे हैं । इस सब को मद्देनजर रखते हुए क्या माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितने प्रोपोजल्स आये हैं उनकी अन्तिम रूप से एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृति दे कर जिले-जिले की सूचना भेज दी जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने बताया कि 4 करोड़ के ऊपर के प्रस्ताव आ चुके हैं । उनको जल्दी से जल्दी सरकार निपटा देगी । बाकी जो आने को हैं उनको बाद में देखा जायगा ।

श्री राम सागर--

78 तथा 79 के वर्षों में जनपद बाराबंकी में ओला वृष्टि से काफी नुकसान हुआ और तमाम काश्तकारों की अफीम की खेती नष्ट हो गयी । उन काश्तकारों को लाइसेन्स से वंचित कर दिया गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से

श्री राम सागर—

जानना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की अफीम ओला गिरने से नष्ट हुई है और लाइसेन्स देने से उनको वंचित कर दिया गया है, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे कि उनको अफीम का दुबारा लाइसेन्स मिल जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसको अलग से पूछिये, जिले का सवाल है।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, बाढ़ और सूखे के कारण लगान में छूट दे दी गयी है जो शासन ने स्वीकार कर लिया है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि काश्तकारों को जो छूट दी गयी है, उसकी पर्ची उनको मिल जाय और लगान में कितना रुपया छूट आता तब तक लगान वसूली स्थगित करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह जो वसूली हो रही है यह उसी चीज को ध्यान में रख कर हो रही है कि जहां पर इतना नुकसान हुआ है कि वहां माफी देने की आवश्यकता है, उसको छोड़ कर जो है, वसूली हो रही है, वह भी किश्तों में हो रही है। छोटे काश्तकारों से नहीं लिया जा रहा है। सारी सुविधायें हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि वसूली क्या होगी, कितनी होगी, कितनी छूट होगी यह जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि शासन की ओर से बार-बार रेडियोग्राम जा रहे हैं कि वसूली अधिक से अधिक की जाय। इस कारण जिलाधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या माननीय राजस्व मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी इस आशय की घोषणा अभी सदन में करेंगे कि जिलाधिकारी ने जो टारगेट्स तय किये हैं कि इतनी वसूली जरूर कर ली जाय उससे मुक्त कर देंगे जिससे कि वह निष्पक्ष हो कर अपने विवेक का इस्तेमाल करें अन्यथा जो जबरदस्ती से रेवेन्यू वसूल की जा रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया जा चुका है, पिछले तीन साल में बकाये की केवल तिहाई वसूली के आदेश दिये जा चुके हैं। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है पूरी वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता। उतनी वसूली से ज्यादा का प्रश्न ही नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि चूंकि सूखे, बाढ़ और ओले की समस्या प्रति वर्ष होती है और किसानों को वक्त पर सहायता नहीं मिल पाती तो कोई स्थायी व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ताकि जैसे ही वे प्रभावित हों उनको तुरन्त सहायता मिल जाय।

श्री बैजनाथ कुरील—

जो प्राविधान है, उसी के अनुसार सुविधा मिलेगी।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में शुगर काम्प्लेक्स की स्थापना सम्बन्धी पत्र

1—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक का पत्र दिसम्बर, 1980 में इस आशय का मिला था कि प्रदेश में शुगर काम्प्लेक्स लगाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना म प्रबन्ध किया जाय ? यदि हां, तो पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ? और सरकार ने उसके विषय में क्या कार्यवाही की ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

जी हां, माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा, विधायक का ही पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र की मुख्य बात निम्न प्रकार हैं :

(1) सार्वजनिक क्षेत्र में शुगर काम्पलेक्स गठित किया जाये, जिसमें धनदाता, उत्पादक तथा उपभोक्ता का प्रबन्ध में समान अधिकार हो तथा धनदाता को निश्चित लाभ का चौथाई भाग और शेष 3/4 भाग उत्पादकों को प्राप्त हो तथा घाटा होने पर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की हो।

(2) चीनी उद्योग के बाई-प्रोडक्ट्स उपयोगिता की योजना बने जिसके अधीन फफ्यूरल केनाइट बोर्ड, भत्ता, अखबारी कागज, पावर अल्कोहल रंग व मोम आदि वस्तुओं को बनाया जाये ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके तथा चीनी सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को मिल सके।

(3) आलू, शकरकंद, गाजर आदि से यदि पावर अल्कोहल बन सके तो उसे बनाने की तैयारी की जाये।

काम्पलेक्स स्थापित करने हेतु सहकारी क्षेत्र में छठीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित की गई हैं :

(1) बाजपुर सहकारी चीनी मिल में स्थापित वर्तमान आसवनी की क्षमता का 25,000 लीटर से बढ़ाकर 50,000 लीटर प्रतिदिन का विस्तार।

(2) मझौला (पीली भीत) अनूपशहर (बुलन्दशहर) तथा नानौता (सहारनपुर) चीनी मिलों में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता की आसवनियों की स्थापना।

(3) रुद्रविलास सहकारी चीनी मिल, विलासपुर (रामपुर) में खोई पर आधारित कागज का एक छोटा कारखाना (20 टन प्रतिदिन क्षमता का लगाना।

(4) बाजपुर सहकारी चीनी मिल, बाजपुर (नैनीताल) द्वारा पावर अल्कोहल के उत्पादन हेतु योजना।

2—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[30-1-81 की अतारांकित प्रश्न संख्या 70 द्वारा उत्तरित।]

बिक्री-कर विभाग में टंककों की आशुलिपिक पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी कथित नियमावली

3--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, 1973 में बिक्री-कर विभाग में टंककों को आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत न किये जाने के सम्बन्ध में नियमावली बनी थी तथा अक्तूबर, 1973 में विभाग द्वारा आदेश दिये गये थे कि इस अवधि में पदोन्नत आशुलिपिकों को प्रत्यावर्तित न किये जायें ? यदि हां, तो बरेली रेंज एवं कानपुर रेंज में अब तक ऐसे कितने आशुलिपिक हैं जो प्रत्यावर्तित कर दिये गये हैं ? और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनवरी, 1973 में टंककों को आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत न किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियमावली नहीं बनी थी और न ही अक्तूबर, 1980 में विभाग द्वारा ऐसे कोई आदेश दिये गये थे कि इस अवधि में पदोन्नत आशुलिपिकों को प्रत्यावर्तित न किया जाय । टंककों को पदोन्नति देकर आशुलिपिक तैनात करने का कोई नियम नहीं है । अतः प्रत्यावर्तन का अथवा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

4--श्री राम कुमार भार्गव तथा डा० विनोद कुमार तिवारी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26-12-80 को प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों का बकाया है और उसका भुगतान दिलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक काश्तकारों को भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के दिसम्बर, 1980 के अन्त तक के बकाया गन्ना मूल्य की चीनी मिलवार स्थिति संलग्न तालिका में दी गई है । अवशेष धनराशि के भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

फैजाबाद जिले के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

5--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा, अकबरपुर, बीकापुर तथा फैजाबाद तहसील, जनपद फैजाबाद में किसानों द्वारा कृषि कार्य सिंचाई हेतु नलकूप विद्युत् लाइन हेतु कितने आवेदन-पत्र 1-12-80 तक विचाराधीन हैं तथा लाइन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद फैजाबाद में सिंचाई कार्य हेतु दिनांक 1-12-1980 को 4615 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे । विचाराधीन पत्रों में से टांडा तहसील में 567,

---

छापी नहीं गई ।

अकबरपुर तहसील में 1183, बीकापुर तहसील में 2211 तथा फैजाबाद तहसील में 654 थे। कनेक्शन दिये जाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। वर्ष 1980-81 के लिये जनपद फैजाबाद में धन की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित कुल लक्ष्य 1250 के विरुद्ध 30-11-1980 तक 617 तथा 31-1-1980 तक 910 नलकूपों को कनेक्शन दिया जा चुका है।

चकबन्दी लेखपालों की कोटिक्रम सूची

6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे प्रदेश में चकबन्दी लेखपाल के आधार पर चकबन्दीकर्त्ता (कानूनगो) पद हेतु पदोन्नति के लिये बनी है ? यदि हां, तो उसके प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं ? यह सूची कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां।

चकबन्दी लेखपालों की कोटिक्रम सूची दिनांक 6-10-1979 को प्रकाशित की जा चुकी है।

श्री के० सी० गुप्ता, भूतपूर्व बिक्री-कर अधिकारी, बदायूं द्वारा दिया गया कोल व्यापारियों को पंजीयन

7--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं में वर्ष 1976-77 में तैनात श्री के० सी० गुप्ता, बिक्री कर अधिकारी ने निम्न 4 कोयला व्यापारियों को पंजीयन फर्जी जमानत नामों पर जारी किये हैं--

1--सर्वश्री सिंह कोल ट्रेडर्स, बदायूं 76-77

2--मैसर्स सिंह कोल मर्चेन्ट, बदायूं 76-77

3--मेसर्स शिव पूजन कोल एजेन्सी, बदायूं 76-77

4--मेसर्स प्रेम नारायन कोल एजेन्सी, बदायूं 76-77

यदि हां, तो श्री गुप्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

बदायूं के इन चारों कोयला व्यापारियों को वर्ष 1976-77 में पंजीयन स्वीकृत नहीं किया गया था, वरन् इन फर्मों को वर्ष 1975-76 में ही पंजीयन दिया गया था। इन चारों फर्मों को पंजीयन देने से पूर्व बिक्रीकर अधिकारी श्री के० सी० गुप्ता ने स्थानीय जांच नहीं की और न ही जमानत नामों का सत्यापन कराया था। इन अनियमितताओं के लिये श्री गुप्ता को आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा दिनांक 28-3-78 को एक कठोर चेतावनी दी गई थी।

सहकारी चीनी मिल, बदायूं के मजदूरों का अनशन एवं श्री पानसिंह यादव की पिटाई तथा मिल की बन्दी

8-9--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल शील, जिला बदायूं में मजदूरों की 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन श्रम आयुक्त, बरेली को मजदूर यूनियन ने दिया है जिस पर श्रम आयुक्त ने कई बार मीटिंग बुलायी और चीनी मिल के अधिकारी नहीं आये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त, बरेली के बुलाने पर जब मिल के अधिकारी नहीं गये तो मजदूरों ने मिल गेट पर 15-12-80 से क्रमिक अनशन शुरू किया ? यदि हां, तो 190 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया और पान सिंह यादव को इतना मारा गया कि वह अधमरा हो गया ? यदि हां, तो इसकी जांच की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सहकारी चीनी मिल श्रमिक संघ, बदायूं ने दिनांक 16-9-80 द्वारा एक 14 सूत्रीय मांग-पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर वार्ता करने हेतु दिनांक 25-11-1980 को अपरान्ह 3 बजे उप श्रमायुक्त, बरेली ने एक बैठक बुलाई थी, परन्तु मिल के गन्ने की कमी होने के कारण प्रधान प्रबन्धक एवं अन्य अधिकारी गन्ना उपलब्धि की व्यवस्था करने में अधिक व्यस्त थे । अतः उक्त तिथि को उप श्रमायुक्त के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके । पर स्थानीय स्तर पर श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों से समय-समय पर वार्ता होती रही, और 28-11-80 के सांय-काल 6 बजे सभी मांगों पर एक यूनियन के प्रतिनिधियों से समझौता हो गया । दूसरी यूनियन से सम्बद्ध मजदूरों ने दिनांक 15-12-1980 से क्रमिक अनशन आरम्भ कर दिया । दिनांक 20-12-80 को श्री पान सिंह तथा उनके सहयोगियों ने एकत्रित होकर प्रधान प्रबन्धक पर कातिलाना हमला किया, जिससे उनके गम्भीर चोटें आई । घटना की सूचना पुलिस कोतवाली, बदायूं पर होने पर पुलिस द्वारा 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया (190 को नहीं) प्रधान प्रबन्धक द्वारा बताया गया है कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि श्री पानसिंह यादव को इतना मारा गया कि वह अधमरा हो गया ।

10--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मंत्री को पता है कि उक्त सहकारी मिल बन्द कर दी गयी है, जिससे गन्ना किसानों को क्षति हो रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या गन्ना विकास मंत्री जी बतायेंगे कि मजदूरों का एक लाउड स्पीकर, एक दरी, छः कम्बल, छः गद्दे आदि गायब हो गये हैं ? क्या इसकी जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्री पान सिंह आदि के झगड़े के कारण सहकारी चीनी मिल, बदायूं 20-12-1980 को सांयकाल साढ़ सात बजे बन्द हो गई थी, परन्तु अगली सुबह लगभग 5 बजे पुनः चालू कर दी गई थी । तब से कुछ अवसरों को छोड़कर मिल सुचारु रूप से चल रही है व कृषकों का गन्ना नियमित रूप से क्रय किया जा रहा है ।

मजदूरों का उल्लिखित सामान गायब होने की बात निराधार है : सरसावां शुगर मिल, सहारनपुर के प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध ज्ञापन

11--श्री ऊबल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर चीनी उद्योग श्रमिक संगठन व सरसावां शुगर मिल के प्रधान प्रबन्धक के खिलाफ जिलाधीश, सहारनपुर को अपनी मांगों के सम्बन्ध में ता० 24-12-80 को एक ज्ञापन दिया है और उनकी प्रतिलिपि, प्रधान प्रबन्ध निदेशक, सहकारी मिल संघ, उ० प्र०, सचिव एवं आयुक्त चीनी उद्योग, मा० मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा श्रम मंत्री को भेजी है ? यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां । श्रमिक संगठन के उक्त मांग पत्र पर जांच कराई गई । सरसावां चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोप निराधार पाये गये ।

लखनऊ जिले के ग्राम बरगवां के खाता संख्या 807 की भूमि

12--श्री दीना नाथ--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद में तहसील मलिहाबाद (काकोरी-बिजनौर) में ग्राम बरगवां की खतौनी संख्या 1384 से 1389 खाता नं० 807 कब से किसके नाम से है और वह भूमि खातेदार द्वारा किस प्रकार अर्जित की गयी है क्या यह सही है कि उक्त जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इटावा जिले के असेनी विधूना व सहार बेला विद्युत् लाइनों के तारों की चोरी

13--श्री धनी राम वर्मा--

क्या विद्युत मंत्री को ज्ञात है कि विधूना बेला बिजली लाइन एवं असेनी-विधूना बिजली लाइने, सहार-बेला लाइन के कई बार विद्युत् तार चोर काट ले गये हैं और उपरोक्त विद्युत् लाइन खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त लाइनों की परिधि में बसने वाली जनता के हित में इन लाइनों को पुनः ठीक करवा कर तथा तारों की चोरी को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इटावा जनपद में असेनी से विधूना 33 के० वी० की लाइन है जो चालू है । विधूना-बेला तथा सहार-बेला 10 के० वी० की लाइने हैं, जो तारों की चोरी हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने पर खराब पड़ी हैं । इन 10 के० वी० लाइनों पर तार की चोरी पुनः हो जाने की संभावना तथा विद्युत की मांग न होने की स्थिति में उनको ठीक करके पुनः चालू किया जाना उचित नहीं समझा

गया । विधूना–बेला तथा सहार बेला 11 के0 वी0 लाइनों को ठीक करके पुनः चालू किया जाना उक्त लाइनों पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा कनेक्शन लिये जाने पर निर्भर करता है । क्षेत्र में तारों की चोरी रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

टान्डा, जिला फैजाबाद की कतिपय ग्राम सभाओं को बस्ती जिले में सम्मिलित किये जाने का अधिसूचना

14––श्री गोपी नाथ वर्मा––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टान्डा जनपद फैजाबाद के 62 ग्राम सभाओं को जिला बस्ती में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में सन् 1977–78 में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील––

यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यु0 पी0 ऐक्ट संख्या 3, 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित अधिसूचना जारी करने के लिये रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 1659 के उपबन्धों के अधीन सम्बद्ध व्यक्तियों के सूचनार्थ एवं उनकी आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए दिनांक 30–3–1978 को असाधारण गजट में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ।

प्रदेश में विद्युत् उत्पादन

15––श्री मित्रसेन––

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के वाष्प एवं जल उत्पादन इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है और वर्ष 1980 में विद्युत् उत्पादन का प्रतिशत क्या रहा है ? इकाइयों के उत्पादन क्षमता से वर्तमान उत्पादन में गिरावट का प्रतिशत क्या है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्मदत्त –

प्रदेश में विद्युत इकाइयो की कुल अधिष्ठापित क्षमता 3253·35 मेगावाट है जिसमें 1176·35 मेगावाट जल विद्युत तथा 2077 मेगावाट तापीय क्षमता है इस क्षमता में 196 मेगावाट क्षमता रिवर साइड पावर हाउस कानपुर एवं अन्य छोटे तथा पुराने विद्युत गृहों की भी है ।

वर्ष 1980 में (जनवरी 80 से दिसम्बर 80) जल विद्युत एवं तापीय इकाइयों द्वारा अलग–अलग विद्युत् उत्पादन क्रमशः 2997·365 तथा 6745·216 मिलियन यूनिट रहा। इस प्रकार वर्ष 1980 में कुल विद्युत उत्पादन 9742·581 मिलियन यूनिट हुआ जो अधिष्ठापित क्षमता का 34·8 प्रतिशत है (30·9 प्रतिशत जलीय एवं 37 प्रतिशत तापयीय) ।

जल विद्युत इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन सामान्यतया जल की उपलब्धता एवं विद्युत आपूर्ति तथा मांग पर निर्भर करता है ।

तापीय इकाइयों का वर्ष 1980 में उत्पादन 37 प्रतिशत रहा है जो अवश्य कम है और उसके कारण निम्नलिखित है :

जल विद्युत् उत्पादन--

वर्ष 1979 में अनावृष्टि के कारण वर्ष 1980 में जनवरी से वर्षा तक जल की उपलब्धता बहुत ही कम होना ।

तापीय विद्युत् उत्पादन--

(1) तापीय विद्युत् गृहों को पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छी क्वालिटी के कोयले का न मिलना ।

(2) हरदुआगंज (अ) विद्युत् गृह में यूनिट ट्रान्सफार्मर में आग लग जाने के कारण 70 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का उपयोग न हो पाना ।

(3) वर्ष 1979 में भीषण अनावृष्टि एवं सूखे की स्थिति के कारण तापीय इकाइयों का वार्षिक रख रखाव, जो मूलतः वर्षा ऋतु में किया जाता है, नहीं दिया जा सका और उनको जहां तक सम्भव हो सका लगातार चलाया गया । अतः 1980 में जब वृष्टि अच्छी हुई अधिक से अधिक इकाइयों का अनुरक्षण एवं पूर्ण रूपेण ओवर हालिंग करना आवश्यक हो गया, ताकि इकाइयां अधिक खराब न हों और आगामी रबी की सिंचाई में व्यवधान न पड़े ।

(4) जैसा कि पहले कहा जा चुका है कुल तापीय अधिष्ठापित क्षमता में 196 मेगावाट क्षमता बहुत पुराने एवं छोटे तापीय विद्युत गृहों की है, जहां पर मशीनें बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं और अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं ।

(5) इसके अलावा 1,400 मेगावाट क्षमता, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इकाइयों की है, जो अनपरा, पनकी तथा हरदुआगंज तापीय विद्युत गृहों में लगी हैं । इन इकाइयों में अभी तक बहुत सी कमियां हैं जिसके कारण उत्पादन क्षमता से काफी कम है । इन परिस्थितियों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं ऊर्जा मन्त्रालय पूर्ण रूप से अवगत हैं ।

हरगांव शुगर मिल, हरगांव, सीतापुर द्वारा चीनी का उत्पादन

16--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगांव शुगर मिल, सीतापुर ने नवम्बर और दिसम्बर, 1980 में कितना गन्ना पेरा, कितनी शक्कर तैयार की, तथा रिकवरी कितने प्रतिशत हुई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

हरगांव चीनी मिल, जिला सीतापुर के नवम्बर और दिसम्बर, 1980 में गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन व औसत रिकवरी की स्थिति निम्न प्रकार रही :

	गन्ना पेराई (लाख कु0)	चीनी उत्पादन (हजार मी0 टन)	रिकवरी (प्रतिशत)
नवम्बर, 1980	6.51	5.74	8.82
दिसम्बर, 1980	8.41	8.25	9.81

शाहजहांपुर जिले के रुद्रपुर के श्री लक्ष्मण हरिजन का खलिहान भूमि सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

17—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह दिसम्बर, सन् 1980 में कोई आवेदन पत्र ग्राम रुद्रपुर परगना खेड़ी बहेड़ी, जिला शाहजहांपुर के लक्ष्मण आदि हरिजनों ने इस ग्राम में जबरिया कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा खलिहान पर कर लिए जाने के विषय में दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है और कब तक खलिहान खाली करवा दिए जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां,

दिसम्बर, 1980 में एक आवेदन पत्र ग्राम रुद्रपुर, परगना खेड़ा कोड़ी, जिला शाहजहांपुर के लक्ष्मण आदि हरिजनों द्वारा इस ग्राम में जबरिया कुछ लोगों द्वारा खलिहान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए दिया गया था। जांच कराने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम सरसवा राम गंगा नदी की बाढ़ से कट गया था। इस दैवी आपदा से पीड़ित तथा बेघर हुए कुछ असहाय लोग ग्राम रुद्रपुर की खलिहान की भूमि पर काफी समय पूर्व बसाये गए थे। इनको इस भूमि से हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी गांव में खलिहान हेतु अन्यत्र भूमि उपलब्ध है।

हरगांव शुगर मिल, हरगांव, जिला सीतापुर द्वारा शीरा से बनाया गया अल्कोहल

18—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे की हरगांव शुगर मिल सीतापुर में कितना शीरा अल्कोहल बनाने में सन् 1979-80 में खर्च हुआ ? उसमें कितना हरगांव मिल का था ? कितना दूसरे स्थानों से लाया गया ? कितना पैसा शीरा पर खर्च हुआ और उससे कितने पैसे का अल्कोहल तयार हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

हरगांव आसवनी में वर्ष 1979-80 में अल्कोहल बनाने में खर्च हुआ शीरा	4,45,189 कुन्तल (लगभग)
इस शीरे में हरगांव चीनी मिल का शीरा	1,51,280 कुन्तल ,,
अन्य चीनी मिलों से लाया गया शीरा	2,93,949 कुन्तल ,,
कुल शीरे पर हुआ व्यय	42,29,295.50 कुन्तल ,,
निर्मित अल्कोहल से प्राप्ति	लगभग 1.25 करोड़ रुपये।

19—श्री पंचानन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में शीत से हुयी कथित मृत्यु

20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान शीत का मौसम प्रारम्भ होने से 2-1-81 तक शीत से ठुठर कर प्रदेश में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? उनका नाम क्या है ? सरकार द्वारा उनके आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्तमान शीत के मौसम के आरम्भ होने से 2-1-81 तक शीत से किसी व्यक्ति के मरने की सूचना प्रदेश के किसी भी जिलाधिकारी से नहीं प्राप्त हुई है। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले के कतिपय विकास क्षेत्रों के ग्रामों का विद्युतीकरण

21—श्री मुख्तार अनीस—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के बेहटा रेउसा तथा सकरन ब्लाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण में कितने ग्राम शामिल किये गये हैं ? इन शामिल ग्रामों में कितने ग्रामों में बिजली उपलब्ध है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सीतापुर जिले के बेहटा, रेउसा तथा सकरन ब्लाक में ग्रामीण विद्युतीकरण में क्रमश 26, 32 तथा 22 ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय सीतापुर में शामिल किये गये हैं। उपरोक्त ग्रामों में से बेहटा, रेउसा तथा सकरन ब्लाक में क्रमशः 10, 4 तथा 3 ग्रामों को बिजली उपलब्ध करा दी गयी है।

22—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बिक्री-कर विभाग, बरेली रेन्ज के कर्मचारियों की हड़ताल

23—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिक्री कर विभाग के मिनिस्टीरियल स्टाफ द्वारा 2 सितम्बर, 1979 से 10 सितम्बर, 1979 तक की अवधि में श्री बी० आर० मेहरोत्रा, उपायुक्त (शा०) (बिक्री-कर), बरेली रेन्ज, बरेली के कथित अत्याचार के फलस्वरूप हड़ताल हुई थी ? यदि हां, तो क्या श्री मेहरोत्रा को बरेली रेन्ज से स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्री-कर विभाग के मिनिस्टीरियल स्टाफ द्वारा दिनांक 3-9-79 से हड़ताल हुई थी जो, दिनांक 5-9-79 को समाप्त हो गयी।

उपरोक्त हड़ताल के कारण श्री बी० आर० मेहरोत्रा, उपायुक्त (शा०) बिक्रीकर, बरेली रेन्ज को स्थानान्तरित नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें स्थानान्तरित किया जाता। सितम्बर, 1980 में कानपुर रेंज में स्थान रिक्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित किया गया, पर इसी बीच बिक्री-कर अधिकरण गठित होने पर उन्हें अधिकरण के सदस्य पद पर नियुक्त कर दिया गया जिस पर उन्होंने 3-10-80 को कार्यभार ग्रहण कर लिया।

मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र, जिला हरदोई में बाढ़

24--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1980 में अतिवृष्टि से प्रभावित समस्त ग्रामों में अनुदान एवं तकावी न दिये जाने के क्या कारण हैं और अब तक किन-किन गांवों को उक्त राहत प्रदान की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 227 ग्राम वर्ष 1980 में बाढ़/जलप्लावन से प्रभावित हुए हैं। इनमें से 77 ग्रामों में अनुदान तथा तकावी का वितरण आवश्यक सहायता के अनुसार किया जा चुका है। इन 77 ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है। शेष ग्रामों में राहत कार्य चल रहा है और यथाशीघ्र पूरा कर दिया जायेगा।

जलालपुर-छिबरामऊ विद्युत लाइन, हरदोई के तारों की चोरी

25--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत जलालपुर--छिबरामऊ विद्युत लाइन के जीर्णोद्धार न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उसका जीर्णोद्धार कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जलालपुर--छिबरामऊ लाइन पर तार की चोरी पुनः हो जाने की संभावना तथा उक्त लाइन पर विद्युत की माँग न होने की स्थिति में उसका जीर्णोद्धार किया जाना उचित नहीं समझा गया।

जलालपुर बिछरामऊ लाइन का जीर्णोद्धार किया जाना उक्त लाइन पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा कनेक्शन लिए जाने पर निर्भर करता है।

परगना कछरऊ, जिला हरदोई के शिकमी किसानों को सीरदार घोषित किये जाने की मांग

26--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के परगना कछरऊ में 10 वर्षों से भी ऊपर काबिज शिकमी किसानों को सीरदार घोषित किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस समय वहां चल रहे बन्दोबस्त के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करेंगे कि शिकमी किसानों को सीरदार के रूप में दर्ज किया जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

अनुसूचित जाति/जनजाति के खेतिहर मजदूरों द्वारा 30 जून, 1975 के पूर्व गांव सभा में निहित भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्जों को नियमित किये जाने का प्राविधान जमींदारी-विनाश अधिनियम की धारा 122-ख की उपधारा (4-च) के अधीन आरोपित प्रतिबन्धों के साथ किया जा चुका है। इससे भिन्न गांव सभा भूमि के अनधिकृत कब्जों को नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। अतः अभिलेख अधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देश देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

27—श्री भीखा लाल—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में हरिजन बस्तियों को बिजली देने के सम्बन्ध में विधान सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 78, दिनांक 23 सितम्बर, 1980 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-11-80 उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि प्रश्नोत्तर में दी गई सूचना में कुछ ऐसे गांव अंकित किये गये हैं जिनमें बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसकी जांच कराई गई ? यह गलत सूचना देने वाला कौन अधिकारी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

विस्तृत जांच प्रगति पर है । विस्तृत जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, गलत सूचना देने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

28—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[5 वें शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

सीतापुर जिले के ग्राम रेउसा हेतु विद्युत् सब-स्टेशन का प्रस्ताव

29—श्री मुख्तार अनीस—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के रेउसा ग्राम में बिजली का एक सब-स्टेशन बन रहा है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है तथा वह कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सीतापुर जिले के रेउसा ग्राम में इस समय कोई सब स्टेशन नहीं बन रहा है । एक 33 के० वी० सब-स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

ग्राम ककवन, जिला कानपुर के लेखपाल, श्री बृज नारायण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

30—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ककवन, जनपद कानपुर के सर्किल में नियुक्त पूर्व लेखपाल (श्री बृज नारायण के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों से) युक्त प्रार्थना पत्र की जो जांच माह नवम्बर, 1980 में ए०डी०एम० (आर० ए०) कानपुर ने की थी उस जांच में लेखपाल के विरुद्ध क्या-क्या आरोप प्रमाणित हुए और लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिलाधिकारी को सम्बोधित श्री मोती लाल देहलवी के पत्र दिनांक 31-10-1980 के साथ ग्राम ककवन के निवासियों के 5 प्रार्थना-पत्र श्री बृज नारायण, लेखपाल, क्षेत्र ककवन के विरुद्ध प्राप्त हुए थे जिन पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई ।

प्रारम्भिक जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :--

1--लेखपाल ने कृषकों से आबादी स्थल आबंटन हेतु अनियमित रूप से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया ।

2--लेखपाल ने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के सम्बन्ध में एक ऐसे परिवार को सहायता दिलवाई जो पात्र नहीं था ।

प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप लेखपाल को आरोपित कर, उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इसी बीच लेखपाल को ककवन क्षेत्र से सुभानपुर क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

बस्ती जिले के संग्रह अमीनों का स्थायीकरण

31-श्री सुल्तान सिंह--

विधान सभा के 1980 के प्रथम सत्र के 5वें शुक्रवार (दिनांक 3-10-80) के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विषय पर शासन द्वारा की जा रही जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि जांच अपूर्ण है तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

माननीय विधायक श्री रामआसरे वर्मा के पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1980 में उल्लिखित बातों के सम्बन्ध में जांच राजस्व परिषद के माध्यम से कराई गई । जांच आख्या शासन को दिनांक 23 जनवरी, 1981 को प्राप्त हो गई है । इस पर विचारोपरान्त कार्यवाही की जायगी ।

कलेक्ट्रेट, बाराबंकी के अनुसूचित जाति के कर्मचारी

32-श्री जमुना प्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी की कलेक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित कार्यालयों, न्यायालयों एवं तहसीलों में लिपिक श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है उनके नाम पद एवं कार्य करने का स्थान कहां है और उनमें अनुसूचित जाति के लोग कितनी संख्या में तथा उनके नाम, पद एवं काय करने का स्थान कहां है और उनका प्रतिशत क्या है ? क्या जिला बाराबंकी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार कलेक्ट्रेट के उपयुक्त कार्यालयों, न्यायालयों एवं तहसीलों में कोटे की पूर्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है और उसके लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कलेक्ट्रेट बाराबंकी के संयुक्त कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयों, न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 130 है । उनके नाम, पद एवं कार्य करने के स्थान †संलग्न सूची में दिए गए हैं । अनुसूचित जाति के कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 22 है, जो 17 प्रतिशत है । इसमें से एक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है । शेष 1 प्रतिशत कोटे की पूर्ति नए पद उपलब्ध होने अथवा सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने पर नियमों के अनुसार स्वतः हो जाएगी ।

† छापी नहीं गई ।

गोंडा जिले की कटैया भारी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की सीलिंग की भूमि

33—श्रीमती कमला साहनी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के कटैया भारी फार्मिंग सोसायटी के सीलिंग में निकली जमीनों को खेतिहर मजदूरों के नाम पट्टे म दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निकट भविष्य में उन जमीनों का पट्टा कराने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत कोआपरेटिव सोसाइटी कटैया भारी की जोत में से कोई भूमि अभी तक अन्तिम रूप से अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है । अतः उसके आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी अधीक्षकों को दिया गया शीरा लाइसेन्स के नवीनीकरण का अधिकार

34—पंचानन राय—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीरा नियंत्रण नियम 10 के अन्तर्गत (कन्ट्रोल आबकारी आयुक्त) शीरा लाइसेंस धारकों के लाइसेन्स नवीनीकरण अथवा नये लाइसेंस देने का कार्यभार हस्तान्तरित नहीं कर सकता ? यदि हां, तो वर्तमान आबकारी आयुक्त ने शीरा के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु अधिकार इस वर्ष किस नियम के अन्तर्गत आबकारी अधीक्षकों को हस्तान्तरित किया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

आबकारी अधीक्षकों को कोई अधिकार शीरा नियंत्रक द्वारा हस्तानान्तरित नहीं किया गया । प्रशासनिक हित में आबकारी आयुक्त के आदेशों पर कुछ शीरे के परमिट आबकारी अधीक्षकों द्वारा दिये गये हैं जिनके संबंध में शीरा नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

बस्ती जिले के छित्तरापार ग्राम का नदी से कटाव

35—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छित्तरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती का कितना क्षेत्रफल नदी के कटाव से 1980 में प्रभावित हुआ है । उक्त ग्राम का कितना क्षेत्रफल इस कटाव के कारण बाँगर क्षेत्र से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है । क्या इस कटाव से महादेवा बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है । यदि हां, तो सरकार बांध को बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम छित्तरापार तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती की आबादी की लगभग तीन बिस्वा भूमि नदी के कटाव से प्रभावित हुई है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित हो गई है । इस कटाव से महादेवा बांध को नदी से दूर होने के कारण कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः बांध को बचाने के लिये किसी खास कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नदी के कटाव से गांव की कृषि भूमि प्रभावित नहीं हुई है ।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम किशनी में अग्निकान्ड एवं चावल का वितरण

36--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम किशनी, तहसील मुसाफिर-खाना, जिला सुल्तानपुर में जो भीषण अग्निकांड 26-4 80 को हुआ था उसमें कितने मकान जले और सरकार द्वारा उनको क्या राहत दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने जो रिपोर्ट मा0 सचिव को भेजी है उसको कृपया सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम किशनी, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में दिनांक 26-4-80 को घटित अग्निकांड में 227 मकान जले थे। प्रभावित व्यक्तियों को 21,700 रु0 अहेतुक सहायता तथा 69,100 रु0 रु0 गृह अनुदान वितरित किया गया।

उक्त अग्निकांड में जो व्यक्ति जल गए थे, उनका तत्काल उपचार कराया गया। 45 कुन्तल 40 किलो चावल तथा दो ड्रम मिट्टी का तेल वितरित किया गया और नियंत्रित दरों पर कपड़ा व राशन भी उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क भन्डारा चलाया गया। धूप एवं गर्मी से बचाव हेतु शामियाने लगवाए गए थे तथा वन विभाग द्वारा छाजन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई।

उक्त अग्निकांड के संबंध में जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, दिनांक 28-4-80 तथा 2-5-80 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1459 पर।)

37--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम किशनी, जिला सुल्तानपुर में अग्निकांड में सहायता हेतु 100 बोरे चावल दिया गया था जिसमें से 50 बोरे चावल बांटा गया और जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने उनमें से 50 बोरे चावल रोक दिया, जो कि वर्षा में सड़ गया। उसका रोके जाने का क्या कारण था, यदि हां, तो दोषी पाये जाने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम किशनी, जिला सुल्तानपुर में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को 100 बोरे चावल की व्यवस्था पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले चावल की मात्रा में से की गई थी जिसमें से 45 कुन्तल 40 किलो चावल का वितरण हो जाने के पश्चात् शेष चावल की मात्रा का वितरण भी किशनी ग्राम में ही पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कर दिया गया था। इस प्रकार न तो चावल का वितरण रोका गया और न ही यह चावल वर्षा आदि के कारण सड़ा ही था। अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले के संग्रह अमीन, श्री हरीकान्त बाजपेई की सेवा समाप्ति

38--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संग्रह अमीन श्री हरीकान्त बाजपेई, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव की सेवायें जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 25-3-80 द्वारा समाप्त की जा चुकी हैं और श्री बाजपेई ने जिलाधिकारी, उन्नाव के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो क्या श्री बाजपेई को सेवा में ले लिया गया है और उन्हें वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री हरी कान्त बाजपेई, भूतपूर्व संग्रह अमीन, उन्नाव ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय (लखनऊ बेन्च) में रिट याचिका दायर की थी जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को निरस्त किया जा चुका है।

स्व0 श्री छत्रपाल सिंह, संग्रह अमीन, लखनऊ के जमानत की धनराशि

39--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री छत्रपाल सिंह, संग्रह अमीन, तहसील लखनऊ, जनपद लखनऊ की मृत्यु बस दुर्घटना सन् 1965 में हो गई थी जिसकी जमानत की धनराशि उनकी पत्नी को अभी तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? तथा जमानत की धनराशि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां।

स्व0 श्री छत्रपाल सिंह संग्रह अमीन की दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 30-7-1965 को हुई थी। उस समय वह लखनऊ तहसील में कार्यरत थे। दिनांक 21 जुलाई, 1964 के पूर्व वह तहसील मोहन लाल गंज, जनपद लखनऊ में तैनात थे। उनकी जमानत के कागजात इन तहसीलों में उपलब्ध न होने तथा पोस्ट आफिस पास बुक का नम्बर ज्ञात न हो पाने के कारण उनकी जमानत की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं हो सका। काफी छानबीन के पश्चात् मोहन लाल गंज पोस्ट आफिस में उनके खाते का नम्बर मिल गया है तथा उसमें सम्पूर्ण जमा धनराशि का विवरण प्रधान डाकघर, लखनऊ से प्राप्त किया जा रहा है जिसके प्राप्त होते ही जमानत धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

चकबन्दी कानूनगो, श्री हृदयानन्द तिवारी, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

40--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकबन्दी कानूनगो (श्री हृदया नन्द तिवारी) के खिलाफ शिकायती-पत्र श्री गोरख प्रसाद आदि निवासी, सेमरा, देवी प्रसाद उर्फ

कठउत, जिला गोरखपुर द्वारा जिलाधीश, गोरखपुर, चकबन्दी अफसर, गोरखपुर और ए0 आर0 ओ0 स्तमपुर, गोरखपुर को क्रमशः रजिस्ट्री पत्र द्वारा (रसीद नं0 5766, 406–5767) जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

शिकायती पत्रों पर जांचोपरान्त यह पाया गया कि सर्वे कानूनगो (श्री हृदयानन्द तिवारी) के विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार है । फिर भी श्री तिवारी को उस क्षेत्र विशेष से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

कानपुर एवं इलाहाबाद की आबकारी प्रयोगशाला के स्थानान्तरण की मांग एवं कर्मचारी तथा नमूनों का विश्लेषण

41—श्री ऊदल—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर–इलाहाबाद स्थानान्तरित प्रयोगशाला की इलाहाबाद में उपयोगिता जांचने के लिए शासन ने आबकारी आयुक्त से सूचना मांगी थी ? यदि हां, तो आबकारी आयुक्त से क्या सूचना प्राप्त हुई और प्रयोगशाला कब तक इलाहाबाद से उपयोगी स्थान का स्थानान्तरित कर दी जायगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां । आबकारी आयुक्त ने मुख्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासन को यह सूचित किया है कि वर्ष 1978–79 और वर्ष 1979–80 (15 सितम्बर, 1979 तक) में प्रयोगशाला से कानपुर और इलाहाबाद में क्रमशः 1,28,800 रु0 तथा 30,640 रु0 की आय हुई । इस अवधि में शीरे में विद्यमान शर्करा निर्धारण के विषय पर विज्ञप्ति दिनांक 8 फरवरी, 1978 के अनुपालन में शीरे के नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया और संदर्भित प्रयोगशाला से एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर को वर्ष 1977–78 में 1,11,280 रु0 की आर्थिक उपलब्धि नमूनों के विश्लेषण से हुयी थी । आबकारी आयुक्त ने मामले के प्रशासनिक और प्राविधिक पक्षों पर भी अपने मत व्यक्त किए हैं जिनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है और प्रयोगशाला के स्थानान्तरण का मामला अभी विचाराधीन है ।

42—श्री ऊदल—

शासनादेश दिनांक 24–4–78 द्वारा अलकोहल टैक्नालाजी के साथ कितने पद सृजित किये गये तब से 15 सितम्बर, 1979 तक कौन–कौन पदाधिकारी कब तक कानपुर स्थित लैब में कार्य करते रहे ? आबकारी आयुक्त के हेड क्वार्टर पर स्थित प्रयोगशाला में तथा कानपुर में नियुक्त स्टाफ द्वारा वर्ष 1978–79 तथा 1–4–79 से 15–9–79 तक किस प्रकार से कितने–कितने नमूनों का विश्लेषण अलग–अलग किया गया और उससे क्रमशः कितनी आय प्राप्त हुई ? वर्ष 1977–78 में संदर्भित प्रयोगशाला से एच0 बी0 टी0 आई0 को कितनी आय प्राप्त हुई थी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत अलकोहल टेक्नालाजिस्ट के साथ 7 अन्य पद सृजित किये गये थे। प्रयोगशाला के निम्नलिखित पदधारक उनके सामने इंगित अवधि तक कानपुर में कार्यरत रहे :—

1—अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	24-4-78 से 9-6-78 तक।
2—सहायक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	24-4-78 से 9-6-78 तक।
3—रिसर्च असिस्टेंट	24-4-78 से 9-6-78 तक।
4—टेक्निकल असिस्टेंट	24-4-78 से 15-9-79 तक।
5—टेक्निकल असिस्टेंट	24-4-78 से 15-9-79 तक।
6—टाईपिस्ट/क्लर्क	24-4-78 से 15-9-79 तक।
7—चपरासी/अर्दली	24-4-78 से 15-3-79 तक।

वर्ष 1978-79 तथा 1 अप्रैल, 1979 से 15 सितम्बर, 1979 तक कानपुर में विकारक, विकृत स्प्रिट, शोधित स्प्रिट तथा देशी सुरा के क्रमशः 1226, 237, 87 तथा 29 कुल 1579 नमूनों का विश्लेषण किया गया और उससे 1,26,320 रु0 की आय हुई। इसी अवधि में आबकारी आयुक्त के मुख्यालय इलाहाबाद में उपरोक्त प्रकार के क्रमशः शून्य, शून्य, 314 तथा 55 कुल 369 नमूनों का विश्लेषण हुआ और 29,520 रु0 की आय हुयी।

वर्ष 1977-78 में प्रयोगशाला से एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर को 1,11,280 रु0 की आय हुयी थी।

43—श्री ऊदल—

विज्ञप्ति दिनांक 6-2-1978 के अनुसार शीरे में विद्यमान किणवीय शर्करा का निर्धारण करने के लिये वर्ष 1978-79 तथा 1-4-1979 से 15-9-1979 तक डिस्टिलरियों द्वारा इस्तेमाल किये गये शीरे के कितने नमूनों का परीक्षण उपरोक्त दोनों जगहों पर लिया गया और किस-किस डिस्टिलरी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

शासन द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 1978 को शीरे में विद्यमान शर्करा निर्धारण विषयक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। आबकारी आयुक्त द्वारा इस विषय में विज्ञप्ति दिनांक 8 फरवरी, 1978 जारी की गयी थी। प्रश्नगत अवधि में इस विज्ञप्ति के अनुपालन में शीरे के नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया।

तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में बाढ़

44—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, 1980 की बाढ़ से तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के कितने क्षेत्रों में फसल नष्ट हुई और उसकी अनुमानित हानि कितनी हुई है ? राहत कार्यों में कितना धन वितरण हुआ ? क्या सरकार बाढ़ नियन्त्रण हेतु किसी विशेष योजना पर विचार हेतु विशेषज्ञों की किसी टीम द्वारा इस पीड़ित क्षेत्र का सर्वे कराने का इरादा रखती है ?

श्री बजनाथ कुरील--

माह जुलाई, 1980 की बाढ़ से तहसील तरबगंज, जिला गोन्डा में 53,654 हेक्टेयर क्षत्रफल प्रभावित हुआ । फसल की अनुमानित क्षति 2,90,10 072 रु0 की हुई । सहायता के रूप में 31-7-1980 तक 1,000 रु0 नकद तथा जिन्स के रूप में गहूं 295 क्विंटल, चना 81 क्विंटल, नमक 237 क्विंटल, दियासलाई 22,207, मिट्टी का तेल 18,539 लीटर वितरित किया गया । सहायता काय माह जुलाई 1980 के बाद भी चलता रहा और 31-12-1980 तक 13,73,318 रु0 अहेतुक सहायता, 7,89,350 रु0 गृह अनुदान, 3,20,000 रु0, आपदा तकावी एवं 2,89,850 विशेष सहायता के रूप में वितरित किये जा चुके थे । जिन्स के रूप में 31-12-80 तक गेहू 7,882 क्विंटल, चना 81 क्विंटल, नमक 900 क्विंटल, मिट्टी का तेल 43,116 लीटर तथा दियासलाई 52,098 वितरित किये जा जा चुके थे ।

उक्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण हेतु किसी विशेष योजना की आवश्यकता के प्रश्न पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से स्थिति ज्ञात की गयी है जो अपेक्षित है ।

अल्मोड़ा जिले के ग्राम गरुड़ गड़सेर के हरिजनो की बेदखली

45--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गरुड़ गड़सेर, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में हरिजन परिवारों को 1980 में बेदखल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

ग्राम गरुड़ गड़सेर, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के आरोप में दिनांक 8 अगस्त, 1979 को सात हरिजनों के विरुद्ध बेदखली के वाद दायर किये गए थे । चार मामलों में निर्णय हो चुका है जिसमें तीन मामलों में बेदखली के आदेश तथा एक मामले में नोटिस निरस्त किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा हुए हैं, परन्तु मौके पर कोई हरिजन वर्ष 1980 में बेदखल नहीं किया गया ।

शासन ने आदेश संख्या 150/27/78-(603)-राजस्व-6, दिनांक 16 फरवरी, 1981 द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे दिये है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति द्वारा बेनाप भूमि पर अनधिकृत कब्जों को उनकी समस्त जोतों को शामिल करते हुये 3 1/8 एकड़ तक की सीमा तक नियमित कर दिया जाय । अतएव इन काश्तकारों को बेदखली का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

मेरठ नगर के गोयल मेडिकल स्टोर की शराब पीने से मृत्यु

46--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 20-9-1980 को मेरठ नगर में खैर नगर बाजार के गोयल मेडिकल स्टोर से शराब खरीद कर पीकर मरने वालों की संख्या 32 हो गयी है और 10 आदमी गम्भीर हालत में है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है और इस प्रकार के मामलों को रोकने में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मेरठ नगर में 20 सितम्बर, 1980 को खैर नगर बाजार के गोयल मेडिकल स्टोर से शराब खरीदकर पीने से 32 व्यक्तियों की मृत्यु और 10 आदमियों के गंभीर हालत में होने की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुयी है। 24 सितम्बर, 1980 को जिलाधिकारी मेरठ ने शासन को यह सूचित किया था कि 20 सितम्बर, 1980 से 22 सितम्बर, 1980 की अवधि में विषाक्त पेय अथवा विषैली स्प्रिट पीने के कारण कुल 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है।

इस घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिये गए हैं और मेरठ नगर में विकृत स्प्रिट और मदिरा के नमूने लेकर उनकी रसायनिक जांच करायी गयी है। अवैध मदिरा बनाने के अड्डों पर व्यापक छापे पुलिस व आबकारी स्टाफ द्वारा डाले गये हैं। विकृत स्प्रिट व शराब की दूकानों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और संदेह होने पर दूकानों से नमूने लेने के लिये आबकारी स्टाफ को कड़े निर्देश दिये गए है।

ब्लाक ककवन एवं ब्लाक बिल्हौर, जिला कानपुर में अतिवृष्टि एवं दिया गया गृह अनुदान

47--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अतिवृष्टि के कारण घर गिरने के सरकारी घोषणा के अनुसार अनुदान पाने हेतु प्रश्नकर्त्ता ने 1 अगस्त, 1980 से 21 नवम्बर, 1980 तक अपने पत्र के साथ संलग्न कर ब्लाक ककवन व ब्लाक बिल्हौर, जनपद कानपुर के कुल कितने आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी, कानपुर व परगना अधिकारी तथा तहसीलदार, बिल्हौर के पास भेजे और क्या उनमें से किसी को घर गिरी का अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कितने लोगों को और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 1 अगस्त, 1980 से 21 नवम्बर, 1980 तक प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ संलग्न कर ब्लाक ककवन व ब्लाक बिल्हौर से सम्बन्धित अतिवृष्टि से घर गिरने के कारण अनुदान दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी, कानपुर को 162, परगना अधिकारी को 13 और तहसीलदार बिल्हौर को 26 कुल 201 आवेदनपत्र भेजे। उनमें से 98 व्यक्तियों को गृह अनुदान दिया गया। शेष 103 व्यक्ति गृह अनुदान हेतु पात्र व्यक्ति नहीं पाये गये इसलिये उन्हें अनुदान नहीं दिया गया।

गाजीपुर जिले में बकाया विद्युत् शुल्क

48--श्री राम नरायन--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में विगत 10 वर्षों में एवं मार्च, 1980 तक राज्य विद्युत् परिषद् की बिजली की बकाया धनराशि सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों, निकायों एवं अन्य व्यक्तियों के जिम्मे कितनी देय है और शासन ने उक्त धनराशि को वसूली हेतु अब तक कौन सा ठोस कदम उठाया है।

श्री ब्रह्म दत्त--

गाजीपुर जनपद में पिछले 10 वर्षों में सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों, निकायों एवं अन्य व्यक्तियों के जिम्मे बकाया विद्युत् देय धनराशि मार्च, 1971 में 11·49 लाख रु0 एवं मार्च, 1980 में 122·09 लाख रुपये थी। माह मार्च, 1980 तक इन वर्गों के विरुद्ध बकाया विद्युत् देय धनराशि का विवरण अधोलिखित है :--

		रु0
(1) सरकारी विभाग	..	2,57,935·36
(2) अर्ध सरकारी विभाग एवं निकाय	..	11,18,645·50
(3) अन्य वर्गों के उपभोक्ता	..	1,08,32,556·70

उपरोक्त वर्गों के उपभोक्ताओं से बकाया विद्युत् देय धनराशि को वसूल करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1461 पर।)

बलिया जिले में पकड़े गये आबकारी के मामले और प्रदेश में गन्ना मिलों का रद्द किया गया शीरा

49--50--श्री पुरुषोत्तम--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 की जिला बलिया में 1978-79 पुलिस द्वारा कितने आबकारी के केस पकड़े गये और इन मामलों में आबकारी विभाग द्वारा टेक्निकल सार्टिफिकेट देने में 3 माह या अधिक का समय लगाकर देरी हुई और कितने मामले इस सार्टिफिकेट के अभाव में कोर्ट में देरी से पहुंचाया नहीं जा सके।

क्या आबकरी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में प्रदेश के विभिन्न गन्ना मिलों 1,67,988 क्विंटल शीरा को रद्दी घोषित किया गया है और उसको आसवनियों या अन्य इकाइयों को नहीं दिया गया ? जिन फैक्टरियों में 1000 क्विंटल से ज्यादा शीरा रद्दी घोषित किया गया है व कौन-कौन सी गन्ना फैक्टरियां हैं तथा उनका शीरा रद्दी घोषित करने के क्या कारण हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में शराब की दुकानों की नीलामी

51--श्री दल सिंगार यादव--

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आबकारी विभाग जनपद आजमगढ़ की देशी शराब की दुकानें क्यों नहीं फुटकर नीलामी की जाती हैं ? क्या यह सही है कि फुटकर नीलामी करने से सरकार को पूर्ण लाभ होता है। गत वर्ष 1979 में फुटकर नीलामी की गयी थी उससे सरकारी राजस्व को पूर्ण लाभ हुआ था ? यदि हां, तो इस तरह की अनियमितता क्यों बरती गई ? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

नीलामी में एक-एक दूकान लेकर अथवा कुछ दुकानों का ग्रुप बनाकर अथवा दुकानों का एक ही ग्रुप बनाकर नीलाम करने पर विचार किया जाता है और तुलनात्मक रूप से जिस प्रक्रिया में अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है । तदनुसार आजमगढ़ में भी दुकानों का नीलाम किया गया । वर्ष 1979 में वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये आजमगढ़ जनपद में फुटकर दुकानों की नीलामी की गयी थी लेकिन यह सही नहीं है कि फुटकर नीलामी से लाभ हुआ था । वास्तव में ग्रुप में नीलाम करने से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ था । आबकारी दुकानों के नीलामी में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

52--श्री दल सिंगार यादव--

क्या यह बात सही है कि आजमगढ़ जनपद की समस्त शराब की दुकानों को क्यों बाहरी व्यापारियों के हाथ नीलाम एक साथ कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

वर्ष 1980-81 के नीलाम में आजमगढ़ जनपद की दुकानों को बाहरी व्यापारियों के साथ तय किया गया लेकिन यह सही नहीं है कि दुकानों का नीलाम एक साथ किया गया सर्वप्रथम प्रत्येक दुकान अलग-अलग नीलामी के लिए चुनी गई, परन्तु इस प्रकार राजस्व में लाभ न दिखाई पड़ने पर अन्त में देशी शराब की समस्त दुकानों को दो ग्रुपों में नीलाम किया गया । देश के किसी भाग का व्यापारी आबकारी नियमों के अधीन नीलाम मे भाग ले सकता है ।

53--श्री दल सिंगार यादव--

क्या आबकारी मंत्री एक-एक तहसील में अलग-अलग शराब की दुकान की नीलामी करने का आदेश करेंगे ताकि जिले के छोटे-छोटे व्यापारी भी ठेका ले सकें? आजमगढ़ में देशी शराब की दुकानें बाहरी व्यापारियों को क्यों दी जाती हैं? क्या सरकार को जानकारी है कि जिले के छोटे व्यापारी दुकान ले सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

शराब की दुकानें पहिले अलग-अलग ही नीलाम की जाती हैं और जब अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है तो दुकानों को ग्रुप में नीलाम किया जाता है । इस प्रक्रिया में अधिक बोली देकर कोई भी व्यापारी शराब की दुकान ले सकता है । नीलाम में उच्चतम बोली देकर जिले के छोटे व्यापारी भी शराब की दुकान ले सकते हैं ।

हमीरपुर जिले के ए० डी० ओ०, श्री रामेश्वर प्रसाद द्वारा खाद्यान्न की कथित बिक्री

54--श्री प्रताप नारायण द्विवेदी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 30-7-80 को ब्लाक सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर के ए० डी० ओ० (श्री रामेश्वर प्रसाद) ने सूखा राहत कार्य के लिए दिए जाने वाले अनाज के सौ बोरा बेचे जो पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं । जनपद हमीरपुर के विकास खंड सुमेरपुर के अन्तर्गत श्री रामेश्वर प्रसाद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने सूखा कार्य के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्न में से कोई खाद्यान्न नहीं बेचा और न ही ऐसी कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है ।

प्रदेश में शीरे का उत्पादन

55--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1977-78, 1978-79, 1979-80 में कुल कितना शीरा (मोलेसेज) चीनी मिलों द्वारा उत्पादित हुआ, उसमें से कितना एल्कोहल बनाने वाली मिलों को दिया गया और कितना प्रदेश से बाहर प्रति वर्ष भेजा गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

वर्ष	चीनी मिलों द्वारा उत्पादित	अल्कोहल बनाने वाली मिलों को आवंटित	प्रदेश के बाहर निर्यात
1	2	3	4
		(कुन्टल में)	
1677-78	9714213	6737863	6834
1978-79	6832062	5565018	448350
1979-80	4230966	440446	शून्य

वाराणसी जिले के ग्राम अभयनपुर उर्फ लखनपुर की ग्राम समाज की भूमि का श्री शौकत अली को पट्टा सम्बन्धी आदेश

56--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अभयनपुर उर्फ लखनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आराजी नं० 376 व 369 जो गांव समाज की आराजी थी उसको कानूनगो भदोही की रिपोर्ट एवं परगनाधिकारी, ज्ञानपुर की स्वीकृति 15-1-76 के द्वारा गांव समाज लखनपुर उर्फ अभयनपुर का नाम निरस्त कर उसकी जगह शौकत अली पुत्र अली अहमद खां, भदोही का नाम खतौनी में चढ़ाकर मालिकाना हक दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस कार्य की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? क्या इसकी स्वीकृति ता० 22-2-79 को ए० डी० एम० ज्ञानपुर ने भी दिया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । पट्टे का प्रस्ताव भूमि प्रबन्ध समिति ने किया था और परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने स्वीकृति प्रदान की थी । इस तरह श्री शौकतअली का नाम खतौनी में अंकित हो गया । नियमानुसार यह कार्यवाही अवैधानिक थी । इस समय पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही ए० डी० एम० के न्यायालय में

विचाराधीन है। निर्णय के प्रकाश में इस पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी। दिनांक 22-2-79 को ज्ञानपुर में ए० डी० एम० का कोई पद नहीं था, इसलिए उनके द्वारा पट्टा स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

57--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शौकत अली के पास एक सिनेमा हाउस, पायल तथा दसियों बीघा जमीन एवं करोड़ों का कारबार कालीन का विदेशों से एवं बीसों लाख के मकान कस्बा भदोही, वाराणसी में हैं। यदि हां, तो इनको भूमिहीन कैसे ज्ञानपुर तहसील के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मान लिया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। इन्हें भमि लघु उद्योग के लिए दी गई थी। अतः भूमिहीन मानने का प्रश्न नहीं था।

58--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री खतौनी ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी सन् 1383 से 1388 फ० में परिवर्तन सम्बन्धी आदेश सन् 1386 फ० का मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत आदेश की नकल मंगा ली गई है तथा मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

बाराबंकी जिले के शीतगृह एवं सरिया मिल पर बकाया विद्युत शुल्क

59-श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में शीतगृहों सरिया मिल तथा अन्य उद्योगों पर विद्युत विभाग का कितना बकाया है ? क्या शासन बकायादारों के नाम बताते हुए बकाया वसूली के लिए कोई उपाय करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त --

बाराबंकी जनपद में कोल्ड स्टोरेज, सरिया मिल, बड़े तथा अन्य उद्योगों पर बकाया निम्न है :--

क्रम सं०	उपभोक्ता के नाम	संख्या	बकाया धनराशि	माह तक
1	2	3	4	5
1	शीतगृह	5	63,350.20	1/1981
2	सरिया मिल	1	37,942.10	1/1981
3	बड़े उद्योग	6	3,14,835.74	1/1981
4	अन्य उद्योग	540	18,16,263.57	9/1980
	योग ..	552	23,32,391.61	

बकायादारों के नाम एवं विवरण †संलग्न किया जा रहा है ।

बकायादार उपभोक्ताओं से धनराशि वसूल करने के लिए विभाग द्वारा 186 उपभोक्ताओं पर सेक्शन 3,163 पर सेक्शन 5 के नोटिस जारी किए जा चुके हैं इनमें 113 कनेक्शन विच्छेदित किए जा चुके हैं और शेष कनेक्शनों को काटने की कार्यवाही जारी है ।

भूतपूर्व सदस्य, डाक्टर जगमोहन वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 जनवरी सन् 1981 को डा0 जगमोहन वर्मा जी का निधन हो गया । डा0 जगमोहन वर्मा जी का जन्म नवम्बर, 1913 में हुआ । उनका कार्य क्षेत्र झांसी रहा । उन्होंने सेना में चिकित्सक की हैसियत से कार्य शुरू किया फिर निजी क्षेत्र में प्राइवेट प्रैक्टिस में वह कार्यरत रहे । झांसी नगरपालिका के बीस वर्ष तक सदस्य रहे और कई एक विद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थाओं के वह अध्यक्ष रहे । उनके निधन से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा समाज सेवी और योग्य चिकित्सक खो दिया है । आपके माध्यम से हम लोगों की समवेदना शोक संतप्त परिवार तक भेजने का आग्रह है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वर्गीय डाक्टर वर्मा के निधन पर जो समवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं और मेरा दल अपने को सम्बद्ध करता है । जैसा मुख्य मन्त्री जी ने कहा, डाक्टर वर्मा सेना में थोड़े दिन सर्विस करने के बाद स्वतन्त्र रूप से झांसी में प्रैक्टिस करने लगे थे । वे इतने उच्च कोटि के समाजसेवी थे कि झांसी स्थित संक्रामक रोग अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा करते थे । इसके अतिरिक्त उनका कई सोसाइटीज से सम्बन्ध था । वे 1969 में भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनकर यहां आए थे और झांसी नगर में कन्या पाठशाला, बुन्देलखंड संगीत विद्यालय, थियोसोफिकल सोसाइटी लायन्स क्लब और कायस्थ सभा आदि में सदस्य, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे । उनके निधन से हमने एक उच्च कोटि का समाजसेवी तथा एक अच्छा अनुभवी डाक्टर खो दिया है । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी श्रद्धांजलि के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने डाक्टर जगमोहन वर्मा के निधन पर जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, डाक्टर वर्मा एक निःस्वार्थ समाज सेवी थे और एक अच्छे चिकित्सक भी थे । चिकित्सा जगत में उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी । सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां मार्ग दर्शन के रूप में कार्य करती रहेंगी ऐसा हमारा विश्वास है । मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे और मेरे दल की इन भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गई ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस (अर्स) दल ने जो उद्गार डाक्टर वर्मा के सम्बन्ध में प्रकट किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, डाक्टर वर्मा के हमारे बीच से उठ जाने से राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रिक्तता आई है। वे एक अत्यन्त लोकप्रिय और निःस्वार्थ समाजसेवी थे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इन समवेदनाओं को उनके परिवार एवं क्षेत्र की जनता तक पहुंचा दें।

*श्री भीखालाल--

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय डाक्टर जगमोहन वर्मा के निधन के सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भाव व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। वे उन्नाव जिले में पैदा हुए थे लेकिन उनका कार्यक्षेत्र झांसी बन गया था। हालांकि मेरा उनके साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं था लेकिन उनकी सेवाएं और कार्यपद्धति के बारे में मुझे जानकारी मिलती रहती थी। वे एक अच्छे चिकित्सक तथा समाजसेवी थे, जिनकी वजह से वे लोकप्रिय हो गए थे। उनके निधन से हमारे उन्नाव जिले को और विशेष रूप से झांसी को काफी क्षति हुई है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की इन समवेदनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, डाक्टर वर्मा के निधन के सम्बन्ध में जो भावनायें माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी इन समवेदनाओं को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, डाक्टर जगमोहन वर्मा के सिलसिले में जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष --

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेतागण ने जो डाक्टर जगमोहन वर्मा के निधन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं डाक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से परिचित था। वह एक अत्यन्त कर्मठ समाजसेवी और संसदीय कार्य के अच्छे जानकार थे। ऐसे व्यक्ति का साथ छूट जाने से समाज के लिए एक भारी क्षति हुई है। आप सब की समवेदनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। अब हम उनके सम्मान में दो मिनट मौन खड़े होंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने के नायब दरोगा कुंवर वीरेन्द्र सिंह द्वारा बस्ती साप्ताहिक पत्र के सम्पादक, श्री उपेन्द्र नारायण को पीटे जाने से असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12.25 अपराह्न]

श्री अध्यक्ष --

नियम 301 में कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 5 स्वीकृत हुई ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ --

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और इस सरकार से न्याय की अपेक्षा करता हूं । बस्ती जनपद में बस्ती साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री उपेन्द्र नारायण को दिनांक 17-2-1981 को परशुरामपुर के नायब दरोगा कुंवर वीरेन्द्र सिंह व अन्य तीन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा इसके फलस्वरूप श्री उपेन्द्र घायल होकर बस्ती अस्पताल में दाखिल कर दिए थे । घटना इस प्रकार है कि श्री उपेन्द्र ने अपने साप्ताहिक बस्ती में सम्पादक की हैसियत से थाना परशुरामपुर के पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध खबरें निकालते रहे । जिससे स्पष्ट होकर उनके ऊपर यह प्रण घातक हमला किया गया । कोतवाली बस्ती में धारा 325, 323 के तहत मुकदमा दर्ज है । जिसमें मुख्य मुलजिम नायब दरोगा कुंवर वीरेन्द्र सिंह हैं । इससे बस्ती जनपद की जनता एवं वहां के पत्रकारों में बड़ा रोष है । और उ0 प्र0 श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की शाखा बस्ती ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 17-2-81 को बुलाकर इसकी घोर निंदा की और 6 प्रस्ताव पारित किए जिसमें मुख्य बात यह है कि यदि इसकी न्यायिक जांच न कराई गई तथा नायब दरोगा को निलंबित न किया गया तो एक सप्ताह के भीतर उस यूनियन के सभी पत्रकार सदस्य माननीय मुख्य मन्त्री के निवास स्थान पर आमरण अनशन करेंगे ।

मान्यवर, परशुरामपुर थाने की पुलिस ने जब से श्री सुखपाल पान्डेय भू0 पू0 विधायक को अवमानित करने की साजिश में सफलता प्राप्त कर ली और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तब से बेलगाम हो गई है । और पत्रकारों के साथ यह व्यवहार किया गया है । मैं इस माननीय सदन के माध्यम से जोरदार मांग करता हूं कि पूरे घटना की निष्पक्ष जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जाय तथा तत्काल उपरोक्त थाने से सम्बन्धित लोगों को निलम्बित किया जाय जिससे भय का वातावरण समाप्त हो ।

बिजली कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल से विद्युत आपूर्ति के प्रभावित होने तथा जनजीवन त्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से माननीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की वर्तमान अनिश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

कालीन हड़ताल से अनेक स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गयी है । तथा सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली उपभोक्ता परेशान हैं । मान्यवर, दमन के बल पर सरकार हड़ताल समाप्त कराने पर उतारू है । अनेक मजदूर नेता गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

उनकी मांग है कि राज्य विद्युत परिषद को पुनर्गठित किया जाय, उसमें कर्मचारियों द्वारा गुप्त मतदान से चयनित श्रमिक प्रतिनिधि रखे जांय, उनकी सेवा शर्तें तथा नियमावली बने, वेतन विसंगतियां त्रिपक्षीय वार्ता से हल की जांय । आवास सुविधा अथवा साढ़े 16 प्रतिशत मकान भत्ता दिया जाय, अधिग्रहीत प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का फिटमेन्ट 1-4-69 को आधार मान कर किया जाय, मस्टर रोल कर्मचारी जो 240 दिन पूरा कर चुके हैं को स्थायी किया जाय, ठेकेदारों द्वारा रखे गये सप्ताह कर्मचारी परिषदीय कर्मचारी घोषित हों, शिफ्ट एलाउंस दिया जाय, समान कार्य के लिए समान वेतन, 20-10-1978 की हड़ताल का वेतन दिया जाय, तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णय लागू किये जायं ।

मान्यवर, अब तक वार्ता का कोई कारगर हल न निकलने से उत्तेजना निरन्तर बढ़ रही है । अतएव हमारी मांग है कि द्विपक्षीय वार्ता द्वारा तुरन्त समझौता किया जाय तथा मांगें पूरी की जायं । स्थिति सामान्य हो । यह तथ्य शासन के संज्ञान में ला कर त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।

महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर के मिल गेट पर अनशन कर रहे श्री केदार की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, दिनांक 14-2-81 को महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर के फैक्ट्री गेट पर अनशन करते समय श्री केदार आत्मज मंगल लाल मजदूर की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महाबीर शुगर मिल लि० सिसवा बाजार (गोरखपुर) जो सरकार के रिसीवरशिप में चल रही है के 92 श्रमिक जो गत 8-10 वर्षों से उक्त मिल में कार्यरत थे । उन्हें निकाल दिया गया था । श्रमिकों ने यह मामला अदालत में उठाया जिसे सरकार ने औद्योगिक न्यायभिकरण उ० प्र० इलाहाबाद को निर्णय के लिए भेजा । उक्त न्यायधिकरण मुकदमा नं० 9/79 के तहत दिनांक 15-6-1979 ने श्रमिकों के पक्ष में यह निर्णय दिया कि सभी 92 श्रमिक उक्त महाबीर शुगर मिल के रेगुलर सीजनल कर्मचारी हैं और सीजन 1978-79 के प्रारम्भ से ही रेगुलर सीजनल माने जायं और उन्हें अन्य सीजनल मजदूरों की भांति सभी वेतन तथा वह अन्य सुविधायें दी जाएं । इस सम्बन्ध में मिल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की गई और स्थगन आदेश की प्रार्थना की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर स्थगन आदेश दिया कि मिल श्रमिकों का सारा अवशेष धन जमा करे एवं सभी श्रमिकों को हर माह का वेतन हर पहली तारीख को जमा करता रहे । यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो स्थगन आदेश स्वमेव खारिज समझा जायेगा । मिल ने उस स्थगन आदेश की शर्तों के अनुसार न तो अवशेष धन जो लगभग 5 लाख रुपया बनता है जमा किया और न श्रमिकों को काम पर ले रहा है । इससे श्रमिकों के परिवार भूखो मर रहा है

और गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। गत 12 दिसम्बर से ही उनमें से 15 श्रमिक मिल के गेट पर अनशन कर रहे हैं तथा शेष 77 श्रमिक 26 जनवरी से जिलाधिकारी गोरखपुर के आवास पर धरना तथा अनशन कर रहे हैं।

मिल गेट पर कर रहे अनशनकारियों में से श्री केदार आत्मज मंगल लाल मजदूर की मृत्यु दिनांक 14-2-81 को 5 बजे सुबह मिल गेट पर हो गई जिसकी सूचना जिलाधिकारी एवं उ0 प्र0 शासन को तार द्वारा दी गई।

अस्तु आज सदन के संज्ञान में लाकर मैं श्री विकास मन्त्री से मांग कर रहा हूं कि 4 लाख बकाया रुपया मजदूरों को दिया जाए, मजदूरों को तत्काल काम पर लिया जाए तथा मृतक केदार के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाय एवं उसके स्थान पर उसके वारिस को काम दिया जाए।

सुल्तानपुर के उपपुलिस अधीक्षक, श्री जे0 एस0 राना द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता, श्री भानु प्रताप सिंह गौड की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस का बेनमानापन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सुल्तानपुर जिले के एक उप पुलिस अधीक्षक श्री जे0 एस0 राना ने वहां पोस्ट होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बिना किसी आबंटन के एक कमरे पर दो माह पूर्व कब्जा कर दिया। सा0 नि0 वि0 के सहायक अभियन्ता ने इस कक्ष को खाली करने की नोटिस दी और यह कहा कि आपने एक भी पैसा भाड़े का अभी तक नहीं दिया है। पुलिस विभाग के लिए इतना काफी था। सा0 नि0 वि0 के सहायक अभियन्ता, श्री भानु प्रताप सिंह गौड़ अभी लखनऊ से सुल्तानपुर 14 फरवरी को कार से जा रहे थे। रास्ते में मुसाफिरखाना की पुलिस तथा हथियारबन्द सिपाहियों के साथ उप अधीक्षक राना ने गौड़ को घेर लिया और कहा आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही कार की तलाशी भी ली जायेगी। यह कह कर पुलिस ने सा0 नि0 विभाग के अधिशासी अभियन्ता की कार से थोड़ा गांजा और चाकू बरामद होना दिखाया और उनका चालान कर दिया। श्री गौड़ को हवालात में बन्द कर दिया गया और उन्हें खाना, पानी तक नहीं दिया गया। यहां तक कि उनको अपने परिवार वालों से फोन पर बात करने भी नहीं दिया गया। इस घटना से पी0 डब्लू0 डी0 कर्मचारियों और इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों में घोर असन्तोष है। यह सूचना सदन के संज्ञान में ला कर मैं मांग करता हूं कि श्री गौड़ के विरुद्ध सभी मुकदमें वापस लिये जायं और श्री राना के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। साथ ही सुल्तानपुर के समस्त पुलिस प्रशासन को बदल दिया जाय।

मान्यवर, एक प्रथा रही है, जिसके अन्तर्गत नियम 301 में जो सूचना आती है, उसके सम्बन्ध में आप अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके मन्त्री जी से वक्तव्य दिलवा सकते हैं। यह श्रीमन्, आपके जिले का मामला है, आप इस पर वक्तव्य मंजूर भी कर लेंगे तो आपकी निष्पक्षता पर कोई आंच आने वाली नहीं है। आज और भी महत्वपूर्ण विषय थे, इसलिए मैंने इसे नियम 51 में नहीं दिया है। आप इस पर वक्तव्य का निर्देश दे दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

चूंकि यह बड़ा गम्भीर विषय हो गया है, इसलिए यदि इस पर वक्तव्य आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा और हम सभी लोग इसे चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में जो यह आया है, इसे स्वीकार किया गया है, अब शासन का ध्यान आकर्षित हो गया। यदि आप इसमें और कोई वक्तव्य चाहते हैं तो अन्य प्रक्रियाओं का सहारा लीजिए।

श्री कदल--

पुलिस वालों की बड़ों-बड़ों के प्रति यह मनमाना रवैय्या है, इंजीनियर के साथ हो गया, तो क्या बात है।

श्री मोहन सिंह--

आप कम से कम निर्देश तो दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यदि शासन स्वतः वक्तव्य देना चाहे तो दे सकता है, मैं क्या कहूं। मन्त्री जी...

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपने जो आदेश दिया है....

श्री अध्यक्ष--

मैंने पूछा है केवल, कोई आदेश नहीं दिया है।

श्री अम्मार रिजवी--

मोहन सिंह जी ने जो सूचना दी है, उस पर जितनी सख्ती से आवश्यक कार्यवाही हो सकेगी, कराई जाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस पर आप वक्तव्य दे दीजिए।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपके जिले पर भी मन्त्री जी को तरस नहीं आया कि कह देते कि हम वक्तव्य दे देंगे।

मुरादाबाद जिले में जनगणना कर रहे कर्मचारियों द्वारा मातृ भाषा के कालम में उर्दू का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन--

देश में इस समय जनगणना का कार्य चल रहा है परन्तु पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग दो लाख कर्मचारी जो जनगणना के काम में लगे हुये हैं वह मातृभाषा

के खाने में जिन लोगों की मातृभाषा उर्दू है उसको अंकित नहीं कर रहे हैं और यह शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न जगहों से आ रही है। मेरी स्वयं की जानकारी है कि जिला मुरादाबाद में जिसके देहाती क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मातृ भाषा उर्दू है परन्तु वहां की मातृ भाषा के खाने में जानबूझ कर जनगणना में लगे हुए कर्मचारीगण उर्दू नहीं लिख रहे हैं। इस तरह के जिन लोगों की मातृ भाषा उर्दू है उनके साथ व्यापक रूप से ज्यादती की जा रही है। यह ज्यादती नियोजित षडयंत्र के आधार पर की जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में उर्दू भाषा से प्रेम रखने वाले लोगों में व्यापक रूप से असन्तोष और अविश्वास एवं चिन्ता की भावना उत्पन्न हो गयी है और चिन्ता का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं लोक महत्व एवं अविलम्बनीय निश्चित विषय की ओर शासन का ध्यान माननीय सदन द्वारा आकर्षित कराना चाहता हूं।

नेता सदन के सम्बन्ध में सदन में उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में महाधिवक्ता द्वारा सदन की कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले यहां पर इस सदन में माननीय मोहन सिंह और अन्य लोगों ने भी यह प्रश्न उठाया था कि नेता सदन के निर्वाचित न होने से सदन की कार्यवाही अनियमित हो रही है और मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि कल इलाहाबाद में इस मामले पर विचार हुआ और 16 नं0 कोर्ट में यह निश्चय किया गया और राज्य सरकार के महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया गया है कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई थी, वह भेज दी जाय। हमारे नियमों में यह व्यवस्था है कि कोई कार्यवाही आदि यदि भेजी जायेगी तो उसमें सदन की अनुमति की आवश्यकता है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आशय का कोई तार या खबर आपको मिली है और उसके ऊपर कब कार्यवाही होने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। मेरे पास जब सूचना आयेगी और सदन के नियमों के अनुसार जैसा आवश्यक होगा वैसी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आज के प्रश्न के सिलसिले में कल एक व्यवस्था दी थी।...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ?

उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन, उद्ग्रहण और संग्रह नियमावली, 1980†

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सार्वजनिक निर्माण अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 243/23-सा0 नि0 दो-94-76, दिनांक 25 जनवरी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गयी।

[श्री जगदीश प्रसाद—]

1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन, उद्ग्रहण और संग्रह नियमावली, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा संशोधित दि इंडियन टोल्स एक्ट, 1851 की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, मुजफ्फरनगर के गिरफ्तार किए जाने, कारावसित किए जाने तथा जमानत पर रिहा कर दिए जाने आदि की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुयी है । उपर्युक्त सूचना इस सचिवालय के बुलेटिन संख्या 21 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है ।

12 जून, 1979 को वायरलेस जीप ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा विधान सभा के कर्मचारी के साथ किये गये अभद्र व्यवहार पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक और सूचना सदन को देनी है और वह यह है कि दिनांक 12 जून, 1979 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा सचिवालय के एक कर्मचारी के साथ विधान भवन के गेट नं0 3 पर तैनात तथा वायरलेस की जीप में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस के कर्मचारियों में से कुछ के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था । तत्कालीन माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 13 जून, 1979 को सदन में यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट आने पर सदन को यथासमय अवगत कराया जायेगा । तदनुसार इस माननीय सदन को यह सूचना देनी है कि इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में जांच के पश्चात दोषी पाये गये दो पुलिस कान्सटेबलों में से एक कान्सटेबिल को 14 दिन की सख्त दलेल की सजा और दूसरे कांस्टेबुल को 14 दिन का पी0 डी0 दंड आदेश कक्ष में प्रदान किया गया है ।

औचित्य के प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न लिख कर दिया था । कृपया उस पर मुझे सुन लें ।...

श्री अध्यक्ष—

आपने जो औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है वह इस प्रकार है । "औपचारिक कार्य पूर्ण होने के बाद निम्नलिखित तथ्य माननीय अध्यक्ष के ध्यान में लाकर यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि" "सोमवार के लिए निर्धारित बयान में इन्हें भी जोड़ दिया जाय ।"

(1) बेहमई में पुलिस की पूरी कथित नाकेबन्दी के बावजूद कल वहीं पर पड़ोस के गांव माल के तीन व्यक्तियों का अपहरण डाकुओं द्वारा बन्दूक की नोक पर कर लिया गया। स्पष्ट है कि पुलिस प्रबन्ध ढोल में पोल है।

(2) फूलन देवी के राजधानी में होने की खबर से लोग आतंकित हैं।

इन दोनों को आप उसमें जुड़वाना चाहते हैं। तो यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह भी उसी से मिला हुआ है। डाकुओं ने पुलिस पर... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कल मैंने भी एक औचित्य का प्रश्न दिया था। मान्यवर, वह बड़ा ही गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के बाद में देखा जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन की 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की 16 फरवरी को दिल्ली में आयोजित कथित किसान रैली में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शासनतंत्र का दुरुपयोग से जनाक्रोश से सम्बन्धित है। सर्वश्री मोती लाल देहलवी और मोहन सिंह की भी इसी आशय की है। श्री मित्र सेन यादव की ग्राम दालपुर, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद में दिनांक 13 फरवरी, 1981 को सामंतों द्वारा तीन हरिजनों की दिन दहाड़े हत्या एवं दर्जनों व्यक्तियों के घायल होने से व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में है। एक श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक रक्तदान एवं क्रमिक अनशन से कुष्ठ रोगियों की विषम स्थिति से सम्बन्धित है। ये सब सूचनायें अस्वीकृत हुयी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

रैली के बारे में जो मैंने दिया था।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, 1, 1 1/2 हजार बसें उत्तर प्रदेश से रैली के लिए गयीं। आर० टी० ओज ने कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के रूप में कार्य किया। अलीगढ़ के आर० टी० ओ० ने तो मोटर मालिकों की एक मीटिंग बुलायी और उन्हें मजबूर किया कि वे गाड़ियां ले जायें।

जिलाधिकारी, बलिया ने 13 रोडवेज की बसों को अपने आदेश से, बिना परमिट के तथा बिना पैसा लिये, भेज दिया।

(व्यवधान--शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बिना मेरी आज्ञा के न बोलें ।

श्री मित्रसेन--

हमने जो मामला उठाया था वह बहुत गम्भीर था उसमें 16 हरिजन घायल हुये थे उस पर वक्तव्य आप दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मित्रसेन जी, आप कृपया बैठ जायें । आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

हम नहीं बैठेंगे, जब तक आप निर्देश नहीं देते वक्तव्य दिलाने के लिये. . . (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

यादव जी, आप बैठ जाइये । यह गलत बात है । मैं आपके कहने से निर्देश नहीं दूंगा, मैं सोच-विचार कर निर्देश देता हूं ।

श्री मित्रसेन--

मैं नहीं बैठूंगा । आप मुझे निकाल दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कतई नहीं निकालूंगा । मैं यह दिखाऊंगा कि आप हाऊस के अन्दर क्या कर रहे हैं । (व्यवधान) आप बैठ जाइये ।

एक सदस्य--

मने भी एक प्रश्न 6 हरिजनों के बारे में उठाया था. . . (व्यवधान)

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें । यह कुछ कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । मित्र सेन जी, आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री मित्रसेन यादव बैठ गये ।)

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया मुझे भी सुनने की कृपा किया करें अन्यथा सदन का कार्य सुचारू रूप से चलना दूभर हो जायेगा । माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे निकाल दीजिये । मैं क्यों निकाल दूं ? वह तो अंतिम अस्त्र है । जिस दिन मैं समझूंगा कि मैं यहां की कार्यवाही चलाने में अक्षम हूं उसी दिन मैं इस आसन को छोड़ दूंगा । मेरा निवेदन यह है कि आप नियमित रूप से सदन का काम चलने दें ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है वह अत्यन्त गम्भीर है। हिन्दुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की हत्या की गयी है। शासन तंत्र का पार्टी के काम के लिये दुरुपयोग किया गया है। जितनी भी राजकीय रोडवेज की बसें थीं तथा जो प्राइवेट अनुबन्धित बसें थीं, सबको इस रैली के काम में लगा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इन 3 दिनों में सामान्य यात्रियों की क्या हालत हुई होगी, उनको कितना कष्ट हुआ होगा? लाखों लीटर डीजल तेल इस रैली में प्रयोगार्थ बसों के लिये दे दिया गया। सिंचाई के लिये किसानों को यह तेल नहीं मिला। उनका सारा काम ठप हो गया। सत्ता के उन्माद में, जो लोग रैली में जा रहे थे उन्होंने मुरादाबाद, मुगलसराय, कानपुर आदि कई स्टेशनों पर लूटपाट की। कानपुर में स्टेशन पर वेन्डर्स के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया। इस तरह से जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया है उस पर विचार होना चाहिये। अरबों रुपया इस रैली पर खर्च हुआ है, आखिर यह कहां से आया? यह प्रश्न विचारणीय है। यह लोकतंत्र के लिये अत्यन्त खतरनाक है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप विचार करें।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस रैली के लिये बस्ती जिले में यहां तक हुआ है कि बारातियों को बसों से उतार कर उन बसों में रैली के लोगों को बिठाकर डिस्पैच कर दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं हुई कि पूरे सूबे के अन्दर सरकारी अधिकारियों ने बसों का दुरुपयोग करके इनके निर्देश पर भेजा है। जगह-जगह पर मैंने अपनी आंख से देखा है कि फतेहपुर में वेन्डर्स की दूकानों को लूटा और उन्होंने किसानों के नाम को भी बदनाम किया। इसलिए इस पर चर्चा करवायें, क्योंकि सरकारी पैसे का इसमें दुरुपयोग हुआ है। डेढ़ हजार बसें बिना किसी सरकारी आदेश के भेजी गयी हैं।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जब स्पेशल ट्रेन रैली के लिए जा रही थी, तो कई स्टेशनों के वेन्डर्स को लूटा। कानपुर स्टेशन पर हमला हुआ, मान्यवर, 3 लोग अब भी अस्पताल में जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। मान्यवर, उनका सामान लूटा, खौलता हुआ तेल उनके ऊपर डाल दिया। मान्यवर, मेरा पक्का विश्वास है कि इस देश का किसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मान्यवर, रैली में किसान के नाम पर असामाजिक तत्व गये, किसान नहीं गये हैं। यह झूठ प्रोपोगंडा है। मान्यवर मैं चाहूंगा, यह कांग्रेस के हित में भी है, शासन के हित में भी है कि इसकी सफाई हो जाय कि आखिर रैली में कौन लोग गये थे, जिन्होंने लूट-मार की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, इस रैली के पूर्व मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव आपको दिया था जिसका आपने स्वीकार किया था और उसमें यह कहा गया था कि यह प्रदेश सरकार के अधीन जितनी प्राइवेट बसें रोडवेज में चल रही हैं, उनको ये मजबूर कर रहे हैं कि फिर दिल्ली ले चलो अन्यथा हम उनका अनुबन्ध रद्द कर देंगे। आज उनका अनुबन्ध रद्द कर दिया गया और छोटी-छोटी रूट पर उनको कर दिया गया। यह मान्यवर किया गया। बस्ती, गोंडा, बहराइच, इनको बसों पर असामाजिक तत्व स्मगलिंग का सामान लेकर गये हैं, रैली के नाम पर।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, 16 तारीख को जो किसान रैली हुई है, उसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि लोग गये हैं दिल्ली पर अपने साधन से और ट्रेन से गये, बस से गये, बाकायदा किराया दिया गया, परमिट दिया गया, हर व्यवस्था के साथ गये, मगर जो किसान सीधे सादे जा रहे थे दिल्ली के लिए, रास्ते म जहां-जहां इनका लोकदल के असर का बेल्ट पड़ा है, रास्ते में किसानों को, जोकि बसों पर बैठे हुए थे, उनको मारा गया, ट्रेन को रोक कर मारा गया, हजारों किसान आज घायल अवस्था में अस्पतालों में पड़े हुए हैं। एक बात और बता देना चाहता हू कि आज किसान रैली की जो बात की जा रही है, यही किसान रैली चौधरी चरण सिंह कर रहे थे, तो उस समय कोई विरोध नहीं कर रहे थ। चौधरी चरण सिंह तमाम बसें ले गये थे उस किसान रैली में और उसी किसान रैली में उनको एक व्यक्ति ने चाकू से हमला भी किया था और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में इतनी भीड़ गयी और संगठित रही।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का उठाया गया कि जो दिल्ली में किसान रैली हुई, उसमें कथित किसान रैली के लिए जो सरकारी पैसे का सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, चरण सिंह ने 83 लाख रुपया पूंजीपतियों से अपनी किसान रैली में लिया था।

चौधरी चरण सिंह ने जो 81 लाख रुपया लेकर किया था, किसानों का एक बहाना था।

(व्यवधान)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न इसलिये उठाया, कि आपने, मान्यवर, देखा होगा कि 2/3 बार माननीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह ने रैली किया था। उसमें 81 लाख रुपया पूंजीपतियों से लिया और किसानों की रैली करने को कहा और ले गये सभी नान-किसान, यह इनके नेता कर चुके हैं। मान्यवर, हमारी रैली तो किसानों ने किया था।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जिस तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग किया इसके मेरे पास सबूत हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं। श्रीमन्, ए0 आर0 टी0 ओ0 ने मीटिंग बुलायी गाड़ियों की। उस मीटिंग के लिये जो कुछ किया गया, मेरे पास है। श्रीमन्, इसको स्वीकर कर लें। वहां के मंत्री मौजूद थे। उनको प्रेस किया गया कि जाना है।

दूसरी तरफ अभी माननीय सदस्य ने चौधरी चरण सिंह की रैली के बारे में कहा कि वह किसानों की रैली नहीं थी। मान्यवर, मैं चैलेंज करता हूं और मैं तैयार हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वह यह साबित कर दें।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मोदी से रुपया लेकर चौधरी चरण सिंह ने रैली किया कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इसको साबित कर दें, वरना, मान्यवर, इसको हाउस की प्रोसीडिंग से निकलवा दिया जाय। मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर साबित कर दें। अन्यथा सत्ता पक्ष गलत लांछन के लिये सदन से क्षमा मांगे।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि यह रैली किसानों की थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो लोकदल के नेता रैली ले गये थे उसमें कितना खर्च हुआ था और उसमें गैर-किसान गये थे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अबरार अहमद कृपया बैठ जायं।

मैं हर माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जरा इस तरफ ध्यान देकर कि यहां क्या हो रहा है, इसको देखकर अपना भाषण किया करें।

मैंने दोनों तरफ के सदस्यों को तथा माननीय नेता विरोधी दल की बातों को सुना। जिन्होंने प्रारम्भ किया, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, उनके कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को भी देखा और उनका भाषण भी, जो उन्होंने 19-2-81 को दिया है, आय-व्ययक की चर्चा के सम्बन्ध में, उसमें मैंने देखा कि रैली

[श्री अध्यक्ष,--]

के सम्बन्ध में उन्होंने काफी विचार व्यक्त किये हैं। ऐसे वक्तव्य हो रहे हैं और आगे भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लेकिन मान्यवर, यह गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, चूंकि कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसके विरोध में, मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, सभी को सुना, कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में मेरी भी बात सुन लें।

श्री खैरुल बशर--

जो रैली की गयी वह किसान विरोधी रली थी, उसके विरोध में मैं बाहर जा रहा हूं।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मित्रसेन--

13 फरवरी को थाना कुमारगंज में सामंतों द्वारा 4 आने मजदूरी देने के नाम पर काम न करने के लिये सामूहिक रूप से हरिजनों ने इन्कार किया तो सूरज निकलते-निकलते लाठी, भालों तथा बन्दूकों से लैस लोगों ने गांव को घेर लिया और मौके पर बुधराम और परिया की मौत हो गई और 16 आदमी घायल हुये।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। इस सम्बन्ध में आपके कथन पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि इस पर शासन तत्काल कार्यवाही करे।

श्री मित्रसेन--

इस प्रस्ताव को स्वीकृत न होने के कारण मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्र सेन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने भी एक औचित्य का प्रश्न दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि मैं देखूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आपने कहा था कि कार्य स्थगन के बाद उसको लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर मेरे पास नहीं आया है । उत्तर आ जाये तो मैं सोमवार को लूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इसमें काफी लोग अन्धे हो गये जहरीली शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगायी जा रही है ।

1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

[समय 1 बजे अपराह्न]

श्री अध्यक्ष--

अब 1981-82 के बजट पर चर्चा ।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सचमुच में अगर देखा जाय प्रदेश में विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से 1981-82 को वार्षिक योजना के लिये 934 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । यह पिछले वर्षों के मुकाबले 125 करोड़ रुपये अधिक है तथा प्रदेश के नियोजित विकास के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है । एक-एक बिन्दु को अगर ले लें तो निश्चय ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे की इतने कम समय में जितनी बिगड़ी हुई व्यवस्था हमारी सरकार को मिली थी, चाहे भीषण बाढ़ की परिस्थिति रही हो इन सब के बावजूद यह सरकार जिस तरह से नियोजन की तरफ इस प्रदेश को आगे ले जा रही है और आगे बढ़ती जा रही यह प्रशंसनीय है । इतनी भीषण बाढ़ आई थी । इस हेतु गृह निर्माण अनुदान अहेतुक अनुदान, विशेष सहायता अनुदान हेतु 37 करोड़ 5 हजार 21 सौ रुपया दिये गये और भू राजस्व और कृषि के देयों में 100 करोड़ से अधिक की राहत तत्काल लघु सीमान्त किसानों को जिसका 50 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई थी दी गई । बीज और उर्वरक में 25 से 35 प्रतिशत और 50 प्रतिशत का अनुदान दिया गया । अन्य

(इस समय 1 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

†दिनांक 19 फरवरी, 1981 को कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभु नारायण सिंह—]

सभी किसानों को फास्फेट और पोटाश में 1 प्रतिशत का अनुदान दिया गया। रबी में किसानों को 130 करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था की गई। सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष 140 करोड़ रुपये का खाद और बीज का वितरण किया गया। गत वर्ष 81 में 310 कुन्तल बीज का वितरण किया गया इसके मुकाबले में वर्ष 1980 में 195 कुन्तल बीज का वितरण किया गया। इसके मुकाबले में पिछले वर्ष दुगुना वितरण किया गया। गांव सभा और सीलिंग से निकली हुई भूमि पर लगभग 75 प्रतिशत लोगों का वास्तविक कब्जा दिलाया गया। हमारे उधर के साथी बड़ी डींग हांकते हैं कि हमने बड़ी अच्छी योजनायें चलायी थीं जो क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं। हमने इनकी 1978–83 तक की पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो इन्होंने बनाया था, देखा। यद्यपि ये नियोजित विकास में विश्वास नहीं करते थे। उसी में इन्होंने समरूपता, भौगोलिक, फसल चक्र तथा आर्थिक तथ्यों के आधार पूरे प्रदेश को पांच भागों में बांटा था। गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर को एक साथ लिया था और प्रस्तावित प्राथमिकतायें देख लें उसके बाद हम बतायेंगे कि इन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं बनायी। इनकी प्राथमिकता थी फसल सघनता में वृद्धि, दूसरी गेहूं तथा धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र का विस्तार, तीसरा मुख्यतः जौनपुर में कृषि बंजर भूमि में खेती, चौथा सिंचन क्षमता का बेहतर उपयोग, पांच-भूमिगत जल का अधिक उपयोग, 6—पशुओं की नस्ल में सुधार, 7—कुक्कुट पालन विकास कार्यक्रम का विस्तार, 8—मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम का विस्तार और नौवां था कृषि पर आधारित तथा हथकरघा और पावर लूम उद्योगों की स्थापना। ये सब योजनायें भी अन्य योजनाओं की भांति ही खटाई में ही रह गयीं।

अन्त्योदय कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि कितनी सड़कों का जाल बिछा दिया। कहीं-कहीं मिट्टी का छिड़काव हुआ है। सारा अनाज ये लोग खा गये। आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। जौनपुर को आप जानते हैं कि शीराजे हिन्द कहा जाता था। लेकिन सई नदी से वह हमेशा प्रभावित रहता है इसके लिये निश्चय ही उपाय इस बजट में होना चाहिये जो नहीं आया।

हमारे इलाके में जलालपुर और मुफ्तीगंज क्षेत्र है जहां पर अगर ऊंचा पुल नहीं बनाया जायेगा तो आवागमन अवरुद्ध हो जायेगा। इस तरह से हमेशा पानी बढ़ने पर आवागमन रुक जाता है और लोगों को मजबूर होकर नाव से जाना पड़ता है। इससे 3–3 जानें गयीं। अगर वहां पर ऊंचा पुल नहीं बनाया जायेगा तो हमेशा बहुत परेशानी रहेगी। हमारे यहां एक नाला पड़ता है गठिया, वहां बरसात में 2 महीने आवागमन रुक जाता है। मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करूंगा कि वहां पुल बनाया जाये। यहां पर एक राजकीय इन्टर कालेज है, बालिकाओं का कोई नहीं है, पालीटेक्नीक की अच्छी बिल्डिंग है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। इसकी व्यवस्था करायी जाये। आई0 टी0 आई0 में जनता शासन में कई ट्रेड काट दिये गये और दूसरे जनपदों को शिफ्ट कर दिये गये अतः जो ट्रेड वहां से काटे गये वे वहां फिर से चालू किये जायें।

आलू का उत्पादन जो बहुत अधिक होता है लेकिन शीतगृह एक भी नहीं है जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अगर शीतगृह नहीं बनाये जाते तो किसानों को सस्ते दामों पर अपना आलू बेचना पड़ेगा। अतः उनका निर्माण कराया जाये। हमारे क्षेत्र में 21 कि0 मी0 नहर है और 27 नलकूप राजकीय हैं। सिंचन क्षमता बहुत कम है और इससे उत्पादन कम हो रहा

है । नियम 301 में भी मैंने मामला उठाया था और मांग की थी कि यहां के लोगों को राशन दिया जाये, फीस माफ की जाये, तकावी दी जाये, मालगुजारी माफ की जाये । वहीं पर पशुओं के चारे की व्यवस्था करने की मैंने मांग की थी लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह मूक पशु जो किसान के हाथ-पैर हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था तत्काल करा दी जाय तथा नदियों ने जगह-जगह पर जो गांव बाढ़ के समय काट दिये हैं वहां ठोकर बनायी जायं । अगर ठोकर नहीं बनायी जायेंगी तो वह गांव बहते जायेंगे और तबाह होते जायेंगे और लोग गृह विहीन होते जायेंगे । राजे पुर जहां सई और गोमती नदी मिलती है वहां पूरे के पूरे गांव जलमग्न थे लोगों को किसी तरह बाहर निकाल कर बसाया गया था । वहां आज जो गृह अनुदान के रूप में 100-200 रुपये दिये जा रहे हैं मैं समझता हूं कि उससे किस तरह से मकान बनेंगे । मैं चाहता हूं कि निर्बल वर्ग आवास का कार्यक्रम उन स्थानों पर लागू किया जाय जो बाढ़ से प्रभावित रहे हैं और जिनके मकान गढ़ से गिरे हैं । अगर उनके लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की जायगी तो वह बेचारे कहीं शरण नहीं पायेंगे ।

श्रीमन्, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाजार है गौरा बादशाहपुर, यह आजमगढ़, की सरहद पर है । वहां पर गुड़ की बहुत बड़ी मंडी है । गौरा बादशाहपुर की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन पता नहीं क्यों उसको टाउन एरिया या नगर पालिका घोषित नहीं किया जा रहा है । अगर उसको नगर पालिका घोषित कर दिया जाय और विकास की योजना बनाई जाय तो निश्चय ही उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण होगा । गौराबादशाहपुर आजमगढ़ की सरहद पर है । वहां क्रिमिनल एरिया है और उसका थाना जफराबाद में जो 30 कि0 मी0 दूरी पर है और बीच में गोमती नदी है, अगर गौराबादशाहपुर में एक थाना दे दिया जाय और एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी तत्काल वहां खोली नहीं जाती है तो निश्चय ही वहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं हो पायेगी और खतरा बना रहेगा । गौरा बादशाहपुर को टाउन एरिया घोषित कर दिया जाय और अगर वहां पर पुलिस स्टेशन की तत्काल स्थापना न हो पाये तो तत्काल वहां पर एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बना दी जाय । इसी तरह से मुफ्तीगंज में एक पुलिस स्टेशन होना चाहिये, अगर तत्काल पुलिस स्टेशन नहीं बनता है तो यहां पर भी पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाय जिससे लोगों को राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं और हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार इसी बुलन्दी के साथ गति के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा पर समय देने के लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । यद्यपि प्रस्तुत बजट जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करता और गरीब किसान का पोषण भी यह नहीं कर सकेगा लेकिन समय पर प्रस्तुत करने का जो प्रयास वित्त मन्त्री जी ने किया है उसकी मैं सराहना करता हूं । मान्यवर, बजट हर वर्ष प्रस्तुत होता है और बजट में धनराशि आबंटित की जाती है परन्तु उस धनराशि का कितना सदुपयोग किया गया यह देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है । अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने बजट पास किया है उसकी धनराशि अभी तक प्रदेश में किसी कोने में प्रयुक्त होती दिख नहीं रही है । मैं अपने जनपद के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि वहां सार्वजनिक

[श्री जटा शंकर सिंह—]

निर्माण विभाग के जरिये न तो कोई पुलिया बनती दिख रही है और न ही कोई सड़क पर कार्य हो रहा है। नयी सड़क बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मान्यवर, इसी प्रकार स्कूलों के भवनों के निर्माण की बात है जिसमें वहां कोई कार्य नहीं होता दिख रहा है। यह बजट पिछला 1980-81 में पास किया और उसकी आवंटित धनराशि फरवरी तक प्रयुक्त होती नहीं दिख रही है, तो उसका कब प्रयोग किया जायेगा। 31 मार्च को उसको केवल कागज पर व्यय दिखा कर सारी धनराशि वहां के अधिकारियों, हिस्सेदारों और ठेकेदारों में हड़प कर ली जायेगी। तो इस प्रकार की कार्यवाही जब तक होती रहेगी तब तक कोई भी सरकार उधर बैठे, कितना अच्छा बजट प्रस्तुत करे लेकिन उस बजट की मंशा पूरी नहीं हो सकती है। इसलिये जो मैंने सराहना बजट की की है कि समय से बजट आया है, पर्याप्त समय है और इस पर नजर रखी जा सकती है तथा पिछले बजट की धनराशि पर भी ध्यान रखना होगा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उस मंशा को पूरा न होने देने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

मान्यवर, मैं जनपद बहराइच के अपने नानपारा क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ समस्यायें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। मान्यवर, वन विभाग के अन्दर एक प्राविधान है कि जो गांव जंगल से लगे हैं वहां से जनवरों की चराई के लिये नियमानुसार उन्हें अनुमति दी जाती है। जैसे 25 पैसे गाय और 50 पैसे भैंस की चराई का नियम है। लेकिन मान्यवर, अब वहां के अधिकारियों द्वारा सूचना दी जा रही है कि 5 रुपये गाय और 10 रुपये भैंस की चराई के पड़ेंगे। तो यदि इस प्रकार यह चार्जज बढ़ा दिये जायेंगे तो वहां के गरीब किसान, जो थोड़ी-थोड़ी जमीन रखता है और वन के अन्दर घास जानवरों के चरने की सुविधा जो सरकार ने दे रखी है, इससे भीषण संकट में पड़ जायेंगे।

मान्यवर, दूसरी समस्या उन गांवों को मकान बनाने के लिये लकड़ी और फूस की माफी दी जाती थी लेकिन अब यह सुविधा भी बन्द कर दी गयी है जिससे वहां के गरीब किसानों और मजदूरों के सामने बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गयी है। आग लग जाय या मकान जल जाय या पुराना मकान गिर जाय तो बगल के जंगल से लकड़ी और फूस उनको मिल जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में विवश हो कर वह चोरी करने की कोशिश करने पर मजबूर हो जाते हैं जिससे उन पर मुकदमें चलाये जाते हैं और वह मुकदमों में पिस जाते हैं, इसलिये इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके लकड़ी और फूस की माफी उनको प्रदान की जाय।

मान्यवर, एक और समस्या वन विभाग से ही सम्बन्धित है। गांव सभा की जमीनें गजट नोटिफिकेशन के आधार पर वन विभाग में ले ली गयी थीं, उस समय बहुत ऐसी जमीन जो नोटिफिकेशन के अन्दर नहीं है लेकिन उस पर भी तार घिरवा लिया गया है और बहुत जगह तार नहीं है किन्तु वह जमीन अवैधानिक तरीके से वन विभाग अपने कब्जे में रखे है चूंकि उक्त वन भूमि कृषि योग्य है और किसानों को गांव सभा से पट्टे बने हैं लेकिन फिर भी वन विभाग उन्हें कब्जा नहीं दे रहा है। इसलिये जहां सरकार निजी भूमि के पट्टेदारों को कब्जे दिलाने की तरफ बल दे रही है वहीं अपने विभाग की ओर भी ध्यान दें कि वह कैसे धांधली करके उन पट्टेदारों को जमीन जोतने नहीं दे रहा है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक से दो बजे के बीच कोरम का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये । किन्तु अब प्रश्न उठाया गया है इसलिये घन्टी बजायी जाय ।

(कोरम के लिये घन्टी बजायी गई)

श्री जटा शंकर सिंह--

स्थानीय अधिकारियों को उस विषय में यह सूचना दे रहे हैं....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जटा शंकर सिंह जी थोड़ी देर आप अपना भाषण रोक लें ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, जो पिछली जनता सरकार ने कृषि योग्य भूमि जो वन विभाग की है उसको गरीब और भूमिहीनों को 90 वर्ष के लिये पट्टे पर ठेके के लिये एक योजना बनाई गयी थी, उस विषय में स्थानीय अधिकारी सूचना दे रहे हैं कि यह योजना समाप्त कर दी गयी है । यदि इस प्रकार की योजना जो गरीबों के संरक्षण के लिय बनायी गयी थी और सार्वजनिक भूमि के आबंटन के लिय माननीय मुख्य मन्त्री जी काफी विचार कर रहे हैं, काफी जोर दे रहे हैं इस पर, तो मैं निवेदन करूंगा कि गरीबों और भूमिहीनों के हितों के संरक्षण पर ध्यान दे कर उक्त योजना प्रारम्भ करें ।

मान्यवर, एक स्पष्ट और विकट समस्या वन विभाग की है । हमारे क्षेत्र में बिछिया, भवानीपुर, गोकुलपुर, बिशुन टांडा आदि गांव हैं जिनकी संख्या आठ-नौ है । मान्यवर, उक्त गांव बीस, तीस वर्ष से वन भूमि में बसे हैं उसकी भूमि 2 या 3 वर्ष से वन विभाग के पास है परन्तु वहां के अधिकारियों द्वारा उसे रेवेन्यू विलेज नहीं घोषित किया गया । जब कि घोषण हेतु प्रक्रिया पूर्ण बनाई जाती हैं । जिसके परिणामस्वरूप वहां के नागरिक समस्त सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं । उनको न मिट्टी के तेल और न ही शक्कर अथवा अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध है ही प्राप्त हैं । वह वन विभाग के आश्रित पड़े हुए हैं लिहाजा उनकी निरीह तथा दयनीय दशा पर विचार किया जाय और तत्काल उनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया जाय ।

एक सिंचाई विभाग से सम्बन्धित चिन्ताजनक समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । शारदा सहायक परियोजना और सरजू नहर योजना के अन्तर्गत ज्यों-ज्यों ये नहरें आगे बढ़ती जायंगी त्यों-त्यों वहा के माननीय विधायकों को इस समस्या से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा । समस्या यह है कि भूमि अध्याप्ति विभाग भूमि को अध्याप्त करता है । नहर विभाग कहता है कि उसने मुआविजा सम्बन्धित अधिकारी को दे दिया है लेकिन दो-तीन वर्ष हो चुके हैं अभी तक कृषकों को न फसल का और न उनकी जमीन का मुआविजा मिला है । ठेकेदार तथा अधिकारियों ने पुलिस से सांठगांठ करके किसानों को मारपीठ करके जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और बराबर इस दिशा में प्रयत्नशील है जिससे बड़ी बेचैनी फैली हुई है । तो सरकार यह घोषणा

[श्री जटाशंकर सिंह—]

करे कि उनकी जो जमीन ली गयी है उनको मुआविजा किस आधार पर कब तक दिया जायगा। अगर सरकार यह बताने में असमर्थ है तो जो उसने अपने नियम बनाये हैं मुआविजा देने के कम से कम तत्काल उन्हीं के आधार पर काश्तकारों को मुआविजा देने की सरकार घोषणा करे। इसके लिये सरकार तुरन्त निर्देश जारी करे। भूमि पर खुदाई का काम तभी प्रारम्भ किया जाय जब काश्तकार को उसकी जमीन का मुआविजा मिल जाय। एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री सूर्य बख्श सिंह जो ग्राम प्रधान भी हैं और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं और 8 वर्ष आपके साथ जेल में भी रह चुके हैं वह मल्हीपुर थाने के छोटे दरोगा के पास गये जो एक गरीब की भूमि पर बलात् कब्जा करा रहे थे, यह बात बताने कि नहर विभाग के लोग इसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं तो छोटे दरोगा ने उनसे कहा कि बड़े थानेदार उनको थाने में बुला रहे हैं। वह बड़े थानेदार के पास गये तो उनको थाने में पटक कर मारा गया जिसमें उनके हाथ पैर टूट गये, उनका सर टूट गया और वह अस्पताल में आज भी पड़े हुए हैं लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जब कि मैं गृह राज्य मन्त्री को भी लिख चुका हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं मगर अब फिर कह रहा हूं कि वहां पर गन्ने की मिल लगाई जाय तो क्षेत्र का बड़ा भला हो सकेगा। इसी तरह ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मिहीपुरवा ब्लाक में इस वित्तीय वर्ष में 18 गांवों की बिजली देने का लक्ष्य था लेकिन यह वर्ष पूरा हो गया आज तक पहले गांव चफरिया में भी कोई कार्य नहीं हो सका है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। एक बात मैं किसान रैली पर कह कर समाप्त करता हूं। किसान रैली के नाम पर बहराइच के संसद सदस्य जो वहां रहते हैं उनके दरवाजे पर 30 बसें खड़ी की गयीं जिन्होंने जाने से इंकार किया चूंकि उनके पास डीजल नहीं था गाड़ियों में खराबियां थीं, वे तैयार न थे उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा है। इसकी जांच करा लेंगे तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे। बहराइच तो समझता है कि गुण्डों, स्मगलरों की यह बारात गई थी दिल्ली भगवान जाने क्या करने। शोर, मेजों की थपथपाहट। इनके बजट से भी इससे ज्यादा आशा नहीं की जा सकती।

इन शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री त्रिवेनी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह 81–82 का जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। श्रीमन्, दो तीन दिनों से इस बजट पर चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे विरोधी दल के भाई यह आलोचना तो किये कि बजट जो है वह प्रदेश के विकास के लिए काफी नहीं होगा लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जो दो वर्ष पहले उन्होंने अपना बजट बनाया था और आज जो बजट है उन दोनों की कापी ले लें तो मान्यवर, कोई संतुलन नहीं है आपके बजट में और इस बजट में। श्रीमन् एक बात के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने कोई विशेष कर भार किसानों पर और जो छोटे मोट रोजगारी हैं उन पर नहीं लादा है जब कि प्रदेश की इतनी समस्यायें हैं और इन उलझी हुई समस्याओं को देखते हुये जो सदन के सामने बजट उपस्थित हुआ है वह सराहनीय है।

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं और एक बात पिछले बजट स्पीच में मैंने कही थी कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश म आजमगढ़ पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, गोरखपुर डिवीजन और बनारस डिवीजन दोनों की आबादी मिलाकर प्रदेश की चौथाई आबादी होती है और एक बार इसको केन्द्र सरकार मान चुकी है। इसी के कारण केन्द्र सरकार ने पटेल कमीशन बिठाया कि पूर्वी प्रदेश की गरीबी किस तरह से दूर की जाय। पटेल कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने गयी और कार्य शुरू हुआ। लेकिन थोड़ी सी मात्रा में कार्य शुरू हुआ और फिर बंद हो गया। उसके बाद जब हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय पंडित त्रिपाठी जी थे उनसे हम लोगों ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पूर्वान्चल विकास निगम बनेगा और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर किया जायगा। लेकिन, मान्यवर, पूर्वान्चल विकास निगम का आज तक पता नहीं चला, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि पूर्वान्चल विकास निगम की स्थापना हो और उसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश····

श्री मोहन सिंह--

बना हुआ है कूर्मान्चल (व्यवधान)।

श्री त्रिवेनी--

नहीं बना है। कूर्मान्चल विकास निगम जैसा हमारे मोहन सिंह जी ने कहा उसमें तमाम अधिकारी लोग हैं। उसका कुछ पता नहीं चलता है। मान्यवर, जैसे हिल बोर्ड बना है और निगम बने हैं, जिन में नान ऑफिसियल लोग हैं, जो गरीबी को समझते हैं, वे उसके चेयरमैन हों, मोहन सिंह जी अपोजीशन से उसके मेम्बर हों, हम भी सदस्य हों तो हम गरीबी को समझ सकेंगे। मैं मोहन सिंह जी से इस बात से जरूर सहमत हूं कि जिस गरीब इलाके से वह आये हैं उसी गरीब इलाके से मैं भी आया हूं। तो मेरे ख्याल से हमारे और उनके बीच इस मामले में मतभेद नहीं होगा।

रैली के मामले में कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने रैली करायी तो उस समय हमारा मतभेद उनके साथ था और जब हमने करायी तब उनका मतभेद हो गया। मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास के बारे में उनका हमारे साथ मतभेद नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि जब तक प्रदेश में पापुलेशन के बसिस पर अनुदान नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई दूंगा कि इस बार उन्होंने योजना मंत्री, केन्द्रीय सरकार से लम्बा चौड़ा डिसकशन करके पहली बार प्रदेश में इतना रुपया केन्द्र से लाये हैं जो 30 वर्षों में पहले कभी नहीं आ सका था। इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या आप जानते हैं क्योंकि आप भी उसी अंचल से आते हैं इसलिये आपको वहां का अनुभव भी है। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, आजमगढ़ पिछड़ा है और आजमगढ़ में लालगंज सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, लालगंज का इलाका इतना लम्बा-चौड़ा है कि वहां पर सड़कें नहीं हैं, सिंचाई के साधन नहीं हैं। उसरीली जमीन है और उस उसरीली जमीन के रीक्लेम की योजना अगर सौ फीसदी सब्सिडी देकर की जाय तो मैं समझता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जायेगा। मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारे इलाके में जो ऊसर का इलाका है उसमें कम पानी बरसता है और

[श्री त्रिवेनी--]

उसमें पेड़ नहीं होते हैं और अगर वहां पेड़ नहीं होते तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहां पानी नहीं मिल पाता है । इसलिये उस जमीन को रीक्लेम करने की आवश्यकता है। वहां पर सड़कों के अभाव में विकास कार्य में बाधा पड़ेगी । इसके अतिरिक्त आजमगढ़ का इलाका ऐसा है जहां एक लम्बी लाइन है शाहगंज से मऊ, जो मीटर गेज है और यदि शाहगंज से 2 बजे हम रेल में बैठते हैं तो वह 6 घंटे में मऊ पहुंचते हैं । वहां पर यातायात के साधनों की बहुत कमी है। उस क्षेत्र में बीस मील भी चले जाइये, सड़क नहीं हैं । मोहन सिंह जी अभी वहां गये थे । मीनाजपुर आदि जगह पर ऐसी जमीन पड़ी हुई है जिसका उपयोग किया जा सकता है । उनको रीक्लेम किया जाय । मैं चाहता हूं इरीगेशन करके ऊसर में 100 फीसदी सब्सिडी देकर उसको रीक्लेम किया जाय ।

विद्युत् के मामले में मुझे कहना है कि जिन पावर हाउसेज का निर्माण 10/15 साल पहले हुआ था उनकी क्षमता तब इतनी नहीं थी कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिजली दे सकें । लेकिन 10 वर्षों में इधर कोई पावर हाउस नहीं बनाया गया । उसकी जिम्मेदारी मोहन सिंह जी की है या हमारी है । तीन वर्षों तक उनकी जिम्मेदारी थी जिससे वे इन्कार नहीं कर सकते । पहले उस पावर हाउस की क्षमता 15 हजार किलो हार्स थी और अब वह 3 हजार हो गई है । उसकी रेपियरिंग नहीं होती । हमारे विरोधी भाई, जो बात सही हो चाहे वह हमारे क्षेत्र की हो, हमारे जनपद की हो या आपके जनपद की हो, उसे कहनी चाहिए और बजट की तारीफ करनी चाहिए । इस समय यह इतना बढ़िया बजट आया है कि तीन वर्ष और दो वर्षों में पहले कभी नहीं आया। इसकी आप तुलना पिछले बजटों से कर सकते हैं जब आपको यह उनकी तुलना में अच्छा लगे, तो आप अवश्य सपोर्ट करें इस नाते नहीं कि आप उस तरफ बैठे हैं केवल विरोध करने के लिये बल्कि आपका उत्तरदायित्व उतना ही है जितना सरकार का उत्तर-दायित्व है ।

आज हमारी पार्टी की सरकार है इससे पहले आपकी पार्टी की भी सरकार रही और उसे जनता ने देख लिया कि जो वायदे किये थे कि लोगों को दूध और खाद खूब मिलेगी उससे वह अघा गये भाई राजेन्द्र कुमार गुप्त भी उस पार्टी में थे, मोहन सिंह जी उसमें मंत्री थे, उनको जनता ने हटा दिया । मान्यवर, मैं दो मिनट और चाहूंगा। हमारे प्रदेश को पापुलेशन के आधार पर पैसा दिया जाय । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निगम नान-आफिसियल्स का बनाया जाय जो वहां की योजनाओं को कार्यान्वित करे । पिछड़े इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दोहरी घाट में पावर हाऊस बनाया जाय । दोहरीघाट की इतनी क्षमता है वह रिहन्द से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है । इसलिए मैं मांग करूंगा कि दोहरीघाट में पावर हाऊस बनाया जाय । पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर किया जाय । हम तो ऊसर बादशाह हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहां ऊसर है । तो उसको रिक्लेम करके वहां की पैदावार बढ़ाई जाय । मैं अन्त में इस बजट का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं ।

*श्री माताप्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कल से अथक प्रयास करने के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आभार प्रकट कीजिये अपने मित्र का जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको समय दूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

कल जब बजट पर चर्चा चल रही थी तब इस सदन के सम्मानित सदस्य तथा राज्य मंत्री जी हमारे पुराने अनन्य सहयोगी हैं माननीय काशीनाथ मिश्रा जी ने चुनौती देते हुए कुछ आंकड़े पेश किये थे उपज के बारे में जब यहां पर बजट पर चर्चा चलती है और बजट पेश किया जाता है तो उसमें पुराने बजट से ज्यादा थोड़ा खर्च करके उसकी विशेषता बताई जाती है । जो पिछली बार उत्पादन हुआ उसका मुकाबला मिश्रा जी ने इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ उससे करके वह बता दिया । लेकिन पूरे हिन्दुस्तान पर हम कहां हैं यह कोई नहीं बताता है । यह मान्यवर, पीछे देखें बजट है और हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं वह तो पीछे देखने में माहिर हैं । मैं थोड़ा सा औसत उत्पादन के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । हमारा इतना बड़ा प्रदेश है शस्य श्यामला जमीन है और इतने इसके सोत हैं उसके बावजूद अन्य प्रदेशों के मुकाबले में गन्ने के मामले में, चावल के मामले में, गेहूं के मामले में और आलू के मामले में हमारा उत्पादन प्रति हेक्टेयर पीछे है । चावल के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि यह 1977 के आंकड़े हैं उसके आधार पर 10·67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे प्रदेश का उत्पादन है लेकिन कर्नाटक जो एक छोटा सा प्रदेश है उसका उत्पादन 20·82 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । राजस्थान जो ऊसर है उसमें चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 12·92 क्विंटल है, पंजाब जिसको चावल की खेती करते हुए केवल 10 साल हुए हैं । उसका उत्पादन 33·72 क्विंटल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

चावल का या धान का ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

धान से मेरा मतलब है । गेहूं के मामले में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारा औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है उसको बढ़ाने की आज आवश्यकता है । जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा किसान की आमदनी नहीं बढ़ सकती है । तो मैं गेहूं के उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं कि मिश्रा जी पिछले वर्ष की तुलना करके वाह-वाही लूट लेते हैं । हमारे यहां गेहूं का उत्पादन 14·62 क्विंटल प्रति हेक्टर है, पश्चिमी बंगाल जसे छोटे प्रदेश में उपज प्रति हेक्टर 20 क्विंटल किलोग्राम है और उड़ीसा में जहां की जमीन हमारे प्रदेश की जमीन की तुलना में बहुत ही कम उपजाऊ है, प्रति हेक्टर उपज 70 क्विंटल 35 किलोग्राम है । पंजाब की तो बहुत ही ज्यादा है, उसका उल्लेख ही क्या किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह आंकड़े आप कहां से ले आये हैं ? हमने तो अपने आंकड़ों के बारे में डिटेल में बताया था ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

वहीं लाइब्रेरी से मैं भी लाया हूं जहां से आप लाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने उड़ीसा की प्रति हेक्टर कितनी उपज बताई है ?

श्री माताप्रसाद पाण्डेय—

उड़ीसा में प्रति हेक्टर 70 क्विंटल 35 किलोग्राम उपज है । तो इतनी अधिक वहां पर खेती में उपज है । यदि हम अपने को देखें तो हम कहीं ठहरते हैं ।...यह श्रीमन्, उड़ीसा में 17 क्विंटल 35 किलोग्राम है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माता प्रसाद जी आपने यह ठीक किया जो 70 को 17 कर दिया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आलू और गन्ना की उपज में भी हम तमाम प्रदेशों से काफी पीछे हैं । सरकार को इस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए और किसानों को सारे साधन उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे हमारे यहां प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ । जब तक यह नहीं होगा, गांवों में खुशहाली आने वाली नहीं है । जब तक छोटी जोत वाले किसानों की प्रति हेक्टर उपज नहीं बढ़ेगी तब तक ग्रामों में और प्रदेश-देश में खुशहाली आने वाली नहीं है । आप लमसम आंकड़े देकर जो आंकड़े पेश करते हैं वह वास्तविक तस्वीर हमारे सामने नहीं पेश करते हैं । केवल धनी किसानों और बड़े किसानों की उपज में सुधार होने से काम चलने वाला नहीं है ।

शिक्षा के मामले में भी हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है । यहां साक्षरता केवल 21·70 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 77-78 के बजट के अनुसार 25·50 रुपया व्यय हुआ है । केरल जैसे छोटे प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 60·51 प्रतिशत है और बजट का खर्च...

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

आजकल उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत लिट्रेसी है, आप यह कहां की बात कह रहे हैं ?

श्री त्रिवेनी—

श्रीमन्, आप मोहन सिंह जी से कह दें कि वह अपने सदस्यों को बता दें कि वे जरा पढ़कर बोला करें, इस तरह से नहीं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

78-79 के आधार पर मैं बोल रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

नया सेन्सस हो रहा है, फिर सब तुरन्त छप जाएगा ।

श्री त्रिवेनी—

मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष--

मोहन सिंह जी मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अपने दल को संयत करें कि जब एक आदमी बोल रहा है तो दल के दूसरे आदमी का बोलना उचित नहीं है ।

श्री त्रिवेनी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर सदन में कोई माननीय सदस्य सदन में गलत आंकड़े पेश करता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ? हमारी कार्य संचालन नियमावली में है कि यदि कोई सदस्य सदन को धोखा देता है, गलत आंकड़े पेश करता है, तो उसके खिलाफ होनी चाहिए और कार्यवाही से गलत आंकड़े निकाल देने चाहिए । गलत बयानी को भी निकाल देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

त्रिवेणी जी, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने यह कहा कि गलत आंकड़े यदि कोई पेश करता है । तो पहले तो उसकी पुष्टि होगी, फिर गलत सही का सवाल होगा, इसका फैसला कौन करेगा ? इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री त्रिवेनी--

आपके पास विशाल पुस्तकालय और कार्यालय है, आप ही उसको एक्जामिन करवायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रक्रिया नियमावली में है कि आप जब सूचना देंगे तो मैं आंकड़े इकट्ठा करवाऊंगा ।

श्री मातृ प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । प्राइमरी शिक्षा के बारे में हमारे प्रदेश में सबसे बदतर स्थिति है । दोहरी शिक्षा प्रणाली चलाकर हमारे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की स्थिति को बेकार कर दिया गया है । शिक्षा के सम्बन्ध में इस बजट में कुछ में कुछ नहीं कहा गया है । मान्यवर, मैं कुछ सड़कों के विषय में भी कहना चाहूंगा, जहां बजट में दिखाया गया है कि सड़कों पर अधिक धन व्यय किया जा रहा है वहीं हमारा प्रदेश 100 पर किलो मीटर अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पीछे है । मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह बड़ा ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वह शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है । मेरे क्षेत्र से वित्त मंत्री जी को भी कुछ लगाव है और होना भी चाहिए । वह हेलीकाप्टर से आते हैं । पिछले 3 वर्षों से बाढ़, ओले और सूखे से फसलें बरबाद हुई । हमारे यहां का किसान परेशान है, उसे कोई राहत नहीं मिली । हमारे इटवा ब्लाक में 2 आदमियों की मृत्यु अन्न के अभाव में हो गई और जब मैंने यह मामला उठाया तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । वहां किसानों के पास खाने को नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं, यहां का किसान बम्बई और पंजाब जाकर काम ढूंढता है और अपना पेट भरता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । इन लोगों ने तो मेरा समय ही बरबाद कर दिया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

आपके माध्यम से मैं सदन को बधाई देना चाहता हूं कि वह अन्य मामलों में तो पिछड़ा है लेकिन विश्व में प्रथम स्थान रखता है सन्तान दर बढ़ाने में ।

*श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । अभी जब बजट के ऊपर चर्चा हो रही थी तब श्री राजेन्द्र सिंह जी ने कुछ आंकड़ प्रस्तुत करते हुए सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ बताया । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे शायद कुछ भूल गये थे, मैं उनमें कुछ आंकड़ों को जोड़कर संशोधन करना चाहता हूं । उन्होंने बड़े दावे से कहा था कि जैसे 77 में उनकी सरकार आयी उन्होंने किसानों से खरीदने वाले गल्ले का दाम 2 रु0 प्रति किलो बढ़ा दिया था । मैं भी किसान हूं । मैं निश्चित रूप से 2 रुपये की बढ़ोत्तरी के लिए बधाई देता । वैसे चुनाव के दौरान उन्होंने पौने दो सौ रुपया प्रति क्विन्टल के दाम का वायदा किया था लेकिन कुछ नहीं किया । इसके साथ ही पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसके जमाने में जो किसानों को प्रिविलेजेज दिये गये थे कि प्रति क्विन्टल पर एक बोरा सीमेंट, एक किलो शकर और खाद दिया जायेगा, वह किसानों से छीन लिया गया । साथ में उस समय किसानों को यह भी सुविधा थी कि अगर किसान 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से गल्ला लाता है तो उसे 2 रुपया प्रति बोरे के हिसाब से दिया जाता था । वह उनकी सरकार ने समाप्त कर दिया था । मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर कभी न कभी विरोध पक्ष के नेताओं की ओर से दिया जाय । पहले की सरकारें गेहूं का आयात करती थी जबकि शासन में आते ही उन्होंने निर्यात करना शुरू कर दिया । जो निर्यात इनकी सरकार ने किया उसका समझौता वर्ष 1977 के पूर्व कांग्रेस की सरकार ने ही किया था । बंगला देश, वियतनाम, नेपाल और रूस को 17 लाख टन गेहूं सप्लाई करने का समझौता हुआ था लेकिन उसमें से केवल 9 लाख टन ही ये लोग भेज सके, बाकी का रद्द कर दिया । उसके बाद इन्होंने आलू, अदरक, और ग्रीन वेजिटेबिल्स आदि का निर्यात एक दम रोक दिया और वह बिलकुल निल हो गया जिसके कारण किसानों को कितनी बड़ी हानि सहन करनी पड़ी, यह पूरा प्रदेश निश्चित रूप से जानता है जहां तक निर्यात करने की जब ये बात करते हैं तो शुगर के आंकड़े देने ही भूल गये हैं जिनको मैं देना चाहता हूं । वर्ष 1974-75 में 9.41 लाख टन का निर्यात हुआ । और 1978 के बाद उसका निर्यात पूर्ण रूप से बन्द हो गया और स्थिति यह हुई कि इनकी नीतियों के कारण इस देश में शुगर मारिशस आदि से मंगानी पड़ी । यह इनकी गलत नीतियों का परिणाम है कि देश में ऐसा हुआ । जब जो कुछ भी होता था जो पूर्व की सरकारें थीं उन्होंने जो कुछ आर्थिक, राजनीतिक और अनुशासन देश में पैदा किया था और उनकी नीतियों की वजह से जो डिपाजिट्स बढ़ रहे थे, उनको इन्होंने अपने खाते में डाल दिया । यही नहीं जब वर्ष 1979 में भयंकर सूखा पड़ा, उस समय जो माहौल हुआ वह भी इनकी नीतियों का ही परिणाम था ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने खाद्यान्न योजना की बात कही जिसके अन्तर्गत सड़कें बनायी गयीं। मैंने पिछली बार जब इसी सदन में 5-6 महीने पूर्व बजट पेश हुआ था कहा था कि जो सड़कें इस योजना के तहत बनीं वह योजना अत्यन्त गलत थी। हमारे ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों ने कहा था कि इस प्रदेश में 2 वर्ष तक भयंकर अकाल रहेगा। तो जब ऐसी स्थिति थी तो हमें 2 साल तक इस स्थिति से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिये थी और उसमें यह होना चाहिये था कि प्रथम वर्ष हम ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न पर प्रयास करेंगे और भंडार सुरक्षित रखेंगे लेकिन उसको इन्होंने सड़कें बनाने में लगा दिया। उसके लिए उस समय की सरकार नकद पेमेन्ट कर सकती थी लेकिन 6 माह बाद उन्हें आशा थी उनकी सरकार नहीं रहेगी और जो सरकार आयेगी उसके सामने अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए इन्होंने अपने गोदामों को खाली कर दिया। तो उनकी यह नीति उचित नहीं थी जिसका ये बार-बार जिक्र करते हैं।

इसके अलावा जब ये हुकूमत में आये उन दिनों कारखानों और मिलों में इतनी हड़तालें नहीं होती थीं जितनी आज होती हैं। इसका एक कारण था और वह यह कि उस वक्त कांग्रेस (आई) विरोध पक्ष में थी और वह इस बात में विश्वास नहीं करता था कि कल-कारखानों म हड़ताल कराकर प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाये। इस काम के लिए यह (विरोधपक्ष) लोग सिद्धस्थ हैं। इन कल-कारखानों की जो भी ट्रेड यूनियनें हैं उन पर सी0 पी0 आई0 का कब्जा है और वे ही लोग हड़ताल आदि कराते हैं। उनका तो धन्धा ही यही है। यह विरोधी लोग अराजकता की ही स्थिति बनाय रखना चाहते हैं।

मान्यवर, जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय स्वर्गीय डा0 लोहिया जिन्दा थे। उन्होंने भोपाल में एक बार कहा था कि मेरी दो कमजोरी हैं--एक तो श्री राजनारायण हैं और दूसरे श्री मधुलिमये हैं। श्री राजनारायण बुद्धिहीन कर्मवादी हैं और श्री मधुलिमये कर्महीन बुद्धिवादी हैं। आज विरोध पक्ष भी यदि देखा जाये तो इन दो हिस्सों म बटा है---एक बुद्धिहीन कर्मवादी है और एक कर्महीन बुद्धिवादी है। यह लोग कर्म से मतलब रखते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हर चीज का विरोध करते हैं। जिस वक्त सेन्टर म जनता पार्टी की सरकार थी तो गन्ने के रेट 13 रुपये प्रति क्विन्टल था, आज हमने 22 और 23 रुपये कर दिया है। इसके लिए इनको इस सरकार को बधाई देना चाहिये था। इन्होंने किसानों का आन्दोलन चलाने की कोशिश की, मगर जब वह आन्दोलन फेल हो गया तब इनकी समझ म आया। यह लोग किसान की नब्ज नहीं पहचान पाये। यह लोग बिना सोचे समझे आन्दोलन करने लगते हैं।

मान्यवर, मुरादाबाद में दंगा हुआ, पुलिस को गोली चलाना पड़ा, उस पर लोक दल के लोगों ने हल्ला किया। जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगे हुये वहां लोक दल के लोग ही उसके लिए दोषी पाये गये। आप लोग, माननीय मोहन सिंह जी, इसका जवाब दें कि जब अलीगढ़ में दंगे हुये तो काली पट्टी बांध कर बाजार में किस लिए घूमे थे? वे किस बात का विरोध कर रहे थे? शान्ति स्थापित न की जाये क्या इसका विरोध कर रहे थे? जहां-जहां दंगे हुये वहां से लोक दल के ही सदस्य आये हैं। (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

जरा बता दें कि मुरादाबाद से कौन-कौन से लोक दल के उम्मीदवार यहां आये हैं ? (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

पिछली बार जब अलीगढ़ में दंगा हुआ था तो जो लोग गिरफ्तार हुये उसमें कांग्रेस (आई) का एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ था जबकि उस समय जनता पार्टी की ही सरकार थी । जो 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे उसमें लोकदल, मुस्लिमलीग, सी0 पी0 आई0 आदि के ही लोग थे । इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस ढपोरशंखी बजट पर बोलने का अवसर दिया । (व्यवधान)

ऐसा है कि 32-33 साल तक इन्होंने राज्य किया है और इसी तरह से बजट पेश होता रहा है ढपोरशंख । इसमें गरीब जनता को और किसानों को कुछ नहीं मिला है । इनका इसी प्रकार का पहले भी बजट हुआ करता था जिससे देश में भुखमरी की एक कतार बढ़ गयी है । इनके शासन काल में एक परिवार के लोग मौज-मस्ती मारते हैं और उनकी बीबी कुत्ते लेकर चलती हैं और उनके कुत्ते पूड़ियां और मिठाई खाते हैं । जब चौधरी साहब की रैली चल रही थी, तब ये लोग आलोचना कर रहे थे । मेरे नेता चौधरी चरण सिंह की रैली का आपने अनुसरण किया । आप स्वयं जानते हैं कि आपकी रैली में कौन गया है । राजा लोग आपकी रैली में गये हैं । संजय सिंह गये हैं । देश के राजा लोग गये हैं । आपकी रैली का नेतृत्व किसने किया है ? राजीव गांधी ने । राजीव गांधी किसानों का नेतृत्व करने जा रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के आह्वान पर किसान रैली की बात आपके नेता कर रहे हैं । इनके नेता ये नहीं जानते हैं कि किस लकड़ी से हल बनता है और रैली मना रहे हैं ।

मान्यवर, मुझे लग रहा है कि अब इस देश की जनता हम लोगों को असेम्बली में आने से वंचित कर देगी, अगर आप इस तरह से धोखा-धड़ी का काम करेंगे । किसान लूटे जा रहे हैं और आप रैली मना रहे हैं । यह काम तो विरोधी दल का है । हम आह्वान किये 16 मार्च को, तो आपने आह्वान कर दिया 16 फरवरी को । यह दिखाया जा रहा है कि आप किसान के बड़े हितैषी हैं । जब किसान को आप लाभ पहुंचायेंगे, तो यह सब नाटक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । इस आपकी नौटंकी से तो हमको और आपको किसान बांध लेगा, अपने नहीं देगा । आप केवल कहने मात्र के लिए महिलाओं को विशेष स्थान देते हैं, लेकिन केवल एक स्थान महिला को आपने मंत्रिमंडल में दिया है । हरिजन मारे जा रहे हैं । अभी फैजाबाद में 13 हरिजन मार दिये गये । यह हरिजनों के प्रति आपकी हमदर्दी है । जिन लोगों ने देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में, लड़ाई लड़ी, आज वे लोग, उसके घर वाले भीख मांग रहे हैं । जो लोग अंग्रेजों की खुशामद किये, वे आज मौज मार रहे हैं । इनके यहां कहीं राजीव गांधी का झगड़ा है, कहीं मेनका गांधी का झगड़ा है कुछ लोग तो मंत्रिमंडल के झगड़े में उलझे हुए हैं । कुछ लोग तो कहते हैं कि सरकार जा रही है अभी तो एक व्यक्ति ने कहा कि फलां मंत्री जाने वाले हैं । ये मान्यवर, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते हैं, मंत्री आते हैं केन्द्र से और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की आप बात करते हैं। पचास फीसदी किसानों के लिए बजट आप रखे हैं। किसान मारा जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि सड़क में इतना खर्च होगा। गये होंगे, आप भी देखे होंगे ; यहीं से चले जाइये देवरिया, गोरखपुर तक जो सड़क टूटी हुई थी, बरसात में, आज भी वह टूटी हुई पड़ी है। बस में जाते हैं, तो मालूम होता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाय। मरम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं बजट को कहां रखेंगे ? कुछ तो आप खायेंगे और कुछ इनके नौकरशाही खायेंगे। आपके बजट से कुछ होने वाला नहीं। मंत्री जी को कई चिट्ठियां लिखीं कि हमारे यहां सड़क नहीं बना रहे हैं। लेकिन बजट में लिख दिया है कि सड़कें बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब कुछ करना ही नहीं है, तो इस ढोंग दिखाने की क्या जरूरत। आज प्रदेश और देश में भुखमरों की तादाद बढ़ रही है। हम एम० एल० ए० हैं और हमारी हैसियत देख लीजिए। दूसरी तरफ जो विदेश से आते हैं, उनकी हैसियत देख लीजिए। मालूम पड़ेगा कि कोई राजा परिवार का होगा। यहां के राजा का भी यह हाल है। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि उधर किसान के लोग नहीं बैठे हैं। उधर भी किसानों के बारे में 50 फीसदी कहने वाले हैं। बजट का घोर विरोध करते हैं। लेकिन अंत में मजबूरी में समर्थन कर देते हैं। कार्यवाही उठाकर देख लें तो पायेंगे, मान्यवर, कि हरेक सदस्य इनकी नीतियों के विरोध में ही बोला है। इसीलिये, कि उधर भी किसान के लोग बैठे हैं।

एक सदस्य--

चलो, आपने स्वीकार तो किया।

श्री कुबेर भण्डारी--

लेकिन, मान्यवर, इनके नेता पूंजीपतियों के एजेंट हैं। इसलिये मजबूर होकर सरकार की एजेंटी करते हैं।

अब, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान थोड़ा सा देवरिया जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां पर बहुत काफी तादाद में धान का क्षेत्र रहा है। लेकिन, मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बोदरवार एक क्षेत्र है, जहां से गल्ला सीधे चीन जा रहा है। इधर हमारे यहां भुखमरी बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा की बात देख लें। इनके शासन काल में क्या स्थिति है ? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है ? क्योंकि 50 % बाहर से फर्जी नोट आ रहे हैं। इसीलिये महंगाई बढ़ रही है। चीन से एक हजार रुपया देकर 10 हजार रुपया ले रहे हैं। इसी तरह से सी० आई० ए० से रुपया आ रहा है। मान्यवर, देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। और आप शासन करने चले हैं। 32 साल में, मान्यवर, क्या किया इन्होंने ? केवल भुखमरी बढ़ी है, मान्यवर, स्टेशनों पर चले जायं तो देखेंगे कि रोटी फेंकने पर जब एक तरफ से कुत्ते दौड़ते हैं, तो दूसरी तरफ से मनुष्य के बच्चे दौड़ते हैं। आज यह स्थिति है देश की। अमरीका और रूस को देख लें। वे चन्द्रलोक को जा रहे और हमारे यहां लोगों को रोटी तक मुहइया नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन चिल्ला रहे हैं सरकार की वकालत करने को। मान्यवर, जनता सब समझ रही है और लोग गैलरी से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है ? हम लोगों को हंसी लगती है जब लोग एक-एक बोरी सीमेंट के लिये दौड़ते हैं और नहीं मिलती और यहां सीमेंट की परमिट का धंधा बना रखा है।

[श्री कुबेर भंडारी—]

मान्यवर, सीमेंट दिलाने का प्रलोभन देकर रैली में ले गये कि सीमेंट देंगे। आज देश में जरूरी साधनों की इतनी कमी है। सीमेंट की परमिट देकर दिल्ली की रैली में ले गये हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आज डीजल नहीं मिल रहा। मैं पूंछना चाहता हूं कि आजमगढ़ में कितनी जमीन ऊसर पड़ी है। 32 साल से बजट पास करते रहे हैं लेकिन ऊसर और बन्जर जमीन को ठीक नहीं करा पाये। हम जानते हैं कि कितने करोड़ बजट पास हुआ होगा इसके लिये आज तक। इसके लिये आपके पास कोई दलील नहीं होगी। आप अपने प्रदेश की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग एम0 एल0 ए0 हैं और 10/10 और 50/50 लोगों के फोटो प्रमाणित कर रहे हैं। किस लिये ? इसलिये कि ये लोग ईरान और अरब देश जा रहे हैं। आज, मान्यवर, हिन्दुस्तान जो ऋषियों और मुनियों का देश रहा है, वहां के बच्चे ईरान जा रहे हैं। वहां जाकर क्या करते होंगे ? बच्चे खिलाते होंगे। नौकरी करते होंगे। मान्यवर, यह स्थिति है आज। मैं गुजारिश करूंगा उधर के माननीय विधायकों से अपनी पूंजीपति सरकार की नीतियों को न मानकर जब विधान सभा में आये हैं, तो अपनी सरकार को ठीक करायें, अब किसान जाग गया है, लोग जाग गये हैं। जय हिन्द, मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा लगा जैसे आप प्लेटफार्म पर बोल रहे थे।

श्री लालसा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का इस सम्मानित सदन में मौका दिया। मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये और अपना विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह बजट बड़ा ही जन कल्याणकारी है, बहुमुखी विकास और हमारे प्रदेश के गरीब, पिछड़े वर्ग तथा कमजोर वर्ग के विकास के लिये इसमें सारी व्यवस्थायें की गईं हैं। मुझे माननीय नेता विरोधी दल के विचारों को सुनने का मौका मिला हमारे कुछ माननीय सदस्य विपक्ष के अपने विचारों को रखे। किन्तु मान्यवर, मुझे ऐसा लगा माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचारों में कोई तथ्य नहीं रखा। कोई तर्क नहीं था, कोई ठोस सुझाव नहीं था। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जहां छोड़ा था हम आज भी वहीं पर हैं।

मान्यवर, आप स्वयं सोचें यह कहना सच्चाई से लाखों कोस दूर की बात है, सच्चाई पर पर्दा डालना है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, किसान के बेटे के बारे में कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि किसानों की यहां पर बड़ी चर्चा हुई। मान्यवर किसान का बेटा जो यहां सदन में मुख्य मंत्री की हैसियत से रहे और केन्द्र में प्रधान मंत्री की हैसियत से काम करने का उनको मौका मिला। सन् 1967 में संविद सरकार बनी थी उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे। उस समय उन्होंने एक काम किया जो आज हरिजनों के बारे में घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं साफ-साफ बताना चाहता हूं कि सन् 67 में संविद सरकार ने सबसे गया गुजरा काम यह किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अनुदान में भारी कटौती की। मान्यवर, इतना ही नहीं आज गन्ना और

चीनी की बात करते हैं उस समय चीनी गायब हो गई। हमारे आजमगढ़ के श्री झारखंडे राय उस समय खाद्य मंत्री थे उनका कहना था कि मुझे मौका मिला तो मैं सब चीज सस्ती कर दूंगा। उस समय आजमगढ़ में झारखंडी चाय चल गई थी, गुड़ की। चीनी गायब थी। वह इस समय पार्लियामेन्ट में हैं। जब किसान का बेटा प्रधान मंत्री बना तो किसानों की गाढ़ी कमाई का गन्ना खेतों में जला दिया गया। इतना ही नहीं किसानों का बेटा जब प्रधान मंत्री बना तो सारे देश और प्रदेश में भंयकर सूखा पड़ा। उस समय धरती माता नाराज हुई और इन्द्र भगवान भी नाराज हो गये। इतना ही नहीं इनके शासन में हरिजनों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इन्सान भी जिन्दा जला दिये गये और इसका सबूत है बेलच्छी काण्ड। कमजोर वर्गों और हरिजन तथा अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार हुआ। मान्यवर, प्रमोशन में जो आरक्षण की बात थी वह भी इन लोगों ने रोक दिया था।

मेरा जिला आजमगढ़ बहुत बड़ा 35 लाख आबादी का जिला है वहां से 14 सदस्य विधान सभा को और 3 संसद सदस्य जाते हैं। इतने बड़े जिले में बजट का जो हिस्सा जाना चाहिए, उससे यह जिला उपेक्षित रहा है। मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि पिछड़े जिलों का जो चयन हो रहा है 6ठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कि उनका तेजी से विकास किया जा सके। परन्तु जो 7 जिले छोड़े जा रहे हैं उसमें आजमगढ़ का नाम नहीं है, उसे आना चाहिए। सरायं मीर चुनाव क्षेत्र में एक मार्टिनगंज ब्लाक है जहां कोई सुविधा आज तक नहीं पहुंच पायी है। वहां एक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र है जहां न बेड है न दवा आदि का इंतजाम। मार्टिनगंज से फूलपुर वाया सिकरौर सड़क जाती है जो कंकड़ रोड है। 33 साल में आज तक पक्की होने का उसे मौका नहीं मिला। पल्थी से शाहगंज सड़क जाती है वह भी कच्ची है। निवासियों को काफी घुमाव से जाना पड़ता है। दीदार गंज में आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहां पर डाक्टर ही कई महीने से गायब है। इन सब चीजों को देखना चाहिए।

गांव समाज की बहुत सी भूमि ऐसी है जिस पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनके नाम गलत पट्टे भी हो गये हैं। उनको बेदखल करके भूमिहीनों को कब्जा दिलाया जाये। वहां उल्टे भूमिहीनों पर मुकदमे चलाये जाते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए।

आरक्षण के सम्बन्ध में मान्यवर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में व्यवस्था है। आज तक कहीं 1, कहीं 2 तथा 3 प्रतिशत तक ही लोग पहुंच पाये हैं। कहीं-कहीं निल हैं। मुख्य मंत्री जी ने इस हाउस में ऐलान किया उसके लिए बधाई दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सी कड़ाई बरती जानी चाहिए। काम के बदले अनाज योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसमें बड़ा घपला हुआ है। मजदूरों को अनाज तो दिया ही नहीं गया और जो मजदूरी दी भी गयी वह भी दो-ढाई रुपये मात्र। मस्टर रोल जो बना है उसमें भी बड़े घपले हैं। मजदूरों के नाम, उनके पते तक तो हैं ही नहीं और जो भी हैं वह सब फर्जी। पेमेन्ट भी सब फर्जी किया गया है। पेयजल योजना के सम्बन्ध में भी जो कुवें बनवाये गये हैं उनकी भी यही हालत है।

अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम के लिये घंटी बजाई जाय ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी ।)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं भी कहने वाला था । इनसे पूछ लीजिये कहीं कोई ऐसा आदेश तो नहीं दे दिया है कि जिनको बोलना है वही शासक पक्ष के लोग बैठें ।

श्री उपाध्यक्ष--

हर तरफ यही हाल है किससे पूछें, किससे कहें ।

श्री रियासत हुसैन--

इधर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी तो उनकी है जो लोग उधर बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपने स्वयं अपने को गैर जिम्मेदार कह दिया तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

*श्री भगवानदीन कुशवाहा--

मान्यवर, मेरे मन में आशंका पैदा हो गयी है । आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2-3 स्टेटमेन्ट दिये हैं कि देश को बहुत बड़ा खतरा है । मेरा निश्चित मत है कि श्रीमती इंदिरा गांधी किसी देश से युद्ध छेड़कर इमरजेंसी लगाना चाहती हैं और जितने विरोधी नेता हैं उन सबको जेल में बन्द करना चाहती हैं । तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हाउस को आश्वस्त करें कि यह किसी देश से युद्ध नहीं छेड़ेगीं और इमरजेंसी नहीं लगायेंगी । मान्यवर, चाहे जो पार्टी सत्ता में रही हो लेकिन उस तरफ के बठे हुये लोगों ने जो पाप किया है ऐसा कभी नहीं हुआ है । मेरे पास उदाहरण है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में, पहले हम लोगों के पिछले समय में हमेशा यह होता रहा है कि विधायकों का कोटा सड़कों के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले को भेज दिया जाता था और हम सब विधायक मिलकर बराबर बंटवारा कर लेते थे । लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है । हर क्षेत्र की रिपोर्ट मंगवायी गयी है कि किस क्षेत्र म किस पार्टी का विधायक है । अगर विरोधी विधायक है तो 2 कि० मी०, अगर कांग्रेस (आई) का विधायक है तो 15 कि० मी० और अगर मंत्री है तो 30 कि० मी०, इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है जिससे हम विधायक परेशान हैं । मान्यवर, हमारे कानपुर जिले में सिकंदरा थाने में बेहमई गांव पड़ता है । मैं कहना चाहता हूं कि बेहमई गांव के चारों तरफ 4 चौकियां पड़ती हैं, यह चौकियां दो दो किलो मीटर पर हैं । चारों चौकियों में वायरलेस लगा है । सिकन्दरा थाने की चौकियों से दूरी 8 कि० मी० है । चोरो चौकियां के बीच में बेहमई गांव में घटना घटित हो जाती है । फूलन देवी नर संहार कर जाती है 26 लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गोली से भून दिया और फिर कान और नाक सूंघती है अगर पता लग जाता है कि सांस है तो फिर गोली मार देती है । जिस वक्त घटना हुयी गांव के लोगों ने चारों चौकियों पर इसकी सूचना दी । लेकिन पी0 ए0 सी0 वाले वालीबाल खेल रहे थे और थाने के लोग सिकंदरा के, ताश खेल रहे थ जुवा खेल रहे थे । किसी ने किसी चौकी को वायरलेस नहीं किया और न थाने को वायरलेस किया और इतनी बड़ी घटना चारों चौकियों के बीच में घट गयी । इसके बाद फूलन देवी बदमाशों के साथ निकल गयी । मान्यवर, वह गाना गाती है कि 'छोड़ दिया जाय या मार दिया जाय" । सब बदमाश लूटते हैं और वह गाना गाती है । तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो वह एक दिन मुख्य मंत्री जी के यहां हमला करेगी और उनसे कहेगी कि "मार दिया जाय या छोड़ दिया जाय ।" इसलिये इस व्यवस्था में यदि सुधार न हुआ तो प्रदेश में सब जगह यही स्थिति हो जायेगी ।

मान्यवर, किसान रैली जो 16 फरवरी को मनायी जा रही थी उसमें कानपुर में सेन्ट्रल स्टेशन पर यह अराजकतत्व रेल से उतर कर प्लेटफार्म पर दुकानदारों को लूटा और कढ़ाई में खौलता हुआ तेल वेन्डरों पर डाला और सारा सामान लूट लिया । इसी तरह हमारे कानपुर जनपद में झींझक स्टेशन पर घटना हुई । सरसौल कस्बे को लूटा जब वह बसों में जा रहे थे । बसों में जो बैठे थे उन्होंने शराब के ठेके में घुसकर शराब पिया और बोतलें अपने साथ ले गये । झींझक में रेल रुकने पर वह अराजकतत्व अपने-अपने डिब्बों से किसानों और महिलाओं को जूता दिखा रहे थे । इस पर महिलायें गाली दे रहीं थीं । तो इससे और गैरत की बात क्या हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जूता देखने वालों में क्या आप भी थे ?

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

जूता अराजक तत्वों ने औरतों और किसानों को दिखाया था ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र डेरापुर में सिठभरा गांव में रामपाल सिंह यादव, भूतपूर्व विधायक रहते हैं जिनका भाइयों-भाइयों में जमीन बंटवारे का आपस में झगड़ा था । इस पर उन्होंने जमीन को हड़पने की नीयत से अपने सगे भाई व भतीजों के खिलाफ झूठी डकैती की रिपोर्ट धारा 395, 397 और 307 में लिखा दिया जिसपर उनपर झूठा मुकदमा कायम हुआ । इस पर थानेदार जांच के लिये गया और केस गलत पाया और फाइनल रिपोर्ट लगा दिया । उसके बाद रामपाल सिंह यादव ने इंस्पेक्टर से मिलकर जांच के आदेश कराये और चार्जशीट सब्मिट करा दिया । इसके बाद सी0 ओ0 को जांच के आदेश हुये उसने फाइनल रिपोर्ट सब्मिट कर दिया । अब एस0 पी0 आर0 ए0 को जांच के आदेश हो गये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह मामला झूठा है और भूतपूर्व विधायक ने 10 दिन बाद रिपोर्ट लिखाया था कि हमको लूट लिया गया । इसलिये मैं मान्यवर, चाहूंगा कि इसकी पुनः जांच करवाई जाय और उसके बाद उचित न्याय दिलाया जाय ।

[श्री भगवानदीन कुशवाहा--]

मान्यवर, अब मैं जो बेहमाई गांव में जघन्य अपराध हुआ है उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिये । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यही स्थिति पूरे प्रदेश में है ।

मान्यवर, अब मैं शक्कर की जो व्यवस्था की गयी है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । शक्कर में प्राइवेट दुकानदारों को जो कोटे कोआपरेटिव में कर दिये गये हैं, इससे यह न तो कोआपरेटिव वाले शक्कर दे रहे है और न प्राइवेट वाले ही । कुछ लोग हाई कोर्ट से स्टे ले आये हैं । इस प्रकार शक्कर की सारी व्यवस्था गड़बड़ा गयी है जिससे जाहिर है कि कांग्रेस लोगों की नीयत गलत है । अतः इसमें आप सुधार करने की व्यवस्था करें । मान्यवर, आप इसके लिये व्यवस्था दें कि सही ढंग से वितरण हो सके । पिछले समय में हमारे डेरापुर क्षेत्र का जनपद निरस्त कर दिया । इस तरह से विद्युत् विभाग का मामला है । हमारे भू0 पू0 विद्युत् मन्त्री जी ने 70 किलो मीटर तार बिजली लगाने के लिये दिया था । यह तार कचौसी और भागलपुर के लिये दिया गया था जिसमें से 30 किलो मीटर तार चोरी करके बेच लिया और 40 किलो मीटर तार विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने बेच लिया । मान्यवर, सारी योजना निरस्त हो गयी जिसके कारण बिजली के अभाव में वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री दीपू--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उचित समय म यह बजट पेश किया जो हमारे प्रदेश के लिये काफी लाभकर सिद्ध हुआ है । आज देश को आजादी मिले लगभग 34 साल होने जा रहे हैं । देश में चाहे शिक्षा हो या यातायात, चाहे कल-कारखाने हों, चाहे कृषि, हम जहां देखते हैं वहां काफी विकास दिखायी देता है । हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि देश में गरीबी पांव तोड़ कर बैठी हुई है, लेकिन हम आप से कह देना चाहते हैं कि यह सन् 1974 का भारत नहीं है, यह सन् 1980 का भारत है, जहां देखिये काफी विकास हुआ है ।

हम आपसे कह देना चाहते हैं कि विरोधी लोगों का एक मात्र मुद्दा बन गया है कि बाल की खाल निकालना । ये कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी बढ़ी है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि विरोधियों ने तीन साल तक शासन किया 1977 से लेकर 1980 तक । इन तीनों सालों में इन लोगों ने देश को 50 साल पीछे कर दिया है । आज ये लोग अपना ढोल पीटते हैं कि सरकार यह काम हमारे खिलाफ कर रही है, वह काम हमारे खिलाफ कर रही है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे देश का अमन-चैन कायम करने के लिये सतत प्रयास किया जा रहा है । मैं मैनगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ से आया हूं वहां की जानकारी आप को दूं कि वहां से 28 साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में से सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, मैं चुन कर आया हूं, वहां हमारे सामने अनेकों समस्यायें हैं। मनगढ़ एक पिछड़ा इलाका है। वहां कायदे की एक सड़क तक नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है और सड़क की ही सुविधा है। वहां पर शिक्षा के लिये स्कूल की सुविधा नहीं है, मरीजों के लिये अस्पताल की सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर शीतगृह, स्कूल, यातायात के लिये सड़क ऐसी अनेक चीजों की जो वहां पर कमी है, उसको दिलाने के लिये सरकार कोशिश करे।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ के मैनगढ़ क्षेत्र में एक पुल की नितान्त आवश्यकता है। जहां पर रोज कम से कम 2000 यात्री अपनी दैनिक आवश्यकता से यात्रा करते हैं। मैनगढ़ से आजमगढ़ और आजमगढ़ से मैनगढ़ के लिये सड़क बनवाने पर शासन ध्यान दे और वहां पर पुल की जो आवश्यकता है उसको बनवाने की सरकार कोशिश करे।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र मैनगढ़ के अन्दर अभी हाल ही में एक टाउन एरिया स्थापित किया गया है। न तो वहां कोई कर्मचारी रखा गया है न ही उसका कोई आफिस है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस टाउन एरिया में कर्मचारी को रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ टाउन एरिया में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे उपलब्ध कराने की कोशिश की जाय। मेहनगर ऐतिहासिक इलाका है अगर एक पुराने राजा की वहां कोठी है और इतिहास में उसका प्रमुख नाम है लेकिन चूंकि विधायक विरोधी रहा इसलिये वहां कोई सुविधा नहीं दी गयी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है लिहाजा उस क्षेत्र को हर सुविधा देने की कोशिश की जाय।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब-जब बजट आता है तब-तब विरोध तथा सत्ता पक्ष से वादविवाद चलता है और उसमें विरोधी बातें आती हैं लेकिन आज जो मेरे मित्र कुबेर भंडारी ने कहा है वह सही है कि जो कुछ विरोध पक्ष ने सुझाव के रूप में कहा है अधिकांश वही बातें सत्ता पक्ष की ओर से कही गयी हैं। आज प्रदेश अनेक विपदाओं के घेरे में घिरता जा रहा है कभी बाढ़, कभी अकाल, कभी ओला, कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के कारण गोरखपुर की चारों तहसीलों विशेषकर महाराजगंज को बड़ी क्षति हुई थी और फिर अभी हाल में कुछ दिन पूर्व उपलवृष्टि से तो सारी फसलें नष्ट हो गयीं। कल्ले तक नहीं निकले थे लेकिन ओले गिरने से सारी फसल नष्ट हो गयीं। मैंने जाकर पता किया तो सिसवा में 136 गांव प्रभावित हुए हैं, लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। फरेंदा आदि कई तहसीलों में बहुत अधिक क्षति हुई है। बाढ़ के कारण और गृह अनुदान बांटने में बहुत अधिक घोटाला किया गया है। लूले-लंगड़ों तथा गरीब आदमियों को कम्बल मिलने थे वह उनको नहीं बंटे। महाराजगंज तहसील के जितने लेखपाल आदि हेडक्वार्टर के आसपास हैं गरीबों को बंटने वाले कम्बल उनके क्वार्टर्स पर मिलेंगे। इसी संदर्भ में तहसीलदार से बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि अपने मुख्यालय से निकल कर चार कदम अगर बाहर निकलेंगे तो सारे कम्बल एक-एक, दो-दो करके लेखपाल आदि के घर पर मिलेंगे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। और इस बात को मैंने एस0 डी0 एम0 तक पहुंचाई लेकिन उन्होंने जब नहीं

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--]

सुना तो 10 जनवरी, 1981 को मुझे एक पत्र एस0 डी0 एम0, श्री रमेश चन्द्र मिश्र के खिलाफ विवश हो कर लिखना पड़ा । इसी तरह से गृह अनुदान 100 रुपये दिया जाता है । अंग्रेजी में एक के चार बना दिये गये । प्रधान और लेखपाल उसकी तसदीक कर देते हैं । यह सब इसलिए होता है कि अंकों में धनराशि लिखी जाती है लेकिन उसे शब्दों में नहीं लिखा जाता है । इस तरह गृह अनुदान के घोटाले में बहुत सा रुपया अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जेब में चला जाता है लेकिन गोरखपुर में मैंने देखा है कि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी आपस में लड़े हैं । उस परगनाधिकारी महाराजगंज के एक घराने की जीप चलती है उसका कोई रिश्तेदार है यूनिवर्सिटी में । उसकी यू0 टी0 ए0 7941 नम्बर की एक मिनी बस है । नेपाल से गांजा भर कर, एक दो जगह उसने बना रखा है वहां बिकता है, शराब पीता है इधर-उधर करता है । एक दुख की बात है । कहना नहीं चाहता हूं लेकिन इस नाते कि एस0 डी0 एम0 का भ्रष्टाचार की बात मैंने उठाई है । एक दिन जब मैं बस स्टेशन जो कि रेलवे स्टेशन के पास है आया तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि आप एस0 डी0 एम0 रमेश चन्द्र मिश्रा के खिलाफ उठा रहे हैं । आप संभल जाइये नहीं तो मार दिये जायेंगे । मैंने यह बात इस सदन में इस नाते कह दी कि वे शुभेच्छु रहें हैं या क्या रहें हैं, मैं तो पहचानता नहीं । मैंने कहा मैं तो जनता की बात उठाने का आदी हूं, उठाऊंगा । तो मान्यवर, आज प्रदेश में घोटाला होने की बात कही जा रही थी । खाद्यान्न योजना में सड़कें बनाई गईं । बहुत लूटा गया । यह भी कहा जा रहा है कि जनता पार्टी, लोक दल की सरकार ने यह किया । यदि आप भ्रष्टाचार के निवारण में लगे हैं तो आप इन चीजों की जांच करा लीजिए क्या निश्चित रूप से उसमें सत-प्रतिशत घोटाला हुआ है । इसी तरह से प्रदेश की अनेक बातें कही जा रही हैं । प्रदेश में पेय जल की काफी असुविधा है । मान्यवर, जब हम लोग या मिनिस्टर लोग कभी दौरे पर जाते हैं, देखते हैं कि सड़क के बगल पर हमारी मां, बहनें जो लैट्रीन के लिए गई होती हैं लाइट देख कर बीच में खड़ी हो जाती हैं, कोई लैट्रीन की व्यवस्था नहीं है । क्या करे ? इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्रामीण स्वस्थ्य व पेय जल आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । उत्तर प्रदेश में जल निगम जो काम कर रहा है वह केवल शहरों में और कुछ बड़े-बड़े कस्बों में काम कर रहा है । उसको चाहिए कि देहातों में जो बड़े-बड़े गांव हैं और कस्बे हैं वहां जाकर सर्वेक्षण कराये ताकि वहां पर पानी का प्रबन्ध हो ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बहुत से जंगल हैं जहां टांगिया जंगल लगाने का काम करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

टांगिया तो एक प्रथा है ...

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

लेबर, मजदूरों का एक संघ के रूप में कहा जाता है । मान्यवर, सही कह रहे हैं । तो जब कहीं पर वे खाली भूमि पर नर्सरी लगाते हैं तो न तो कोई उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है और न पेड़ सींचने के साधन हैं । मेहनत करके बुरी तरह से वहां पर वे लोग काम करते हैं । आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि जहां ऐसे जंगल लगाने की योजना है जंगल विभाग कुछ निश्चित

दूरी पर बोरिंग करा दे और उनको पम्पिंग सेट दे दिये जायं। मुझे बताया गया है कि कहीं-कहीं पर तो यह हुआ है कि जंगल विभाग चार-चार पम्पिंग सेट दिखा कर और एक से काम ले कर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब विभाग द्वारा पेड़ों की चोरी होती है। अगर कोई ग्रामीण कहीं पर ऐसे मामले को पकड़ता है तो उसे दूसरी जगह किसी और मामले में फंसाया जाता है। इसी तरह से किसानों की फसल जंगलों के आस-पास है। आजकल या अन्य मौसम में फसल बोने के समय एवं बाद में हिरन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे जगहों पर जहां अन्य पशुओं से किसानों की खेती को भरपूर नुकसान होता है वहां उनसे खेती की रक्षा के लिए ऐसे उपाय किये जायं कि उनकी खेती नष्ट न हो।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बहुत काफी धोबी हैं। जहां-जहां चकबन्दी हो रही है तो चकबन्दी अधिकारी उनको हरिजन मानते ही नहीं। किसी गांव में हरिजन चमार या पासी नहीं है अगर धोबी हैं तो उस गाँव में हरिजन न मानकर वहां हरिजन की आबादी नहीं दिखाते हैं। साथ ही साथ देहात और शहरों में उनके लिए न कोई बिजनेस है, न धोबी घाट है, न कपड़ा सुखाने की जगह है। इस तरह से बहुत से लोग परेशानी में हैं। उनके लिए और कोई पेशा नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य है। ऐसे भी बहुत से लोग इस देश और प्रदेश में हैं जिनके पास रोजगार है, उनके पास खेती भी है, अन्य साधन भी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस प्रदेश का सर्वेक्षण कराया जाय और देखा जाय कि जो ऐसे घराने कितने हैं जिन घरानों का एक भी व्यक्ति सरकारी या अर्द्ध सरकारी नौकरी में नहीं है उनके एक-एक आदमी को अवश्य रखा जाय। क्योंकि इस देश का लगान, टैक्स या किसी भी किस्म का सरकारी देय वह भी देता है। ऐसे भी लोग हैं कि एक ही घराने में प्रदेश की सम्पत्ति सिमटती जा रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर एक सर्वेक्षण हो जाय ताकि ऐसे लोगों को भी सुविधा मिल सके। गरीब घरों के लड़के स्कूलों में सस्ते दर से कागज व कापी नहीं पाते हैं। उनके लिए प्रदेश सरकार ने जो कोटा तय किया है उसका कहीं पता नहीं चलता है आज भी गरीब लड़कों को सस्ते कागज और कापियां नहीं मिल रही हैं मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि महाराजगंज क्षेत्र में नहर विभाग की एक कालोनी है। दो एस0 डी0 ओ हैं एक कोई शुक्ला हैं और दूसरे पांडेय हैं- पिछले जून में जब चुनाव हुए थे तो वहां पर जितने उन दिनों पुल और पुलिया बनीं थी, वह सब बारिस में गिर गई। अभी तक वे पुल गिरे हुये पड़े हुये हैं। कोई पुलिया धंस गई है, कोई पुल गिर गया है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार में प्रदेश काफी जकड़ा हुआ है। मान्यवर, नहर विभाग का एक बहुत बुरा नियम है अगर कहीं कोई नहर अपने आप कट जाती है और उसका पानी जहां-जहां चला जाता है वह किसान की फसल को नष्ट कर देता है, ऐसी दशा में किसान की फसल सड़ जाय, बह जाय इससे कोई वास्ता सरकार का नहीं रहता और किसान से चार गुना या आठ गुना लगान वसूल किया जाता है। मनमाने ढंग से वसूल किया जाता है। मान्यवर, इससे आप भी प्रभावित हैं। जो चोर है वही गवाही भी करेगा और सजा भी करेगा, वही पैरवी भी करता है और सुनवाई भी करता है। यह नियम अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इस नियम में परिवर्तन होना चाहिये और आज की स्थिति को देखते हुये उसमें परिवर्तन होना चाहिये।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--]

अभी लालसा राम जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने 67 में हरिजनों के बजट में कटौती की थी। यह बिल्कुल असत्य बात है। सन् 67 में संविद सरकार यहां पर थी और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। केन्द्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया था। आप इसका पता कर लीजिए कि कितना रुपया केन्द्रीय सरकार से उस समय यहां के लिए दिया गया था। इसलिए इस तरह का लांछन लगाना बहुत गलत है। पब्लिक सर्विस कमीशन में तभी से हरिजनों का प्रतिनिधित्व रखा जाने लगा और मंडी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व रखा जाने लगा। किसान रैली उन्होंने लगाई, यह आप भी जानते हैं। इन शब्दों के साथ में बजट का विरोध करता हूं।

*श्री हरदेव--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कर रहित बजट प्रस्तुत किया है मैं उसकी सराहना करता हूं। हमारी सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें हर मुद्दे पर, हर जरूरत पर जो आवश्यकता किसान की तरक्की के लिए है, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र म हो, बिजली के क्षेत्र में हो, जनता के हित में हो, हरिजन के उत्थान के लिए हो, हर तरह से उस पर विचार किया गया है। मैं इसके लिये माननीय वित्त मन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो बजट पेश किया है वह जनता के हित में है, प्रदेश के विकास के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों की न कहने की आदत हो गयी है अगर हम कहेंगे कि यह भैंस है तो वह कहेंगे नहीं यह सुअर है। तो यह एक आदत इनकी हो गयी है।

बजट के बारे में जो सच्चाई है वह कहनी चाहिये। हर आदमी को इमानदार होना चाहिये, उसे जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये तथा कानून के प्रति वफादार रहना चाहिये। इन तीन चीजों के अभाव से आज हम लोग पिछड़ गये हैं। आज यह निर्विवाद है कि हमारी नेता भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्र का नेता हैं। यह बात साबित हो गयी है (व्यवधान) आपकी पार्टी के लोगों से ही मुझे खबरें मिलती हैं आप कहते हैं कि माननीय राजनारायण जी पार्टी में आ जाते हैं तो पार्टी तबाह हो जायेगी इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के हित का जहां तक सवाल है किसानों के हित का जहां तक सवाल है वह आप में नहीं है। मैं बताऊं एक मीटिंग बहुत पहले देहरादून में हुई थी एक वरिष्ठ नेता जो बहुत वफादार रहे हरिजनों की हालत के बारे में क्या हुआ? कि जैसे जूते के साथ बर्ताव होता है वैसा बर्ताव हरिजनों के साथ किया जाता है। पहले तो उसे पहना जाता है फिर बाद में उठा के फेंक दिया जाता है ऐसी बातें हमें हरिजनों के लिए सुनने को मिली थी।

जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें क्या बात है कि वहां जुर्म ज्यादा होते हैं। हरिजनों के हित में आपके समय में कटौतियां हुई। मुझे अफसोस होता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कहते हैं कि हरिजनों का भला किया जाय जब हमारी सरकार उनके आरक्षण के लिए कदम उठाती है तो कहते हैं कि उन्हीं का भला किया जा रहा है, कमजोर वर्ग के लोगों की भी सहायता की जाय। हरिजनों का उत्थान कब होगा जब आपमें इमानदारी हो जायेगी और जब आप कानून का पालन करेंगे मुझे अफसोस होता है कि आज हर विभाग में हरिजनों की जगहें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं तो इससे गरीबी कसे उनकी मिटेगी। उनका जो कोटा है उसमें कह दिया जाता है कि नो सूटेबुल कैंडीडेट इज एवेलेबुल। इसका क्या मतलब है। अगर आप आरक्षण पूरा करना चाहते हैं तो उन अधिकारियों को हिदायत कर दें कि उन पोस्टों को भर दें अगर यह हो जाय तो 70 परसेन्ट गरीबी उनकी दूर हो जायेगी।

यहां पर रैली की चर्चा की गयी। तो उसने साबित कर दिया कि जनता किसके साथ है। जनता ने आपको भी भेजा था लेकिन आप मजे करते रहे और उसी में फंसे रहे तो जनता ने आपका साथ छोड़ दिया। अब आपने किसानों की चर्चा करनी शुरू कर दी है। हमारे नेताओं ने किसानों के हित को सचमुच में समझना शुरू किया है। [समय 3 बजे अपराह्न]

उसकी जरूरत की चीजें हम सब देंगे तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसान आज सब समझता है कि उसका कौन हमदर्द है, वह आपकी बातों में आने वाला नहीं है। मुख्य मन्त्री जी के पक्ष में जो आप लोगों ने सपोर्ट किया कि यह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आप उनके साथ और उनकी सरकार के साथ सहयोग कीजिए। उनके विकास कार्यों में आप रोड़े न लगायें। आज जुर्म क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको सह मिलती है। एक घंटा गाड़ी देर हो जाती है तो लाखों रुपये का नुकसान होता है और जब कारखाने कई कई दिनों के लिए हड़ताल के कारण बन्द हो जाते हैं तो कितने करोड़ की हानि होती होगी, इसकी आप आसानी से कल्पना नहीं कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है, इस समस्या को हम सब लोगों को मिलकर हल करना चाहिए और आपको हमारे साथ पूरा-पूरा सहयोग करना चाहिए।

अब मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र रसड़ा, जिला बलिया की ओर दिलाना चाहता हूं। बलिया आज तक बहुत पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। बलिया को इस सरकार ने पिछड़ा जिला घोषित किया है, यह खुशी की बात है। आजादी की लड़ाई में वह आगे रहा, लेकिन आजादी का मजा लेने में वह पीछे हो गया। वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। रसड़ा में बालक-बालिकाओं को कोई स्कूल नहीं है, वहां पर न तो हाई स्कूल है न इंटर कालेज। वहां सड़कें और नालियां भी नहीं हैं, जिससे वहां बरसात में नरक हो जाता है। वह विद्युत में भी उपेक्षित रहा है। सड़कें कहीं कच्ची हैं और कहीं अधूरी पड़ी हैं, क्योंकि पिछली सरकार के विधायकों ने उधर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठें।

श्री हरदेव--

एक मिनट आप हमें और दे दें। वहां पर 305 एकड़ जमीन जो वहां इस्पात कारखाने के लिए सुरक्षित है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें, आप का एक मिनट ही नहीं खत्म हो रहा है, कितने बार एक-एक मिनट लेंगे ? (व्यवधान)

श्री हरदेव—

वह पैसा वहां पहुंचना चाहिए, और उसे औद्योगिक विकास के लिए वहां पर खर्च किया जाना चाहिए। वहां पर अस्पताल और परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप विराजें, यह आप सब बिना आदेश के अब बोल रहें हैं।

*श्री राम स्वरूप निम—

मैं इस बजट पर क्या कहूं। जब मैंने इस बजट भाषण को सुना और उसके बाद पढ़ा तो लगा कि क्या बजट है, कैसा बजट है, किसके लिए बजट है और अध्ययन करने पर पता चला कि यह एक अच्छा खासा समाजवादी, पूंजीवादी और सामन्तवादी बजट है। यह केवल पूंजीपतियों के लिए बजट है उनके यहां सिवाय पैसे के इंसान की कोई कीमत नहीं है। मान्यवर, किसानों के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक विशाल रैली की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि किसान के तीन बेटे होते हैं। एक बेटा खेती का काम करता है, दूसरा बेटा फौज में जा कर लड़ाई लड़ता है तीसरा कारखाने में काम करता है। इसका मतलब साफ है कि किसान का कोई भी बेटा न तो कोई राजनीतिक काय कर सकता है, न किसी राजनीति में आ सकता है, न और किसी अच्छे पद पर जा सकता है। न देश का प्रधान मन्त्री बन सकता है। यह श्रीमती गांधी की धारणा है किसानों के प्रति उस रैली की। यह बजट किसानों के लिए बताया गया और कहा गया कि छठीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए 25 फीसदी खर्च किया जा रहा है। इस देश का किसान 85 प्रतिशत गांवों में रहता है। इस तरह से यह किसान विरोधी और किसानों के लिए कष्टदायक बजट है।

मैं क्या कहूं इस बारे में, हाल वही है कि
गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ
इस भरी दुनिया में कोई हमारा न हुआ।

मुझे इस बात का पता चला कि हरिजन और समाज दोनों विभाग अलग-अलग किये जा रहे हैं जिसका तात्पर्य यह है कि अब हरिजन इस समाज के लायक भी नहीं रह गए हैं इसी लिए हरिजनों को अलग और समाज को अलग किया जा रहा है और कहा गया कि यह इस बुनियाद पर किया गया कि दोनों विभाग मिल कर बहुत बड़ा विभाग।

बन जाता है, उसका कार्य सुचारु रूप से चलाने में दिक्कत होती है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री, श्री लोकपति त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनके विभाग के अन्दर कितने विभाग हैं, मैं गिना दूं, मैंने उस विभाग में 18 वर्षों तक काम किया है इसलिये मुझे पता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मातृ शिशु कल्याण, परिवार नियोजन, मलेरिया यह इतने अलग-अलग डिपार्टमेन्ट्स को मिलाकर एक विभाग बनाया गया है जो शायद ही प्रदेश में इससे बड़ा कोई दूसरा विभाग हो। वह एक जगह मिलाकर बनाया जा सकता है लेकिन हरिजन और समाज का एक जगह मिलाकर नहीं चलाया जा सकता है। इससे पहले बजट में काम्पोनेंट प्लान की बात कही गयी और कहा गया कि हर बजट में 25 फीसदी खर्च किया जायेगा। बजट में उन आंकड़ों को कहीं नहीं दिखाया गया है। कम्पोनेंट प्लान के अन्दर कितने हरिजनों को क्या-क्या सुविधायें दी गयीं, क्या-क्या उनको फायदे पहुंचाये गये। लेकिन मदों पर यह पैसा खर्च किया गया। यह हरिजनों के प्रति इन सामन्ती सरकार की एक लालसा और भावना है। वह कहते हैं कि उनका भला कर रहे हैं, केवल भाषणों से, केवल हाउस में बोलकर इन सारी चीजों का समाधान नहीं होने वाला है। इसके लिये कारगर उपाय करने होंगे। जरा सी घटना जो नारायणपुर में हुयी, उस घटना को लेकर यहां की सरकार भंग की गयी। मैंने इस सदन को बताया था कि रुड़की के समीप शेखुवाला गांव में एक हरिजन परिवार को जिन्दा जला दिया गया था और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समिति वहां पर जांच करने के लिए जाने वाली थी लेकिन यह भी नहीं जा रही है। कैंसिल हो गयी है। उस समिति का भी अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। जो कार्य उसको करना चाहिए था वह भी वह नहीं कर रही है। इसी सदन में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था कि एक हरिजन को सामन्तों ने गोली मार दी और वहां पर आतंक छाया हुआ है इसलिये उस पर चर्चा करायी जाय लेकिन इस निकम्मी सरकार को साहस नहीं होता है कि वह हमारी बात सुन लें। तो कैसे इनसे तरक्की की जा सकती है, कैसे आशा की जा सकती है कि ये हरिजनों का कल्याण करेंगे ?

अब मैं किसानों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं मान्यवर, चुन कर आया हूं, वहां पर बहुत गन्ना पैदा होता है। उस क्षेत्र में क्रशरों पर 50 प्रतिशत लेवी लगाकर उनको बन्द करने की योजना बना ली है। इस योजना के लिये रैली में चीनी मिलों के मालिकों से लाखों करोड़ों रुपया लेकर लगाया गया और उनकी भलाई के लिए क्रशरों को बन्द कराने की साजिस की जा रही है। इन क्रशरों के बन्द हो जाने से गन्ने की कीमत कम से कम हो जायेगी और किसानों को या तो अपना गन्ना काट कर सुखाना पड़ेगा या खेतों में ही जलाना पड़ेगा।

अब मान्यवर, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में 2 डिस्पेंसरियां हैं लेकिन वहां पर किसी भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुयी है। उसका कारण नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। आज प्रातः एक प्रश्न के उत्तर में हमारे माननीय विद्युत् मन्त्री जी ने था कहा कि अगर आरोपों की गिनती गिनायी जाय तो उसमें ज्यादातर मेडिकल आफिसर्स थे तो मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी को कुछ न कुछ करना चाहिये।

शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, मेरे क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें पढ़ाने के लिए एक उर्दू मास्टर की पोस्टिंग है। उस बारे में मैं जब वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिला और उनसे कहा कि आप वहां के बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं और क्यों नहीं वहां पर किसी हिन्दी जानने वाले टीचर की पोस्टिंग करते जिससे वहां के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके तो कहा गया कि उनके पास कोई हिन्दी का मास्टर नहीं। तो शिक्षा की प्रगति

[श्री राम स्वरूप निम--]

के बारे में आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस देश और प्रदेश की शिक्षा चल रही है और किस प्रकार से इस प्रदेश और देश का उत्थान हो सकेगा। जब तक मानव समाज में शिक्षा का सुधार नहीं होगा तब तक व्यक्ति अ ालियत को समझने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए इन सारी बातों को समझने के लिए शिक्षा की प्रणाली को ऐसी बनाना चाहिये जिससे इस देश और प्रदेश का भला हो सके।

और कुछ अधिक न कहकर मैं हरिजनों के बारे में यह अफसोस जाहिर करते हुए और यह कहते हुए कि :

रकीबों से रफीक अच्छे जो जल के नाम लेते हैं।

गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं॥

यहां इस समय सदन में हमारे हरिजन कल्याण मन्त्री और राजस्व मन्त्री जी कैबिनेट में बैठे हुए ह, वे सरकार पर दबाव डालें। डाक्टर अम्बेदकर पूना भाग गये थे और उसका कारण यह था कि जब उनकी बात नहीं मानी गयी तो उन्होंने मजबूर होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। डाक्टर अम्बेदकर ने एक बात यह कही थी कि जब सारे हरिजन बुद्धिजीवी बन जायें तभी उनका कल्याण हो सकता ह। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हरिजनों पर जो अत्याचार होता है उनका सुनने वाला नहीं है। अगर हरिजन बुद्धिमान बन गया तो चायना, मलेशिया आदि देश हल्ला मचाने लगेंगे। आज हरिजनों की कोई भी बात विदेशों में सुनने वाला नहीं है। वे सोंचते थे कि आगे आने वाले समय में हरिजनों पर अत्याचार बढ़ेंगे और इसीलिए उन्होंने वह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा हो गया हूं लेकिन मैं हिन्दू धर्म में मरूंगा नहीं। वही उन्होंने कर भी दिखाया। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन सारे तथ्यों को समझे, कोई ऐसा उपाय ढूंढ़े जिससे हरिजनों का वास्तव में कल्याण हो और हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को अलग-अलग न करे। इससे अलगाव की भावना उनम जागृत होगी और अगर यह भावना उनमें जागृत हुई तो वह बड़ी खतरनाक होगी और उनको मजबूर होकर हरिजन प्रदेश की मांग करना पड़ेगी।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

जनाबवाला, मैं आपका बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे सन् 1981-82 के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया। इससे कोई शक नहीं है कि इन बिगड़े हुये हालत में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था और इस बजट के लिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही आपने मध्य क्षेत्र लखनऊ की कुछ समस्याओं की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

हमारे लखनऊ में जो मेडिकल कालेज है उसकी इस वक्त हालत बहुत ही खराब है। मरीजों को फर्स्ट एड तक नहीं मिल पाती है। उसके न मिलने के कारण मरीज अस्पताल के बोर्ड में जाते ही दम तोड़ देता है। मैं अनुरोध करूंगा कि लखनऊ मेडिकल कालिज की हालत को सुधारा जाये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ नगर की सड़कें सन् 1977 में चौड़ी की गयी थी। उन सड़कों पर बीच-बीच में जो बिजली के खम्बे लगे हैं उनके कारण आये दिन एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। उन खम्बों को सड़कों के बीच से हटाया जाय और ठीक जगह पर लगाया जाये।

इसके अलावा लखनऊ नगर में जल निगम द्वारा जो पानी पीने के लिये नलकूप बनाय गये हैं वे सभी खराब पड़े हैं। गर्मियों के दिनों में लोग एक-एक बूंद पानी के लिये तरसते हैं। इन सभी नलकूपों को ठीक कराया जाये जिससे पानी की समस्या हल हो सके।

लखनऊ नगर, खास तौर से मेरे हलके मध्य क्षेत्र में गलियों की जो खराब हालत हैं उसे देख कर शर्म आती है। सड़कों की हालत भी बहुत खराब हो गयी है। इस ओर भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये। दूसरे उर्दू के सम्बन्ध में सरकार ने जो बजट में हौसला अफजाई की है, मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं है। मैं उसके लिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसा एलेक्शन मैनिफेस्टो में, हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने वादा किया था, मैं चाहूंगा कि उसको उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी जबान जल्द से जल्द बनाने के लिए कदम उठाये जायं। हमारे क्षेत्र में कुछ लेबर कालोनीज है, जो कि बहुत ही खराब में पड़ी हुई हैं और उसमें ज्यादातर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुये हैं और सड़कें, गलियां, नालियां बहुत खराब हैं, उन पर जो मेन होल्स हैं, वह सब खुले पड़े है। और उसके अन्दर बच्चे गिर जाते हैं और ऐक्सीडेन्ट होते हैं। इसके अलावा 1977 में हमारी सरकार ने कुछ बिजली की लाइनें बल्लियों पर लगाई हमारे क्षेत्र में गिराई थी, जिसके अन्दर से वह लाइनें जो हैं, आज तक गलियों में, सड़कों पर यह गिरी पड़ी हुई हैं। इन बल्लियों की वजह से बच्चे व जानवर मर चुके हैं, कितने ही ऐक्सीडेन्ट हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उन खम्भों अर्थात उन बल्लियों को या तो हटवा दें या रिपेयर करायें ताकि ऐक्सीडेंट होने से बचाया जाय। आखिर में मैं दुबारा सरकार का ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री छत्तर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह बजट जो बनाया गया है, यह इस प्रकार का है कि एक आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ा कर बना दिया गया है और इससे सरकार का पैसा बरबाद किया जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि यहीं पर कह देते, हाउस में खड़े होकर, वित मंत्री कि हम थोड़े आंकड़े और बढ़ा रहे हैं, हम मान लेते कि बजट पेश हो गया। इन्होंने लिखा है सामान्य प्रशासन के बारे में। सामान्य प्रशासन चलायेंगे मुख्य मंत्री। जब ये इस देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, कथित किसानों की रैली आर्गेनाइज कराते हैं। डी० एम० को आदेश देते हैं कि अपने यहां से बसें भर कर भेजो, सबको दिल्ली भरवा कर भेजाओ। तो उच्च अधिकारी क्या सुनेगा आपकी बात को। मुख्य मंत्री में दम नहीं है कि वह सीधे आदेश पारित कर दें। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी, मुख्य मंत्री लिख रहे हैं कि गृह सचिव को भेज रहे हैं। इसका मतलब, गृह मंत्री का काम गृह सचिव देखेंगे। इस प्रकार से इस देश का जो शासन चलाना है, वह इस देश के सचिव चलायेंगे। आगे लिखते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में। अभी दो-तीन दिन से चर्चा चल रही है, बेहमई में काण्ड हुआ, जहां पर पी० ए० सी० पड़ी हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्तर सिंह--]

वहां पर फूलन देवी पहले से ही खत डाल देती हैं कि हम इस दिन डाका डालेंगे और वहां का प्रशासन कान में तेल डाल कर देखता रहता है। अलीगढ़ से लेकर, इलाहाबाद तक, बरेली से लेकर फतेहपुर तक इनकी हिम्मत नहीं कि फूलन देवी को पकड़ने तक की। विधान सभा के सामने एक झांसी का पत्रकार था, उसको आई0 जी0 ने यहां पर मुख्य मंत्री के आदेश से जल भेज दिया। आई0 जी0 ने कहा म क्या कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं कि यह पुलिस बिल्कुल बकार है। इसको रखना बिलकुल बेकार है। इस पर जो आप बजट खर्च कर रहे हैं जनता का खून चूस करके, उसे आप बिलकुल बेकार कर रहे हैं। आगे इसमें कारागार बजट के बारे में कहा गया है। मान्यवर, कारागार में कैदियों की हालत देख लें। फटे कम्बल से ठिठुरती रातें बिता दीं। उनकी दवा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, जब मैं 'मीसा' में बरेली जिले में इन्दिरा जी की आपात स्थिति में बन्द था, तो देखा कि कितने ही कैदी अंधे हो गये। उनकी दवा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह हाल है कांग्रेस शासन का। इस कांग्रेस शासन को देश में 30 साल हो गये। केवल ढाई साल के लिये हम आये थे और कह दिया गया कि आर्थिक अवस्था चरमरा गयी। मान्यवर, मैडम के पहले उनके पिता प्रधान मंत्री थे। मैडम ने एक मुख्य मंत्री को यहां भेज दिया। मुख्य मंत्री वे क्या हैं, मनुष्य-मारक मुख्य मंत्री हैं। कफल्टा में कितने लोग जलवा दिये गये। बेहमई में कितने लोग मार दिये गये। जब आप अपनी बिरादरी को नहीं बचा सके साफ है कि ठाकुरों को मारा गया और आज पेपर में फिर आया है कि 2 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया। जो मुख्य मंत्री देखकर अपनी बिरादरी को न बचा पा रहा हो, वह प्रदेश को क्या बचा पायेगा। मुख्य मंत्री बैठकर केवल रबर स्टैम्प की तरफ काम कर रहे हैं। जिसमें मन आया स्टैम्प लगा दिया, जिसमें न मन आया, नहीं लगाया।

मान्यवर, बजट में 24-सूत्रीय कार्यक्रम आया है। इसका मतलब है संजय को बहुत बड़ा नेता माना है। लेकिन एक सूत्र कम हो गया है। मतलब यह है कि धीरे-धीरे सूत्र घटते जा रहे हैं और संजय को लोग भूल रहे हैं।

मान्यवर, राजस्व के मामले में सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, किसानों की तारीख एस0 डी0 एम0 के कोर्ट में लगायी जाती है। अब, उनके पास इतने काम हैं कि कह नहीं सकते। कभी मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी बाढ़ सहायता, कभी दंगा हो गया, अभी राशन के वितरण को देखना है। किसान आया और पता चला कि एस0 डी0 एम0 साहब दौरे पर गये हैं--भले ही कमरे में सो रहे हों। 25 मील से 20 रुपया किराया खर्च करता है, और 2 रुपया पेशकार को देकर तारीख लगाकर घर चला जाता है। तो, राजस्व के मामलों को सुनने के लिये हर जिले में एक एस0 डी0 एम0 को अलग से नियुक्त होना चाहिये जिससे कि किसानों की समस्याओं को सुन सकें।

अभी सरकार बड़ा शोर मचा रही थी कि जाटवों और हरिजनों की बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं अपने यहां की कह रहा हूं। तीन साल हो रहे हैं लेकिन वहां हरिजनों को जो पट्टे दिये गये थे, आज उनको कब्जा नहीं दिया गया। तो यह है व्यवस्था कांग्रेस प्रशासन की। चलते हैं वोट मांगने के लिये, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। क्योंकि यह जानते हैं कि अगर कुछ दे दिया गया, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायेगी, और वे समझदार हो जायेंगे और फिर वोट मांगने से भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से शोषण करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं क्योंकि अगर शोषण करना बन्द कर दिया, और मजदूर और

किसान अगर पनप गये, तो आप जानते हैं कि उनके वोट हाथ से निकल जायेंगे। इसी तरह से कृषि और कृषकों के बारे में बड़ा शोर मचाया। कहते हैं कि किसानों को हम मदद करेंगे। यहां से लेखा अनुदान की घोषणा कर दी थी। आप इन्क्वायरी करा लें कि 10 परसेन्ट भी पैसा उनको नहीं गया। जो अनुदान में उनको मिलना चाहिये था, नहीं मिला। केवल अधिकारियों ने ब्लाक में सौदा करके अपना जेब भरा है।

इसी तरह से सरकार ने ऊसर निगम बनाया था। 30 साल बाद कांग्रेस ने सोचा कि इस प्रदेश में ऊसर भी है। मेरा निवेदन है और निश्चित मत है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि प्रदेश को ऊसर के ठीक कर सकें। इतने साधन नहीं है कि प्रदेश के ऊसर को सही कर सकें। मैं यह कहता हूं कि ऊसर ठीक कराने के लिए जो किसान सम्पन्न हो जिसके पास साधन है उसको 20 साल और 25 साल के लिये पट्टा दीजिये वह ऊसर में अपने पैसे लगायेगा और उससे खेत में फसल लहलहायेगी और पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो प्रदेश की तरक्की होगी। मैं मण्डी समिति के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, फर्जी पर्चियां काटकर ट्रक निकाल दिये जाते हैं और उसका पैसा सरकार को नहीं मिल पाता है इससे सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे प्रदेश के विकास में धोखाधड़ी हो रही है। वन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं वन विभाग में कानून बना है कि कोई किसान अपने खेत का पेड़ नहीं काट सकता है। बिना परमिशन के। किसान को हल बनाना है जुआ बनाना लेकिन वह पेड़ नहीं कट सकती है पेड़ काटने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी डिवीजनल फारेस्ट आफीसर से जो 5, 6 जिलों में एक होता है 50 रुपये का पेड़ और 100 रुपये परमिशन लेने में खर्च करें। इसमें आपको संशोधन-करना होगा। इसमें कम से कम 2 पेड़ किसान बिना परमिशन के काट सके। मैं यह मानता हूं कि प्रदेश के लिये वन आवश्यक है। किन्तु इसमें संशोधन होना चाहिये।

*श्री राजकुमार राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे 1981–82 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आज देश और यह प्रदेश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारी समस्यायें हमारे 32 वर्षों की आजादी के बाद ज्यों का त्यों मुंह बाये खड़ी हैं। हमारे क्षेत्र में हर पिछड़े इलाके में और बहुत सी ऐसी जगहों पर आज भी निश्चित रूप से लोग विकास की किरण नहीं देख सके हैं। उसके लिए आज एक अच्छे और सन्तुलित बजट की आवश्यकता थी। पिछले 3 साल पहले जो बजट बनाया गया जिसमें कमजोर लोगों का किसान का और अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा गया था उसी का नतीजा है कि आज वह बजट बनाने वाले लोग उधर बैठे हैं। शेक्सपियर की यह उक्त सही है।

There is a divinity behind us which serves our ends.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। फिर वह समय आया और कांग्रेस सत्तासीन हुई और प्रदेश के सामने ऐसा बजट रखा जो हरिजन किसान और सारे लोगों के लिए ऐसा माहौल बना सके ताकि उनका धीरे-धीरे विकास हो सके। लोग आगे बढ़े। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह का विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री का जिन्होंने इन्दिरा जी के निदेशन में एक अच्छी सरकार चलाने का आश्वासन दिया था धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे बजट में सबसे पहले किसान की बात सोची। इससे पहले आप किसानों के हामी बनते थे किसान रैली करते थे और 77 लाख रुपया वसूल करते हैं और रख लेते हैं। आज जब किसान रैली होता है तो आपको आपत्ति होती है हमने वह नहीं किया जो आपने किया 77 लाख रुपया हमने नहीं लिया। आज किसान की रैली में किसान गया था। किसान मार्च या दण्डी मार्च के नाम पर किसानों को लूटा गया और जो किसान के हमदर्द बनते थे उनसे किसानों का हमेशा निराशा हुई। हमने कपास के दाम बढ़ाये, गन्ने के दाम बढ़ाये ये इसलिए बढ़ाये कि जेठ और बैसाख की दुपहरिया में किसी तरह किसान सिंचाई करता है अगर उसको गन्ने का मूल्य 12-13 रुपये मिलेगा तो निश्चित रुप से निराश होगा लेकिन मूल्य बढ़ाने से निश्चित रुप से गन्ने की कृषि बढ़ेगी।

अभी पूर्ववक्ता ने बताया कि हरिजन और समाज कल्याण विभाग 2 जगह कर दिये गये हैं इससे हरिजनों का उत्थान नहीं होगा। अगर किसी पक्ष का विकास करना है तो आवश्यक है कि उसको अलग करके उनके विकास के विचार किया जाये इसलिए हमारे संविधान में जो राजनीतिक निदेशक तत्व हैं 32-33 के बाद 56 तक, उसमें इस बात की घोषणा की गई है कि संविधान इस तरह से बनाया जाये ताकि जो पिछड़े, गरीब, हरिजन वर्ग के लोग हैं उनको अलग से विकास किया जा सके। हमने अपने इलेक्शन मैनाफेस्टो में वचन दिया है कि अगर हम सत्तासीन हुए, कांग्रेस गद्दीनशीन हुई तो हम हरिजनों पर पूरा ध्यान देंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, आप भी मान्यवर उसी क्षेत्र पूर्वांचल के रत्न हैं, उसमें गोरखपुर, फैजाबाद डिवीजन आते हैं, वह देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पिछड़ा इलाका है। आज भी गाजीपुर, बलिया के आदमी, फिजी, मलेशिया, गुएना आदि में रिक्शा खींचते देखे जा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनके लिए एक अलग से विकास प्राधिकरण बनाया जाये, उसको एक इकाई बनाया जाये अगर आपको उसका विकास करना है तो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं निश्चित रुप से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में अपेक्षित विकास नहीं होगा। इससे वहां एक दिन ऐसी हिंसक क्रान्ति होगी जिसे कोई बचा नहीं सकता। चीजों की गम्भीरता को समझिये, विचार कीजिये, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हरिजनों और समाज कल्याण के लिए है उसी तरह से पूर्वांचल के लिए भी अलग से विचार किया जाये।

रेवेन्यू कोर्टस चलाने के लिए रेवेन्यू आफिसर होते हैं। मैं चाहता हूं कि दो रेवेन्यू आफिसर्स परमानेन्ट रुप से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होने चाहिए इस तरह की मांग अभी पूर्ववक्ता ने की थी और मैं भी इसी मत का हूं और मैं राजस्व मंत्री जी से माँग करूंगा इस चीज की। जो हमारी सरकार की घोषित नीति है उसे प्राथमिकता से आधार पर किया जाना चाहिए। हमने गरीबों को पट्टे दिए उसका अलग टेन्योर कायम होता है। जो कुछ आदेश जाते हैं

वह लिख कर चले जाते, सीरदार, भूमिधर, आसामी, क्योंकि यही तीन टेन्योरस है । 4 (ख) में जिसको सीलिंग की जमीन मिलती वह समाज का पिछड़ा आदमी होता है । हम मान लेते हैं कि वह भूमिहीन और गरीब है लेकिन उस श्रेणी के आदमी को सुविधा देने के लिए यहां से आदेश नहीं जाते हैं लिहाजा जिस आदमी को हमने 4(ख) श्रेणी में मान लिया है वह सुविधाओं से वंचित रह जाता है इसलिए ऐसी जगहों पर काफी सतर्कता बरती जाय । मैं ऐसे इलाके से आता हूं जहां ऐसी समस्यायें हैं । धन्यवाद ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 1981-82 का बजट अवास्तविक है इस पर हमें बड़ा दुख है । अवास्तविक इसलिए है कि इसमें 207.53 करोड़ रुपये का घाटा है और इस घाटे की पूर्ति के लिए 110·7 करोड़ रुपया लोक लेखा से लेना चाहते हैं । तो पहली बात तो यह है कि लोक लेखा क्या है इसको समझ लिया जाय । एक पुस्तिका बंटी है, इसमें है कि :

"प्रशासन के दौरान में सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी धनराशियां भी प्राप्त की जाती हैं जिनका सम्बन्ध संचित निधि से नहीं होता है । उदाहरणार्थ किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूमि (सिक्योरिटी) के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में या किसी स्थानीय निकाय द्वारा सरकारी अभिकरण के माध्यम से किसी प्रयोजन की निष्पन्न करने के लिए जमा की गयी धनराशियां तथा विभिन्न भविष्य निधियों (प्राविडेंट फंड) और रक्षित निधियों (रिजर्व फंड) आदि में जमा की जाने वाली धनराशियां ।"

मान्यवर, जो धनराशियां प्रोविडेंट फंड में जमा होती हैं वह आय नहीं होती हैं । सरकार ने बड़ी होशियारी से घाटे को कम करने के लिए दिखाया है । कि हमारी यह उपलब्धियां हैं और कहा कि हम इनको खर्च करेंगे । तो सरकार को कहना चाहिए था कि इतना रुपया हम ऋण लेंगे । क्योंकि प्रोविडेंट फंड में जमा है, जो रक्षित निधि है, जो प्रतिभूतियां हैं वह सारी अदा करनी पड़ती है । वह आमदनी नहीं है कि खर्च कर दें । तो मान्यवर, इसको ध्यान में रख तो अवास्तविक यह है कि यह रुपया, हमारे ऊपर 110 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया । इसके बाद यह कहते हैं कि 15 करोड़ रुपया कुछ सुधार करके पूरा करेंगे तो 80 करोड़ की हानि छोड़ दी गयी है । इतना बड़ा गैप छोड़ दिया गया है उसका कोई प्राविधान नहीं है कि वह कैसे पूरा होगा । 80 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं रखा गया है । इससे दो शंकायें पैदा होती हैं पहली शंका यह है कि सरकार को चुपके से आमदनी होने वाली है जिसको सरकार नहीं दिखाना चाहती है, अगर ऐसा नहीं है तो सरकार जो आमदनी दिखाती है, वही सही है तो फिर कोई व्यय ऐसा है जिसको सरकार करना नहीं चाहती है और इसमें उसे लिखा है जनता को दिखाने के लिए कि हम समाज कल्याण के लिए इतना रुपया खर्च करेंगे । सरकार ने पिछले वर्ष 63 लाख रुपया गोबर गैस के लिए रखा और जब वह खर्च होता नहीं दिखाई दिया क्योंकि गोबर गैस प्लांट में दोष है, हम 1957 से बार-बार कह रहे हैं कि कोई इसमें सुधार किया जाय लेकिन सुधार नहीं किया गया जिसका नतीजा है कि यह हमारे देश में असफल है, इनको लगाने वाले मिलते नहीं हैं, इसलिए 63 लाख रुपया रख दिया और जब खर्च होता नहीं दिखाई दिया तो जो गोबर गैस प्लांट हैं उनकी जांच के लिए 8 लाख रुपया रख लिया ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

तो यह हाथी मारे दांत उखाड़े वाली कहावत चरितार्थ होती है। गोबर गैस प्लान्ट पर 63 लाख रुपये तो खर्च नहीं होती लेकिन 8 लाख रुपये उसकी जांच के लिये रख दिया है। तो जांच क्या करेंगे क्योंकि गोबर गैस प्लान्ट लगे ही नहीं हैं।

मान्यवर, इन्होंने बजट में एक बात बड़ी खूबसूरती से कही है और वह है लफ्फाजी की बात। लफ्फाजी किसी सुन्दरता की बात में तो मानी जा सकती है लेकिन यहां लफ्फाजी बजट में है। आप लिखते हैं कि कराधान जांच समिति ने अनेक उपाय सुझाये हैं, जिनका उद्देश्य वर्तमान ढांचे के अधीन कर पद्धति का अभिनवीकरण, उसका सरलीकरण तथा कर संरचना के आधार का विस्तारीकरण है। अब कठिनाई यह है कि तीन नये शब्द हैं जैसे अभिनवीकरण, सरलीकरण और तीसरा शब्द है विस्तारीकरण जिसका अर्थ ही नहीं समझ में आता है। लेकिन अन्त में यह वायदा होने के बाद सच्चाई सच्चाई ही है कि घाटा लम्बा है और उसका भार जनता के ऊपर है। मान्यवर, आप देखें कराधान जांच समिति की संस्तुति पर निर्णय लेते समय सरकार किसी भी कर वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये इसे मापदंड के रूप में अपनायेगी। इससे कर लगायेंगे चूंकि अभी सूखा पड़ा है, जनता की वाहवाही लूटना है, इसलिये अभी कर नहीं लगा रहे हैं लेकिन लगायेंगे और गैप जरूर रहा है इसलिये उसको पूरा करने के लिये कराधान समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसको मानकर कर लगायेंगे। इसलिये आप ईमानदारी से बता दें कि आप कितना कर लगायेंगे। किन्तु वह नहीं बताया है और जनता को धोखे में रखा है। इसलिये बजट में यह सारी बातें आना चाहिये थीं जिससे जनता आपकी योग्यता को समझती। यह तो बजट का गैप है जो पूरा होने को नहीं है और प्रदेश की जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे यह सरकार सर के बल खड़ी हो जाय लेकिन टैक्स लगाये बिना नहीं रह सकती है। दो-तीन टैक्स तो बढ़ा दिये हैं जैसे 25 प्रतिशत बसों के किराये में और बिजली में प्रस्ताव आ गया है लेकिन उसका इसमें जिक्र नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह कराधान छिपाने का तरीका लोकप्रियता की दृष्टि से चाहे अच्छा समझें लेकिन वह बजट की दृष्टि से सबसे बड़ा दोष है। और इससे सरकार को बचना चाहिये।

अब मान्यवर, सरकारी घाटा कैसे पूरा हो। हर साल का बजट आता है और घाटे का बजट आता है। केवल एक ही दफा उत्तर प्रदेश में हमने बचत बजट बनाया था और इनकी सब खराब परिस्थितियों के बावजूद, जो 17-20 साल की थीं, 1967 में जो बजट हमने बनाया था उसमें तीन टैक्स माफ किये थे और सरकारी कर्मचारियों को 9 महीने में तीन बार मंहगाई भत्ता भी दिया गया था फिर भी करों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं आयी थी। इसलिये यह कहना चाहिए कि हमारे ऊपर पहाड़ फट गया है तो यह व्यर्थ की बात है। देखा जाय तो कर संरचना और आय के स्रोत क्या हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं उधर के लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो सदस्यता का जो प्रतिज्ञा पत्र है उसमें लिखा है कि संसदीय प्रणाली के जरिये हम समाजवाद लायेंगे। यह प्रतिज्ञा पत्र में लिखा है।

संसदीय प्रणाली के जरिये मैं समाजवाद लाऊंगा यह उनकी प्रतिज्ञा में लिखा हुआ है। समाजवाद लाने के लिये कोई आसमान से तो आयेगा नहीं। समाजवाद यह एक जीवन दर्शन है। यदि आप उसको जिन्दा नहीं रख सकते तो

समाजवाद लाने का प्रश्न ही नहीं उठता । समाजवाद में जितने रोजगार, उद्योग धन्धे हैं, के घाटे पर नहीं चलते । सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग धन्धे बढ़ाने की तरफ आप ध्यान दें । श्रीमन्, यदि आप इस दिशा में देखें तो निराशा ही होती है । हालत यह है कि आज हमारा प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का छठवां भाग है । लेकिन यहां पर उद्योग धन्धे इतने कम सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए हैं कि उसके कारण देश की प्रदेश की जनता रोजगार पाने से वंचित रह जाती है ।

मैं एक उदाहरण दे दूं कि आपकी मैसूर सरकार ने करनाटक में एक कागज का कारखाना लगाया है । उनके यहां 40 हजार टन के कागज का एक कारखाना था तो उन्होंने उससे बड़ा एक और कारखाना बढ़ाया जिसमें 75,000 टन अखबारी कागज का उत्पादन का अनुमान है । इस उद्योग के लिये उन्हें चीनी का मिल लगाना पड़ा ताकि बागस मिल सके । हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं परन्तु कागज का कारखाना नहीं है मैंने पता किया कि उस बागस से वहां पर कागज बनाने की योजना है और उससे कागज बनेगा । मैंने गन्ना विकास मंत्री जी को एक पत्र लिखा था, उनका उत्तर मिला तो आश्चर्य तो इस पर हुआ कि छठी पंचवर्षीय योजना में पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार 20 टन प्रति दिन के हिसाब से कागज बनाने वाला कारखाना लगायेगी जबकि वहां पर 75,000 टन वाला कारखाना लगा रहे हैं और यहां पर 20 टन रोज वाला कारखाना लगेगा । जबकि सारे प्रदेश में बागास मौजूद है । सच्चाई तो यह है कि सबसे अच्छा पोलिस्टर का धागा इससे मिलता है और उसमें गर्मी और सर्दी के विपरीत प्रभाव रखने का गुण है । इससे जो धागा बनता है वह सबसे बढ़िया क्वालिटी का धागा होता है । कारखाना तो लगाना दूर, जो मुझे उत्तर दिया गया है माननीय गन्ना विकास मंत्री जी के द्वारा कि उनकी समझ में नहीं आया कि गन्ना विकास के लिये शुगर कम्पलेक्स क्या होता है । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कम्पलेक्स लगा कर जो शक्कर के दाम घटाने की बात थी वह भी सरकार के बस की बात नहीं है । हां, अलकोहल बनाने के लिये कारखाना लगा दीजिये तो उसका मुनाफा शक्कर के दाम घटाने के लिये काम में नहीं आयेगा शक्कर बनाने के लिये गन्ने की खोई, शीरा, मैला तथा शक्कर चारों को मिला कर एक उद्योग के रूप में देखें तो पता चलेगा कि गन्ने का दाम 20 रुपया क्विंटल देने पर शक्कर डेढ़ रुपये किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकती । इन्होंने छठीं पंचवर्षीय योजना में शुगर कम्लेक्स लगाने की कोई योजना नहीं बनाई ।

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, श्री मुईद अहमद आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

तो मैं यह कह रहा हूं कि जो यह छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो जीवन का स्तर उठाना है तो इसके लिये आप सरकारी क्षेत्र में कारखाने लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते तो समाजवाद कैसे आयगा ? आप पूंजीपतियों पर ध्यान देते हैं तो ताकत तो पूंजीपतियों के हाथ में रहेगी । सार्वजनिक कारखानों से, उद्योग धन्धों से जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे से पूंजीपतियों का सृजन नहीं होता है ।

(श्री मुईद अहमद के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुईद अहमद, मेरे कहने के बाद भी आप अपना आसन नहीं ग्रहण कर रहे हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

किन्तु यह इनका सिद्धान्त ही नहीं है । जब पूंजी संचय का सिद्धान्त ही नहीं है तो प्रदेश सरकार की स्थिति अच्छी कैसे हो सकती है । जो कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में लगते हैं उन सारे कारखानों में घाटा है । बहुत बड़ा उद्योग चला था परिवहन का इन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया । जब उसे राज्य परिवहन परिषद् से इन्होंने लिया तो उसके पास 25 करोड़ की एसेल्स थी । 21 करोड़ रुपया सरकार ने बैंकों से उधार दिलाया । इस प्रकार से 46 करोड़ रुपया इस निगम के पास इस वक्त होना चाहिए था लेकिन आश्चर्य है कि जो बसें खरीदी जा रही हैं वे सरकारी टैक्सेशन पर खरीदी जा रही हैं । पूंजी संचय नहीं हुआ, कोई मुनाफा नहीं हुआ, सब घाटा ही घाटा है । सार्वजनिक क्षेत्र में मुनाफा बढ़ाने का एक तरीका निकाला है कि दाम बढ़ा दें । दाम बढ़ने से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को बड़ा धक्का लगता है । इसकी कल्पना शायद उस तरफ के लोग भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए । होता क्या है । सार्वजनिक क्षेत्र में आपने दाम बढ़ा दिये जैसे मान लीजिए बस में बढ़ा दिये । अब इसमें प्राइवेट बस वालों का फायदा है । इनकम टैक्स की भी वे चोरी कर लेते हैं और पूंजी संचय कर लेते हैं । इससे मंहगाई बढ़ जाती है, सारी अर्थ व्यवस्था ठप्प हो जाती है । 46 करोड़ लगान के बदले में यदि किसी व्यक्ति को एक करोड़ भी दे देते तो निश्चित रूप से बीस-तीस लाख का उनका पूंजी संचय हो जाता । और इनकी 5,700 बसों में से 1700 बसें बेकार पड़ी हैं । कन्ट्रेक्ट में लेकर काम चलाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए कौन सा इनके पास रोजगार है । सीमेन्ट फैक्टरी है, विद्युत् विभाग इतनी बड़ी कन्सर्न है । जब से विद्युत् विभाग इनके हाथ में आया है खास तौर से जब से परिषद् बन गई है तब से दो अरब रुपये का घाटा हो चुका है । 64 करोड़ इस साल होने वाला था, 20-21 करोड़ बढ़ा कर पूरा कर रहे हैं । 43 करोड़ का घाटा है । लगातार घाटे में चल रहे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग हैं अगर वे निरंतर घाटे में चलेंगे तो एक ही परिणाम होगा कि सरकार का कभी पूंजी संचय नहीं होगा । जनता तंग आ कर कहेगी कि सरकारी क्षेत्र में काम बन्द करो, तुम्हारे कहने से नहीं हो सकता । एक तरफ सरकार कांग्रेस बनाती है । सच बात कड़वी लगेगी । मेम्बर ही नहीं बनते । कोई दस्तखत नहीं करते हैं । रुपया जमा करते हैं । 11 वर्ष तक चुनाव नहीं होता । अब स्थिति यह है कि समाजवाद के लिए संकल्परत, संसदीय प्रणाली के लिए संकल्परत है । पता नहीं इनके मुंह में राष्ट्रपति प्रणाली की बात कैसे आ गई क्योंकि ये तो संसदीय प्रणाली से समाजवाद लायेंगे । समाजवाद लाने के तरीकों में बिजली विभाग के बारे में मैंने बता दिया । मान्यवर, तीन परिस्थितियां होती हैं जिनमें उद्योग बढ़ सकता है । इनकी सरकारीकरण की योजना है । उसमें जो काम करने वाले हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है । मैं एक उदाहरण देता हूं । रोडवेज में सरकारी बस वाला है वह व्यक्तिगत बस वाले के पीछे चलेगा । आगे वाला तो सवारी उठाता है जिसकी इसको जरूरत नहीं है । पांच रुपया प्राइवेट बस का ड्राइवर इस ड्राइवर को दे देता है । यह निरंतर पीछे चलता है क्योंकि इस ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं है । एक जगह में फंस गया था ..

तो मैं देखूं कि हर जगह हमारी बस चले तो वह पीछे रहे। मैंने कहा कि इतनी गड़बड़ी क्यों करते हो ? उसने कहा कि हमें तनख्वाह मिलनी है, ज्यादा कुछ मिलना नहीं है हम क्यों आगे चलें। हमारा मालिक खुश तथा नाखुश नहीं होता, समान रहता है। उसको आगे चलने से कुछ मिल जायगा। इतना समान दृष्टि रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष —

घड़ी भी समान रूप से चल रही है। अब आप बैठ जायं आपका समय समाप्त हो चुका है।

[समय 4 बजे अपराह्न]

श्री राम स्वरूप वर्मा—

दो मिनट और दे दें। मैंने सरकार को बराबर लिखा है कि आप सरकारीकरण बन्द कर दें, समाजीकरण करें समाज में तीन अंग होते हैं धनदाता, उत्पादक तथा उपभोक्ता। तीनों के हित समान होते हैं। इसी तरह के बस में भी तीन आदमी हैं ड्राइवर, कंडक्टर तथा मेकैनिक इन तीनों के हित अगर सुरक्षित रहेंगे तो सरकार को लाभ होगा और इनको सम्मिलित करके समान संख्या में सरकारी अफसर व विधायकों का एक प्रबन्धक मंडल बन जाय जिससे सबका हित हो सकेगा।

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव इस बजट के बारे में रखे हैं। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि बजट पर विचार करते समय सरकार के कार्यों की आलोचना होती है। सदीय लोकतन्त्र में यह अधिकार सुरक्षित है और किसी भी अच्छी सरकार को जो संवेदनशील है इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं यह सिद्ध करूंगा कि इतनी संवेदनशील सरकार पहले कभी नहीं थी जितनी इस समय है। माननीय नेता विरोधी दल ने इस बजट को समय पर प्रस्तुत करने का स्वागत किया मैं इसके लिये भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने यह अपेक्षा की है कि व्यय की स्वीकृति समय पर होगी। मैं उनको यह सूचना देना चाहता हूं कि हमने यह प्रबन्ध किया है कि 25 मार्च को इसे पास करने का जो हमने कार्यक्रम बनाया है उस समय तक यह पास हो जायगा और 1 अप्रैल तक सारी स्वीकृति हम जारी कर देंगे। इसकी पूरी तैयारी हम ने कर ली है। 1966 में एक बार फरवरी में बजट जरूर पेश हुआ था। हममें से हर सम्मानित सदस्य चाहे वह विपक्ष में हो अथवा सत्ता पक्ष में यह बात अच्छी तरह से जानता है कि देर के बजट पास होने से और धन की स्वीकृति बाद में मिलने से कठिनाइयां उत्पन्न होती थी और कार्य सम्पन्न होने में देरी लगती थी। इसलिये प्रयास यह किया गया और सफल प्रयास किया गया 1966 के बाद पहली दफा कि मार्च में हम बजट पास कर दें और अप्रैल से दो कार्य रह जायं एक तो व्यय करना और दूसरे जो व्यय हो उसकी निगरानी रखना। यह प्रक्रिया हम अपनाना चाहते हैं। मैं एक आशंका को दूर करना चाहता हूं। अभी मेरे बोलने से पहले एक माननीय सदस्य बोल रहे थे वह बहुत अनुभवी सदस्य हैं और इस प्रदेश के वित्त मन्त्री रह चुके हैं और उस समय की सरकार में वह सबसे योग्यतम व्यक्तियों में थे।

उन्होंने आशंका जाहिर की है कि घाटे का बजट है। माननीय नेता विरोधी दल ने भी यही आशंका जाहिर की है कि घाटे का बजट है। उन्होंने कहा

[श्री ब्रह्म दत्त--]

कि कर लगाने की घोषणा करने की हिम्मत हमने नहीं की । साथ ही उन्होंने यह भी आशंका जाहिर की कि हम कर लगा सकते हैं । उन्होंने बसों का किराया बढ़ाने का भी जिक्र भी किया । मैं इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं । एक तो सरकार के अपने कर हैं जो कि प्रदेश की सरकार लगाती है और दूसरे केन्द्रीय सरकार लगाती है और दूसरे केन्द्रीय सरकार से जो करों में हिस्सा मिलता और जो हमारे आय के श्रोत हैं, आय के संसाधन हैं वे जो हमारे सार्वजनिक उपक्रमों से आय होती है । सार्वजनिक उपक्रम इस सिद्धान्त पर काम करते हैं कि जो उनके ऊपर होने वाला व्यय है, वह बढ़ जाय तो उसके मुताबिक वह अपने किराये को या अपने चार्जेज को बढ़ा सकता है । लेकिन यहां मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में भी हमने एक नई नीति अपनाई है और हम उसमें अमल कर रहे हैं । विद्युत् विभाग मेरे पास है और वहां पर हम उस नीति का कठोरता से पालन कर रहे हैं । सार्वजनिक उपक्रमों में पूंजी लगी हुई है उसका भी सही उपयोग होना चाहिए । मेरा विश्वास है कि यदि हमारे विधान मंडल के माननीय सदस्यों का हमें जरा भी सहयोग प्राप्त होगा तो हमारी जो इनमें 2 हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जैसे विद्युत परिषद् है, परिवहन निगम है, नलकूप निगम है अन्य सार्वजनिक उपक्रम हैं उसमें उनकी कुशलता से लेकर उत्पादन बढ़ाने में हम प्रयास करेंगे और उनमें जो हानियां हैं उनको खतम करेंगे तथा उसको मुनाफे में जोड़ेंगे ।

मान्यवर, एक मिसाल देना चाहता हूं । अक्तूबर, 1980 के महीने में जो हमारे कोयले से चलने वाले ताप विद्युत् गृह हैं उनसे हमें साढ़े बारह मिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही है । उनकी मरम्मत आदि करके, उनको ठीक तरह से कोयला पहुंचाने की चेष्टा करके कोयला को ले जाने के लिए रेलवे वैगनों की व्यवस्था करके, बी० एच० ई० एल० के पुरजे प्राप्त करके उन्हीं यन्त्रों द्वारा हम 24 मिलियन यूनिट तक बिजली प्राप्त कर रहे हैं । इस पर हमें 30 लाख रुपए रोज आता है । इस तरह से हमको चेष्टा करनी पड़ेगी कि पूंजी सार्वजनिक उपक्रमों में लगी हुई है उनमें हम कुशलता लायें, मौजूदा व्यवस्था और जनशक्ति से अधिक काम करें, उनका अधिक उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि संसाधनों की जो बड़ी भारी कमी है उसे हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं ।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात और कही । बजट की स्वीकृतियों के बारे में जो उन्होंने कहा वह उचित है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि बिल से स्वीकृत होने में देर नहीं लगेगी जिससे कि अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और विभाग से सम्बन्धित मंत्रियों को अपने विभाग के कार्यों के कार्यान्वयन में कठिनाई न हो । मौनीटरिंग और इवैल्युयेशन की प्रक्रिया है उसे हमारे मुख्य मन्त्री जी स्वयं देखते हैं, स्वयं हर विभाग का मूल्यांकन और निगरानी करते हैं । हमने मंत्रि-मंडल की एक उप समिति बनाई है जो इसे देखती है क्योंकि हमने देखा है कि जब योजना पूरी होने में देर लगती थी उसका उपयोग नहीं हो पाता था । इस प्रक्रिया से वह समस्या भी दूर हो जायेगी । इसके अलावा हमने अपने नियोजन संस्थान में इवैल्युयेशन और मानीटरिंग की प्रक्रिया लागू की है जिसके हमें प्रभाव अच्छे मिल रहे हैं । मान्यवर, एक बड़ी कठिन परिस्थिति में हमारी सरकार ने काम सम्भाला है और एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आई है जो 1979-80 का साल था वह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिय बहुत बुरा साल था ।

क्योंकि उस साल में भयंकर सूखा पड़ा था और भयंकर बाढ़ आई। उसकी वजह से कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत की कमी आई और जो हमारी सकल आय है वह भी करीब करीब 14 प्रतिशत कम हो गई। सारे देश में वह कमी 3 प्रतिशत रही। इससे आवश्यक वस्तुओं की कमी और आमदनी में गिरावट आई थी और लाजमी था कि करों में गिरावट आए। मान्यवर, हमारे सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि अर्थ व्यवस्था का प्रभाव जो पड़ता है वह उस वर्ष नहीं पड़ता है उसका प्रभाव अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष से पड़ना शुरू होता है। मैं स्वयं स्वीकार करता था कि 1980-81 का वर्ष हमारे लिए कठिनाई का होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1980-81 का साल हमारे लिए रिकवरी का साल हुआ इट हैज बिकम ए इयर आफ रिकवरी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1981-82 का वर्ष हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए और अच्छा सिद्ध होगा। हमारे देश की सकल आय में बताना चाहता हूं 1978-79 में 45637 करोड़ थी वह घटकर 1979-80 म 44 हजार करोड़ रह गई। माननीय सदस्यों ने मेरा बजट भाषण पढ़ा होगा उसमें अपने यहां के भी आंकड़े दिए हैं। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे यहां 14 परसेन्ट की गिरावट आई थी। लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे करों की वसूली ठीक हो, हमारा रेवेन्यू न घटे तथा हमारे अनुत्पादक व्यय व बढ़े। हमारे सामने कई कठिनाईयां थी हमारे यहां हर क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई, गेहूं के उत्पादन की मात्रा घट गई, चावल के उत्पादन की मात्रा घट गई गन्ने और चीनी के उत्पादन की मात्रा घट गई जिससे उपलब्धि भी हमारी कम हुई। लेकिन इस वर्ष हम उसे पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं यह हमें आज परिलक्षित होता है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अपने बजट भाषण के पृष्ठ दो की ओर ले जाना चाहता हूं। उसमें दिया है वर्ष 1979-80 में गन्ने का उत्पादन 623.24 लाख मी0 टन से घटकर 512.28 लाख मी0 टन हो गया, चावल का उत्पादन 1978-79 के 59.61 लाख मी0 टन से घट कर वर्ष 1979-80 में 25.51 लाख मी0 टन रह गया, गहूं का उत्पादन 114.58 मी0 टन से घट कर 96.68 लाख मी० टन रह गया।

लेकिन इस वर्ष जो हमारी खरीफ का उत्पादन है वह पिछले साल के 43 लाख मी0 टन के मुकाबले में 86 लाख मी0 टन हुआ है, चावल का उत्पादन साढ़े 25 लाख मी0 टन के मुकाबले में 60 लाख मी0 टन हो गया है यानी 135 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। आलू का उत्पादन भी 32 लाख मी0 टन के मुकाबले में 47 लाख मी0 टन हो गया है। दलहन और तिलहन का उत्पादन 10 लाख मी0 टन के मुकाबले में 15 लाख मी0 टन होने की आशा है। पिछले साल औद्योगिक उत्पादन में, बिजली के उत्पादन में तथा और चीजों के उत्पादन में कमी आई लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल स्थिति में आशाजनक सुधार आया है और हम रिकवरी की ओर बढ़े हैं और हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि और देखा है कि जून, 80 में समाप्त होने वाले तिमाही में गत 3 वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है। जून 1980 को औद्योगिक उत्पादन तीन वर्षों की तुलना में यानी जून 1979 में 121.3 जून 1978 के 145.4 की तुलना में 111.2 था। सीमेन्ट, 1979 के 131 के समक्ष जून, 1980 में 124.2 था। वनस्पति 117.7 के समक्ष जून 80 में कम होकर 98 पहुंच गया सूती वस्त्र सूचकांक 81 के बजाय 62 में पहुंच गया था। लेकिन इस समय जो हमने अनुमान लगाए हैं उसमें

(इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

[श्री ब्रह्म दत्त—]

हमको यह मालूम पड़ता है कि इस तिमाही में जुलाई से सितम्बर तक हमारा यह उत्पादन 18 प्रतिशत बढ़ा है बजाए 8.8 प्रतिशत बढ़ने के। तो इस प्रकार से आप देखें इस उत्पादन में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है। जब यह उत्पादन बढ़ेगा तो अधिक कर लगेंगे, अधिक कर होंगे और अधिक उनकी वसूली होगी और उससे हम अपने घाटे को पूरा कर सकेंगे। इसलिए किसी के लिए इस आशंका की कोई गुंजाईश नहीं है कि यहां प्रच्छन्न कर लगाए जाएंगे या बाद में दूसरे रास्ते से किसी प्रकार के अधिक कर लगाये जायेंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर नहीं है, जितनी हमारे आलोचकों द्वारा बताई जाती है। हमें इन्कम टैक्स से जो हिस्सा मिलता है, उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और होगी। सन् 1977-78 में करीब 103 करोड़ रुपया हमें इससे मिला। 1978-79 में 108 करोड़ रुपया इन्कम टैक्स का मिला और 1979-80 में 133 करोड़ रुपया मिला। इसी वर्ष का हमारा जो पुनरीक्षित अनुमान है वह 144 करोड़ रुपए का है और हमें विश्वास है कि अगले वर्ष में यानी 1981-82 में करीब 155 करोड़ रुपए हमें इसमें प्राप्त होंगे। क्योंकि जो सम्भावनाएं हमने देखी हैं, उससे भी ज्यादा हम पाएंगे। जो केन्द्रीय आबकारी करों में से हमें हिस्सा मिलता है, उसकी ओर भी आप देखें। वर्ष 1977-78 में इससे 187 करोड़ रुपया मिला, 1978-79 में 208 करोड़ रुपया मिला और वर्ष 1979-80 में नए फारमूले के अनुसार 435 करोड़ रुपए मिले। इस वर्ष 467 करोड़ रुपए मिलेंगे और अगले साल इस राशि के 494 करोड़ रुपया होने का हमारा अनुमान है। इसी प्रकार अगर हम अपने रेवेन्यु-राजस्व की ओर ध्यान दें, तो 1977-78 में जो हमारा राजस्व है वह 508 करोड़ रु0 हुआ, 1978-79 में 562 करोड़ रुपया इसमें मिला। 1979-80 का वर्ष जो हमारे लिए संकट का वर्ष था, उसके बावजूद हमारा अनुमान है अनुमान ही नहीं विश्वास है कि इसमें 582 करोड़ रुपया प्राप्त होगा और हमारा प्रयास है जिससे अगले साल 626 करोड़ रुपए से भी ऊपर हम इसको ले जाएंगे।

कुछ दूसरे संसाधन के स्त्रोत होते हैं, जिसके बारे में हमें हमेशा शिकायत रही है। एक जो मार्केट-बारोईंग का साधन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का भार कम रहा है। उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पूंजीनिवेश हो सके। हमें सारा जो मार्केट लोन मिला, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में 29 करोड़ मिला। वर्ष 1980-81 में भी इसे 29 करोड़ ही रहना है। अगले साल के लिए, हमने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करके अपना हिस्सा बढ़वाकर 78 करोड़ रुपए के करीब कर लिया है, 78 करोड़ तक हमने बढ़ाया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

आप तो एकतरफा तस्वीर पेश कर रहे हैं, पूंजीनिवेश से ही सब हो जाएगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैं भूतपूर्व वित्त मन्त्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि पूंजीनिवेश के साथ हमारे एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। हमें यदि नये उत्पादन के साधन बढ़ाने हैं तो उसमें पूंजीनिवेश हमेशा करना पड़ेगा।

अच्छा व्यापारी तथा अच्छी सरकार कभी पूंजी निवेश से घबराती नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या इसका आपने कुछ प्राविजन किया है कि जो किसी भी प्रोडक्शन में एक्सपेन्डीचर किया जाएगा, उसके कितने समय बाद उसका रिफन्ड करना शुरू करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है माननीय सदस्य ने, लेकिन अगर उन्होंने हमारे भाषण के शुरू के अंशों पर ध्यान दिया होता तो उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । पूंजी लगाकर उस योजना को समय से पूरा करना ताकि उससे होने वाला लाभ जल्दी हो और उसमें अधिक व्यय न हो, इस बात का पूरा प्रयास किया गया है । मान्यवर, इस वर्ष के अन्त में जब दूसरा बजट प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा तो मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे थे, उस लक्ष्य की ओर बढ़ । 1979-80 संकट का साल होते हुए भी हम दिवालिया नहीं बने । जब हमने सत्ता संभाली उस समय जर्जर अवस्था थी, हर क्षेत्र में जर्जर अवस्था थी । यह साल हमारा स्वस्थ होने का समय था । अगला साल हमारा प्रगति का साल होगा । मान्यवर, एक बात में माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं उन्होंने इस बात के ऊपर चिन्ता प्रकट की कि किसानों को ठीक मूल्य नहीं दिया गया । 1977-78 में इस प्रदेश में गन्ने का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ था छः करोड़ टन से ऊपर । माननीय नेता विरोधी दल उस सरकार में थे और मैं विरोध पक्ष में था उन्हें स्मरण होगा कि गुड़ और खान्डसारी पर पाबन्दी लग गई थी उससे किसानों को बड़ी भारी हानि हुई । किसानों को दन्ड सहना पड़ा रिकार्ड प्रोडक्शन का । 3-4 क्विंटल गन्ना किसानों का सड़ गया, किसी ने पूछा तक नहीं । 18 मार्च को हमने प्रदर्शन किया और हमारे वरिष्ठ नेता जेल भी गए, लाठीचार्ज हुआ । हमने मांग की कि

(इस समय 4 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

20 रु0 क्विन्टल गन्ने का दाम रखा जाय । जिस समय यह सरकार बनी, संवेदनशील, जनता की भावनाओं को समझने वाली, हमारा पहला कार्य यह हुआ कि जो 20 रु0 की मांग हमने की थी उसे पूरा किया बल्कि 3 रु0 और बढ़ा दिया लेकिन जो लोग आज हमारी आलोचना करते हैं और 30 रु0 की मांग करते हैं वह अपने जमाने में 3-4 रु0 नहीं दिला सके । 1977 का वर्ष किसानों के लिए सर्वनाशी वर्ष रहा है जिससे किसान आज तक पनप नहीं पाये । 125 रु0 की रिकमेन्डेशन गेहूं के लिए की गई थी वह अब 140 रु0 की रिकमेन्डशन की गई है । धान के बारे में भी हमने व्यवस्था की । कम से कम भूतपूर्व समाजवादी लोगों को इस बात की तारीफ करनी चाहिए । अभी तक धान की सीधे खरीद किसानों से नहीं की जाती थी, उसका लाभ मिल मालिकों को मिलता था । 6 लाख टन से ऊपर धान सीधा किसानों से खरीदने की व्यवस्था की गई । गेहूं और धान लेने के व्यवस्था अधिक प्रभावशाली ढंग से हम कर पायेंगे ऐसा विश्वास है ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कृषि के जितने प्रगतिशील जगहों के नाम गिनाये जैसे पंजाब, हरियाना, कर्नाटक, बिहार । यदि हम इन सब जगहों के प्रगति के तरीकों का अध्ययन करें तो उत्तर प्रदेश के पास बहुत कुछ इन प्रदेशों को सिखाने के लिए है । अगर हम यह देखें कि प्रगति कैसी रही तो पांचवीं योजना के अन्तर्गत साढ़े छः प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर थी उत्तर प्रदेश में । पंजाब में

[श्री ब्रह्म दत्त--]

5'4 थी, हरियाणा में यहां के बराबर थी । कर्नाटक में 5'6 थी और बिहार में जिसका अनुकरण करने की सलाह हमारे नेता विरोधी दल ने दी है वहां 3'1 प्रतिशत है । यह बात सही है कि पंजाब के किसानों की जो मेहनत है, उनके यहां पर इन्डस्ट्री का तरीका है और खेती का तरीका है, उसके स्पष्ट प्रमाण हमें तराई क्षेत्र में देखने को मिले हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गेहूं के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है इस देश में ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसको तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन हम इसमें भी बहुत पीछे नहीं हैं । सफल खेती के मैंने अभी आंकड़े दिए हैं । हमारे माननीय नेता विरोधी दल इसी प्रदेश के निवासी हैं और इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने में ही उनका सम्मान बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है ।

एक बात मंडी समितियों के बारे में कही गयी कि उनके पास जो पैसा है उससे सड़कें बनानी चाहिए । उसके लिए हम भी देते हैं लेकिन एक कठिनाई हमारे सामने है । पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दयार हुआ और उसमें यह पाबन्दी लगायी गयी कि उनकी निधि से कोई भी पैसा सड़कों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है । हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं ।

विद्युत् के बारे में कहा गया है कि जो बिजली का उत्पादन होता है उसका 25 प्रतिशत गांवों को उपलब्ध होता है । यह सही नहीं है । 40 प्रतिशत गांवों को उपलब्ध कराया जाता है ।

सिंचाई के बारे में आपने कई सुझाव दिए, वे बहुत अच्छे हैं लेकिन असली रणनीति हमारी यह है कि जो हमारी सिंचाई की क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग कराया जाय। जो हमारी शारदा सहायक योजना है, या अन्य बड़ी-बड़ी नदियों की योजनायें हैं वे ऐसी हों कि उनके पानी को हम खेतों तक पहुंचा कर, उनके डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम का उपयोग करके, किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके । हमारी यह भी योजना है कि जो नयी घाटी योजनायें हैं, उनको हम पूरा करें ।

श्री रियासत हुसैन--

आपकी जो राजघाट परियोजना है जिसमें आपकी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के इक्वल शेयर हैं और वह बोर्ड के अन्तर्गत बन रही है उसमें आपका शेयर तो बराबर एक्सपैन्डिचर में चला जा रहा है तो क्या कोई गारन्टी केन्द्रीय सरकार से इस बात की ली है कि मध्य प्रदेश का शेयर भी बराबर आपको मिलता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

लगता है माननीय सदस्य बांध में काफी रुचि ले रहे हैं क्योंकि बीच-बीच में हमको भी भूल रहे हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

हम लोगों की करीब-करीब 3 बैठकें मध्य प्रदेश की सरकार से हो चुकी है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री व वित्त मंत्री भी मौजूद थे और जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने की थी। हमें इस बात का पूरा ख्याल है। दो योजनायें है। एक बेतवा और दूसरी राजघाट। राजघाट योजना से हमें ज्यादा फायदा मिलता है और बेतवा में उनको मिलता है लेकिन हमने यह व्यवस्था की है कि संतुलित रूप से दोनों योजनायें चले। इसी प्रकार से हमने हरियाणा सरकार से यमुना के जल के बारे में बात की है। हमें ताजेवाला में नये ढंग से बांध बनाने की योजना की स्वीकृति मिल गयी है।

उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में चाहे वह विद्युत् से सम्बन्धित हो या सिंचाई से, एक बड़ा भारी काम मुझे नजर आता है और रहा है। हमारे यहां जो शक्ति का भंडार है वह हमारे पवित्र नदियों में है। लेकिन गंगा, यमुना और सहायक नदियों के ऊपर अभी तक कोई बांध नहीं बनाये गये थे जिसके कारण अपार जल शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता था और बाढ़ जैसी विनाशकारी लीला देखने में आती थी। हमारी यह कोशिश है कि इन नदियों पर नेपाल सरकार के भी सहयोग से, बांध बनाये जायें, इनके जल को हम स्टोर कर सकें और उसका उपयोग सिंचाई के कार्यों में हो सके। इस वर्ष हम उनकी नींव ही डाल सकते हैं, यह योजना 5-10 वर्ष में पूरी हो सकेगी।

हमारी पंचवर्षीय योजना को आपने देखा होगा। मैं चाहता हूं कि इस सदन में एक दिन उस पर चर्चा हो जाये ताकि माननीय सदस्यों के विचार हम उस पर जान सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

अपनी योजना का प्रारूप तो आप माननीय सदस्यों को बटवा दें।

श्री ब्रह्म दत्त--

उसकी व्यवस्था मैं करवा रहा हूं। मैंने अपने बजट भाषण में संक्षेप में उसका जिक्र कर भी दिया है।

इस वर्ष इस बजट की विशेषता यह है कि हमने इस बजट में पूरी वार्षिक योजना का समायोजन कर लिया है। हमारी इस साल की वार्षिक योजना, जो केन्द्रीय योजना आयोग ने 1075 करोड़ की रखी थी, हमने 1085 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। यह एक बड़ी भारी उपलब्धि है। इस 1085 करोड़ की योजना में 144·69 करोड़ रुपया स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा खर्च किया जायेगा। राज्य अयोजना के लिये राज्य बजट में अपेक्षित प्राविधान 940·31 करोड़ का किया गया है। अयोजनागत पक्ष के व्यय का कुल प्राविधान राजस्व पक्ष 329·52 करोड़, पूंजीगत पक्ष 417·95 करोड़ रुपये ऋण और अग्रिम में 292·62 करोड़ यानी 1040·09 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस तरह से यह हमारी एक विशेष उपलब्धि है कि समय से योजना बनाकर हमने उसका बजट में समावेश कर लिया। 1978-1983 तक की जो 4800 करोड़ की योजना थी उसको बढ़ा कर हमने 6200 करोड़ की किया। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये भी भी हमने प्राविधान किया है। वहां के विकास की जो आपने परिकल्पना की थी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरा करें, उन कल्पनाओं को हम पूरा करें। लेकिन इस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात से कि वह योजना 90 करोड़ के बजाय 570 करोड़ की है। हम यह कोशिश करेंगे कि हर वार्षिक योजना

[श्री ब्रह्म दत्त--]

को हर वार्षिक योजना में समावेश कर लें और ठीक समय से उनका उपयोग कर लें और ठीक संसाधन जुटाये । इसमें विधान मंडल के माननीय सदस्यों के सहयोग की मैं कामना करता हूं ।

मान्यवर, एक सूचना देना चाहता हूं कि थोड़ा विलम्ब हुआ, योजना के जुटाने में, उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं क्योंकि हमने जो योजनाएं यहां से तैयार करके भेजी थी और स्वीकृत योजना में अन्तर है । इसलिए उसका संशोधित रूप माननीय सदस्यों को बहुत जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा और एक दिन हम लोग सब मिलकर सदन में विचार करेंगे और माननीय सदस्यों का बहुमूल्य समय उसमें लेंगे । दो बुनियादी डाकूमेंट हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान और हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान के लिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनायेंगे ताकि हर जिले के माननीय सदस्यों को, माननीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को यह पता चल जाय कि उनके जिले में क्या होना है और वह अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे दें । पिछले दिनों हमारा दल महाराष्ट्र गया था । हमने योजना जो काम के विकेन्द्रीकरण के लिए और प्रगति के कार्य के सम्बन्ध में अध्ययन किया है, शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा। हम लोग यह चाहते हैं कि जिले स्तर पर अगर सम्भव नहीं हो सकता, तो पहले चरण में मंडलीय स्तर पर हम वित्तीय और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करें और डिवीजनल कमिश्नर के चारों तरफ एक ऐसा संगठन बनायें कि वह इन योजनाओं के बारे में सुझाव दें । हम यह भी आइडेंटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत धन स्थानीय कामों में, कितने अन्तर के साथ जिला योजनाओं में हम दे सकते हैं और हम चाहेंगे कि वहीं पर व्यय हो, इसका निर्णय वहीं पर किया जाय । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम होगा । हमने निर्णय किया कि नये फार्मूले के अनुसार बैकवर्डनेस का भी ख्याल रखा जायगा, उससे ज्यादा लाभ होगा । तीसरा फायदा राष्ट्रीय बैंक और एल० आई० सी० से लोन लेने में हम देने वाले हैं । जिला प्लान और जिला क्रेडिट प्लान में कितना धन, कहां से उपलब्ध हो सकता है, दस्तकारी आदि के लिए, रोजगार आदि के लिए, उस पर हम विचार कर रहे हैं, ताकि वह अपना ठीक प्रकार से रोजगार चला सकें और वह दोनों दस्तावेज अब तैयार हो जायगा । मैं समझता हूं कि दो-एक महीने में माननीय सदस्यों को हम उपलब्ध करा देंगे । वह उनके लिए एक बहुमूल्य सामग्री होगी । हम इस प्रक्रिया से चलना चाहते हैं कि जो कुछ सरकार करे उसकी सूचना जनता तक पहुंच जाय और जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव हो रहा है । क्षेत्र में क्या हो रहा है, उससे सरकार अवगत हो जाय । जो मैं संवेदना की बात कर रहा था वह इसीलिए कर रहा था और एक बन्दोबस्त किया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बन्दोबस्त से हम काफी आगे बढ़ सकते है ।

मान्यवर, एक बात के बारे में और कहना चाहता हूं । कमान्ड एरिया डेवलपमेंट एथारिटी के बारे में कहा गया है और नेता विरोधी दल ने भी कहा है । कमान्ड एरिया डेवलपमेंट एथारिटी बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिये है । हम चाहते हैं कि जो रामगंगा और शारदा कमान्ड एरिया हैं, उनको सुदृढ़ बनायें और सारा विकास कार्य उनके अन्तर्गत लागू हो । इस पर यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हमारा एक स्पेशल कम्पोनेंट योजना होनी चाहिये । इस चीज को देखना चाहिये कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका कितना अंश का लाभ हरिजनों और कमजोर वर्गों को होता है । जितना लाभ पहुंच सकता है, उतनी

अधिक केन्द्रीय मदद मिलेगी । हमने पिछले साल की योजना का विश्लेषण किया । 934 में से 139 करोड़ का लाभ केन्द्र आयोग ने स्वीकार किया कि उनको पहुंचा है। उसकी वजह से 20/25 करोड़ रुपया मिला । लेकिन समस्याओं को देखते हुये यह कम है । उसमें यह करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान को आईडेंटीफाई करें। उसको उस तरह से देखें ताकि स्पेशल कम्पोनेंट के साथ हमको अधिक पैसा मिले । इसमें हमारी मुख्य नीति है कि जो सबसे नीचे का तबका है, उसके परिवार तक हमको पहुंचना है । हमारा भारतीय समाज परिवारों पर आधारित है। यह कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, फेमिली बेस्ड है । इसलिये जो हमारी सघन विकास योजनायें एक/तिहाई ब्लाक में चलाते थे, अब 875 ब्लाक में होगी और हर ब्लाक के लिये 5·00 लाख का प्राविधान किया गया है। उसमें हर साल चाहेंगे कि 600 परिवारों को रोजगार के नये साधन प्रदान करें ताकि उनकी हालत सुधरे। इस तरह से साल में हर विकास खंड में 3000 परिवारों की दशा को सुधारना चाहेंगे । उसमें स्पष्ट रूप से हरिजन और कमजोर वर्ग का महत्व होगा क्योंकि ये ही लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं ।

मान्यवर, इस बजट प्रस्ताव में शामिल कुछ मुख्य योजनाओं की ओर ध्यान इस माननीय सदन का आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, एक 10 करोड़ की व्यवस्था हमने ग्रामीण योजनाओं के आधार पर की है । यह पृष्ठ 46 पर पायेंगे । कृषि उत्पादन, दैवी आपदाओं, बाढ़, सूखा पर काबू करने के लिये फसल बीमा पायलट प्रोजेक्ट चलाने का निर्णय किया है । इस बात की घोषणा बजट में आ गयी है ।

कानपुर के माननीय सदस्य, जो भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं, उनको विशेषतौर से सूचना देना चाहता हूं कि कानपुर और उन्नाव जिले के लिये भयंकर खतरा गंगा नदी के कटाव से हो गया था । बहुत दिनों गंगा बैराज के बारे में, मान्यवर, सुनते आये थे । लेकिन ठोस कदम नहीं उठाये गये । हमने, मान्यवर, एक करोड़ की प्रतीक व्यवस्था इसके लिये की है ताकि इस काम को किया जा सके, उसमें रिवर प्लानिंग के काम को किया जा सके और गंगा नदी के कटाव से कानपुर और उन्नाव को बचाया जा सके और जलपूर्ति की व्यवस्था को बढ़ाया जा सके । उसके लिये एक करोड़ का प्राविधान किया है और अब गंगा बैराज की योजना को साकार होते देख सकेंगे ।

इसके अलावा, मान्यवर, कानपुर शहर एक औद्योगिक शहर है । इसके लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है आवास योजना की, जिसमें मलिन बस्तियों का सुधार, निर्धन-मध्यम वर्गीय लोगों के लिये आवास व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था आदि शामिल है । उसके लिये 40 करोड़ की योजना उसमें जी० आई० सी० और एल० आई० सी० और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर करेंगे और इसको शामिल किया है ।

मान्यवर, किसानों के लिये एक समस्या थी--आलू का उत्पादन देश का आधा होता है इस प्रदेश में लेकिन शीतगृहों की क्षमता कम है । जब कि पैदावार 48 लाख टन होती है । इसलिये विश्व बैंक की मदद से 4000 मैट्रिक टन के लिये 30 शीतगृहों की स्थापना के लिये 4·63 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था इसमें की है और, मान्यवर, हम चाहेंगे कि 5 सालों में 150 शीतगृहों को बना दें ।

मान्यवर, हमारे डिस्ट्रिक्ट उद्योगों में हथकर्घे को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । हमने तय किया है कि 5 नयी सहकारी मिलें इस साल हों और हमने

[श्री ब्रह्म दत्त—]

प्रारम्भिक व्यय हेतु 1·84 लाख की व्यवस्था कर दी है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत भी व्यवस्था कर रहे हैं और 5 और कताई मिलें लगायेंगे और इसके लिये बजट में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की 8 कताई मिलों में हम विस्तार करने जा रहे हैं, इसमें एक लाख तकुओं का विस्तार किया जायगा। इसके लिये साढ़े चार करोड़ रुपये की शेयर मनी की व्यवस्था कर दी है। हम हथकरघा की तकनीक में सुधार लाने के लिये सोच रहे हैं। इसके लिये एक हथकरघा तकनीकी संस्थान स्थापित कर रहे हैं इसके लिये 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है। हथकरघा सघन विकास की दो परियोजनाओं के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

चीनी उद्योग हमारा बहुत बड़ा उद्योग है। लगभग 15 से 18 लाख टन चीनी बनती है। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये 10 करोड़ 48 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसका उपयोग 2 सहकारी चीनी मिलों (अनूपशहर तथा विलासपुर) के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये किया जायगा एवं ....

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है। तो जो कृषि योग्य भूमि का कटाव नदियों से हो रहा है उसका कहीं प्राविधान नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको किसी प्रकार के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है।

मान्यवर, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत चार चीनी मिलों (मोहिद्दीनपुर, अमरोहा, किच्छा तथा चांदपुर) का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जायगा।

श्री मोहन सिंह—

खड्डा का क्या हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त—

खड्डा खड्डे में नहीं गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे खुशी है कि खड्डा खड्डे में नहीं गयी है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के माध्यम से मझौला (पील.भ.त) में एक मिनी पेपर प्लांट की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बड़े कार्यों तथा राज्य विद्युत परिषद् की जल विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के लिये एक निगम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हमने महसूस किया

है कि जो हमारी सिंचाई योजनायें हैं. पहाड़ पर हमें सुरंग लगानी होती है तो एक मीटर प्रति दिन खुदाई हो पाती है लेकिन जो आधुनिक मशीनें हैं उनके जरिये 15–20–25 मीटर तक हम खुदाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक निगम की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

मान्यवर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि जैसे हमारा देश कई हिस्सों में बंटा है हम कोशिश करते हैं कि अन्तर्राज्जीय विषमता कम हो उसी तरह से प्रदेश में अन्तक्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिय 15 करोड़ रुपया रखा गया है।

मान्यवर, राजकीय अस्पतालों में जो मौजूदा औषधि और आहार की व्यवस्था है उसमें अगले वर्ष में साढ़े सात करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था करके उसको तीन गुना किया जाना प्रस्तावित है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हम पहुंचा सके। जो हमारे सार्वजनिक भवन हैं उनके रख–रखाव के लिये करीब 6 करोड़ रुपये तथा सड़कों के लिये 10 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार से 20 लाख रुपये का प्राविधान प्राथमिक विद्यालयों के लिये किया है।

अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लांट के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पर्वतीय विकास के लिये अगले साल 100 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, हमारे यहां के लिये हिन्डन योजना 5 करोड़ रुपये की मंजूर हुई थी अब जानकारी हुई है कि उसको बन्द कर दिया है इस पर 11–12 लाख खर्च हो चुका है। इसके बारे में बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

एक विशेष योजना के बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर करना चाहता हूं कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि पिछले सरकार के किसी काम को बन्द किया जाय जो अच्छे कार्य हैं वह बन्द करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। क्योंकि हमारी सरकार के अच्छे काम पिछली सरकार ने बन्द किये और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। हिन्डन योजना एक अच्छी योजना है और एक कनर योजना है इसके बारे में माननीय सदस्यों को बता दूं। हम विचार कर रहे हैं कि कनर नदी पर बांध बना कर उसके पानी को रिहन्ड में लाये और जल स्तर ऊंचा करें।

श्री नरेन्द्र सिंह—

एक परियोजना मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों जनपदों के लिए बनाई गई थी एकीकृत विकास योजना में। वहां पर प्रोजेक्ट आफीसर भी तैनात हो गये थे यह प्लानिंग विभाग की योजना थी इसके लिये साढ़े 4 करोड़ रुपये 5 साल में स्वीकृत हुये थे इसको आपने समाप्त कर दिया।

श्री ब्रह्म दत्त—

कम से कम मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे मंत्रित्वकाल में ऐसी कोई योजना नहीं बन्द हुई। मैं इसको देख लूंगा मैं आपके आश्वस्त कर दूं कि जब आपको डिस्ट्रिक प्लान का डाकूमेन्टस मिलेगा पढ़ेंगे तो सब मिल जायेगा। हमारे आय के साधन का स्रोत बिक्री कर होता है। मान्यवर, बिक्री कर के

[श्री ब्रह्म दत्त--]

सम्बन्ध में व्यापारी आन्दोलन करते हैं आज सुबह मान्यवर, जब मैं घर से निकला तो 50-60 व्यापारी हमारे घर धरना पर थे। लेकिन इसको सुलझाने हेतु पुलिस बुलाने या लाठी चार्ज कराने के बजाय मैंने एक दूसरा तरीका ढूंढ़ लिया गरम-गरम जलेबी और चाय।

श्री उपाध्यक्ष--

धरना आपके घर में था या बाहर।

श्री ब्रह्मदत्त--

घर के अन्दर था।

(हंसी)

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि बिक्री कर के सरलीकरण हेतु एक चलिया कमेटी बनाई गई थी उसने सुझाव दिये हैं। उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, स्वायत्त शासन मन्त्री उसके सदस्य हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और उनमें से मैंने कुछ को माना हूं। जैसे कोई व्यापारी जो 10 हजार रुपया कर देता है या जिसकी बिक्री 2 लाख रुपये की है अब उसको बिक्री कर कार्यालय में नहीं जाना है। मैंने इसकी व्यवस्था क्षेत्र स्तर पर, राज्य स्तर पर बिक्री कर अधिकारियों और व्यापारियों की एक संयुक्त समिति बनाई है। उसमें आपस में एक दूसरे की बात समझने का मौका मिलेगा। और हम जो सुझाव होंगे उसे विचार करेंगे। मैं उनके सम्मेलन में भी गया कानपुर लेकिन अभी तक उनके कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, समझ कर कर रहे हैं। कल वह हमारे अधिकारियों के साथ बैठ कर गोष्ठी करेंगे विचार करेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।

राज्य कर्मचारियों के एक भाग ने एक दिन की हड़ताल की लेकिन हमने कोई दमनात्मक काम नहीं किया, उनके साथ हमने वार्ता की उनसे कहा की नीति हम बनाते हैं उनको कार्यान्वित करने का काम आपका है। उनकी एक रैली में मुख्य मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री भी गये। कल हम भी शामिल हुए, उनके साथ विचार किया, उनकी दिक्कतों को समझ कर हम काम करना चाहते हैं। विद्युत् परिषद् के लोगों ने हड़ताल पर जाने की नोटिस दी, कुछ लोगों ने पूरी हड़ताल की नोटिस दी, कुछ लोगों ने टोकन हड़ताल की नोटिस दी लेकिन हमने यह व्यवस्था की कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, लाठी चार्ज नहीं करेंगे। जो उनकी कठिनाइयां हैं उनके दृष्टिकोण हैं, उनको समझ कर हम कोई काम करें इसी की वजह से पिछले तीन दिन में कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हुई। चाहे वह हमारा घेराव करते रहे, आन्दोलन करते रहे, हमने बहुत सहनशीलता से काम लिया। इस तरह से हम चाहते हैं कि अपने लोगों की परेशानियों को समझ कर हम काम करें।

संसदीय लोकतन्त्र में सभी पक्षों की जिम्मेदारी होती है। जहां तक प्रदेश के आर्थिक विकास का सवाल है उसमें कंधे से कंधा मिला कर काम करना पड़ेगा इस प्रदेश से 11 करोड़ निवासियों के सहयोग की अपेक्षा है, इस माननीय सदन के पूरी 425 सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है और उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि हमारी। लोकतन्त्र को खतरा तब पैदा होता है जब विपक्ष इस जिम्मेदारी को निभाने से मना करे या समझ ले कि साधारण तरीकों से चीजें नहीं आ सकती और पूरा सहयोग करे या प्रगति में बाधा डाले। जब कभी

उत्पादन में व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती हैं तभी ठीक नहीं होता, मैं आशा करता हूं कि अपनी परम्पराओं के अनुरूप, भारतीय परम्पराओं के अनुरूप विपक्ष के माननीय सदस्य विपक्ष की गरिमा को बढ़ायेंगे । विपक्ष जब विपक्ष में बैठता है तो उसके मन में एक संकल्प होता है कि यदि सरकार फेल होती है तो वह विकल्प बनेगा । जो लोग गत 1979 में चुने गये थे, वह सफल नहीं हुए और हथियार डाल कर चले गये । हमने कभी नहीं कहा कि आप छोड़ दीजिये लेकिन वह अपने अन्तर्विरोधों के कारण या किसी कारण नहीं चल सके और तीन साल के बाद ही...

श्री मोहन सिंह--

मुझे इस बात पर आपत्ति है। प्रदेश की सरकार को इन्होंने संविधान के विपरीत भंग किया था और सारे विपरीत तथ्य कह रहे हैं । अपनी मालुमात दुरुस्त कर लें । पोलीटिकल स्पीच देंगे तो पोलीटिकल उत्तर मिलेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त--

लेकिन मान्यवर, अपने आन्तरिक विरोध के कारण वह टूटे क्योंकि लोक सभा को हम भंग नहीं कर सकते, लोक सभा टूटी, सत्तारूढ़ पार्टी टूटी तो यह गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी इतना तो करेक्ट कर लें कि 1980-85 नहीं बल्कि 1977 से 1980 ।

श्री ब्रह्म दत्त--

ठीक है मैं संशोधन किये लेता हूं, 1977 से 1980 ।

मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य हम प्रतिपक्ष के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हैं और जैसा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि हम कठिन परिस्थितियों में प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जायेंगे और जो लक्ष्य बनाया है, जो वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना और इस बजट में जो दिखाई दे रहा है, उसमें हम सभी वर्गों के सहयोग की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इस मामले में कोई पक्ष भी पीछे नहीं रहेगा । मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय सदस्यों का, आपका कि मुझे अवसर मिला और जहां तक बजट के अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित मदों का सवाल है विचार करने का तो मौका मिलेगा और बहुमूल्य सुझाव होंगे और संबंधित मंत्री जो उनसे लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बजट पर जनरल डिस्कशन समाप्त हुआ ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में आज कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से एक सूचना श्री मोहन सिंह एवं श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ की स्वीकृत हुई है जो दिनांक 16/17 फरवरी, 1981 की रात्रि में मुजफ्फरनगर के कांधला थाने में कतिपय लोगों की गिरफ्तारी से जनता द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से दो लोगों की मृत्यु तथा श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा को

[श्री उपाध्यक्ष—]

गिरफ्तारी से उत्पन्न आतंक के सम्बन्ध में है। इसको स्वीकृत किया गया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री बतायें कि कब वक्तव्य रख दिया जाय ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)—

25 तारीख रख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

25 तारीख को वक्तव्य आयेगा।

इलाहाबाद से प्रकाशित "भारत" दैनिक के बन्द हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

मेसर्स न्यूज पेपर्स लि0 द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र "भारत" इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाता रहा है। मेसर्स न्यूज-पेपर्स लि0, इलाहाबाद कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसकी अधिकृत पूंजी 15 लाख रुपये है और प्रदत्त पूंजी 11.28 लाख रुपये है। जनवरी, 1981 में इसमें कुल 145 कर्मचारी नियोजित थे। मेसर्स न्यूज-पेपर्स लि0, द्वारा "भारत" दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के अतिरिक्त जाब प्रिन्टिग का कार्य तथा "भारतीय भन्डार" के द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य किया जाता रहा है।

प्रबन्धकों ने शासन को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ0 एफ0 के अधीन दी गई नोटिस दिनांक 17-1-81 द्वारा यह सूचित किया कि वे हिन्दी दैनिक "भारत" और "भारतीय भंडार" नामक अपने प्रकाशन विभाग को 19 मार्च, 1981 से बन्द कर देंगे, जिसके फलस्वरूप 84 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हो जायेंगी। उन्होंने इसी नोटिस में यह भी सूचित किया कि 18 जनवरी, 1981 के पश्चात् दैनिक भारत का कोई भी संस्करण प्रकाशित नहीं होगा तथा प्रभावित कर्मचारियों को उस सम्बन्ध में दो महीने की मजदूरी नियमानुसार भुगतान की जा रही है, जिसमें एक महीने की नोटिस के बदले में दिया गया एक महीने का वेतन सम्मिलित है। उक्त बन्दी के कारण उन्होंने यें बताये कि पिछले कई वर्षों से निरन्तर घाटे की स्थिति के कारण दैनिक "भारत" तथा प्रकाशन विभाग को चलाना असम्भव हो गया है तथा संकलित हानि के कारण अनिवार्य वैधिक दायित्वों का निर्वहन भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही पुराने स्थापित तथा नये दैनिक समाचार पत्रों के साथ प्रतियोगिता भी बहुत बढ़ गई है और पालेकर न्यायाधिकरणों की संस्तुतियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले वित्तीय भार को वहन करने में वे सक्षम नहीं है। "भारतीय भंडार" के बन्द करने के सम्बन्ध में उन्होंने सूचित किया कि प्रकाशित पुस्तकों का अधिकृत स्टाक बहुत बढ़ गया है। सेवायोजकों के उपर्युक्त नोटिस के फलस्वरूप "भारत" का प्रकाशन 18 जनवरी, 1981 से बन्द कर दिया गया है और इस बन्दी से प्रभावित 84 श्रमिकों को उनका अर्जित वेतन एवं उपार्जित अवकाश का वेतन भुगतान कर दिया गया है। सेवायोजकों ने बन्दी से प्रभावित कर्मचारियों को 3 मास के वेतन से अनधिक की क्षतिपूर्ति दिये जाने की संगणना की है, क्योंकि उनके अनुसार उक्त बन्दी उन्हें अपने नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों में करनी पड़ी है।

उक्त बन्दी से प्रभावित 84 कर्मचारियों में से 4 कर्मचारियों को सेवायोजकों ने पुनः जाब प्रिन्टिग के कार्य पर नियोजित कर लिया है। शेष 80 कर्मचारियों

को सेवामुक्त कर दिया है, जिनमें से 12 श्रमजीवी पत्रकार तथा 63 गैर पत्रकार कर्मचारी हैं। इनमें से 35 कर्मचारियों ने बन्दी की क्षतिपूर्ति तथा ग्रेचुटी का भुगतान प्राप्त कर लिया है, परन्तु शेष 25 कर्मचारियों ने यह भुगतान अभी नहीं लिया है।

मेसर्स न्यूज-पेपर्स लि0, में जाब प्रिन्टिंग का कार्य अभी भी किया जा रहा है जिसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या वर्तमान में 65 है।

दैनिक समाचार-पत्र "भारत" की बन्दी और उसके फलस्वरूप कार्यमुक्त कर्मचारियों के प्रश्न पर उभय पक्षों के मध्य समझौता वार्ता दिनांक 29 जनवरी, 2 फरवरी एवं 6 फरवरी, 1981 को विधान भवन स्थित मेरे कक्ष में कराई गई। सेवायोजक पक्ष निरन्तर होने वाली हानि के कारण दैनिक समाचार पत्र "भारत" को चलाने के लिए तैयार नहीं हुये। अन्ततः दिनांक 6 फरवरी, 1981 को हुयी वार्ता में पक्षों म यह सहमति हुई कि दैनिक समाचार-पत्र "भारत" की बन्दी के पूरे मामले को प्रो0राजारामशास्त्री की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल को जांच हेतु दे दिया जाय और अध्ययन दल से यह निवेदन किया जाय कि वह अपनी आख्या एवं प्रस्ताव शासन को शीघ्रता से प्रस्तुत कर दे तदनुसार शासन द्वारा दैनिक समाचार-पत्र "भारत" की बन्दी का मामला प्रोफेसर राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल जो प्रदेश के दैनिक समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के श्रमजीवी पत्रकारों की कार्यदशाओं के अध्ययन के संबंध में गठित किया गया था, को संदर्भित कर दिया गया है।

* श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह "भारत" एक लीडर अखबार था। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का लीडर समाचार पत्र था। सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लीडर की बिल्डिंग को अधिकृत कराया तो श्री मोती लाल नेहरु ने अपने को इस अखबार का नेचुरल फादर घोषित किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय जितने भी लीडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य कृपालनी, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जितने भी नेता उस समय के थे उन लोगों ने मिल कर इस समाचार-पत्र को स्थापित किया। 1945 में जब यह समाचार-पत्र को चलाने की स्थिति में नहीं थे तो तब डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा ने जिनके डालमिया से अच्छे सम्बन्ध थे, बिड़ला की सहायता से इस अखबार को सुदृढ़ किया गया था। उन्होंने सबसे पहला कदम यह उठाया कि अखबार दैनिक रूप से हर जगह पहुंचे।

आज जब कि वस्तुस्थिति यह है कि हड़ताल में जहां के लोग दैनिक अखबार पढ़ते हैं और वहां अनेकों दैनिक अखबार स्थापित हो चुके हैं और उनका सरकुलेशन भी काफी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां काफी संख्या में विभिन्न दैनिक अखबार स्थापित हैं, वहां पर जहां अखबारों का सरकुलेशन, उसकी खपत इतनी है तो इस अखबार को जो वह राष्ट्रीय आन्दोलन का मन्दिर है उस मन्दिर को ही सरकार ढहा रही है। जैसे उसने मारुति लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है उसी तरह से इस राष्ट्रीय मन्दिर की रक्षा के लिये क्या सरकार मारुति लि0 की तरह इसका अधिग्रहण करके नियमानुसार नये कानून के मुताबिक चलाने का प्रयास करेगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

मोहन सिंह जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं। लीडर अखबार प्रदेश के ही नहीं देश के महापुरुषों से सम्बन्धित रहा है और राष्ट्रीय भावनायें उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए सरकार ने जो भी प्रयास संभव थे किये। 18 जनवरी को समाचार प्रकाशित हुआ कि 19 जनवरी से अखबार बन्द हो जायगा। पूरे बन्दी की सूचना पाते ही मालिकों और कर्मचारियों का पक्ष जानने हेतु उनको बुलाने के लिए कुछ नोटिस का समय देना ही था। इसलिए उन्हें विधान सभा के अपने कक्ष में मैंने 29 जनवरी को उन्हें बुलाया था। लेकिन कुछ कारणों से अधिकारी उस दिन नहीं आ पाये क्योंकि उनको कलकत्ता से आना था। लिहाजा 2 फरवरी और 6 फरवरी को भी हम लोग बैठे। 6 तारीख को यह सहमति दोनों पक्षों में हो गयी कि जैसे श्री मोहन सिंह ने जो प्रश्न उठाया है कि उनका क्लोजर वह बहानबाजी तो नहीं है, उचित है या अनुचित है इन सब चीजों को देखने का कार्य आचार्य राजाराम शास्त्री अध्ययन मंडल को सौंपा जाय। उस अध्ययन मंडल प्रदेश में जो भी विशेषज्ञ उपलब्ध थे वे सभी उसके सदस्य हैं। काशी विद्यापीठ के उप कुलपति श्री राजाराम, एस0 पी0 सिंह, अतिरिक्त श्रमायुक्त, अतिरिक्त निदेशक, सूचना विभाग, श्री ठाकुर प्रसाद सिंह और डा0 जे0 पी0 श्रीवास्तव सहायक श्रमायुक्त उसमें सम्मिलित हैं। यह अध्ययन मंडल उन सब चीजों को देखेगा जिनकी ओर श्री मोहन सिंह ने हमारा तथा सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री मोहन सिंह—

मालवीय जी ने इस समाचार पत्र को अपने चौथे बेटे की संज्ञा दी थी। 67 में उसे बन्द करके बिरला साहब ने उसमें 8 लाख की पूंजी लगाई थी और आपकी सूचना के मुताबिक उसकी पूंजी काफी बढ़ गयी है। लीडर अखबार को 67 में बन्द करके उसके बहुत से एसेट्स उन्होंने अपने निजी खाते में ट्रान्सफर कर लिए थे। आपने अध्ययन मंडल को जाँच के लिए यह मामला दे दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार लीडर प्रेस की जितनी जमीन है वह लीज पर है। मेरी सूचना है कि उसमें कोई फैक्टरी बनने वाली है। जब तक अध्ययन दल इसकी जांच करेगा तब तक इस बीच जो उसकी सम्पत्ति है क्या शासन उसके लिये यह गारंटी देने को तैयार है कि बिरला जी उसे हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे और उसे चोरी से गायब करने की कोशिश भी नहीं की जायेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

2 फरवरी को दोनों पक्षों में यह सहमति हुई कि कोई भी सामान वहां से जायगा तो इलाहाबाद के उप श्रमायुक्त की सहमति से ही जायगा। दोनों पक्षों कि उस संबंध में अपनी शिकायत उनके पास ले जाने का अधिकार मिला। मेरा अनुरोध यह है कि जांच दल को आप अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। जो भी उस सम्बन्ध के फैक्ट्स जिसके पास हों वह अध्ययन दल के सामने ले जायं। जांच खुली तौर पर हो रही है। जो भी उसके सामने पक्ष रखना चाहता हो, उसे वैसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्ययन मंडल है उस के सामने पहले से ही जो ऐतिहासिक दैनिक समाचार-पत्र है इन का

मामला है क्या यह जांच भी उस के साथ ला दी गई है या उससे अलग है। दूसरी बात जैसा मोहन सिंह जी ने कहा अपनी जानकारी के अनुसार मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उसके मालिकों ने प्रार्थना-पत्र शासन के पास दिया है जिसमें उन्होंने वहां की जमीन किसी और काम के लिए लेने के लिए मांग की है और उस पर शायद सरकार ने अनुमति दे दी है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

अभी तक हमारे सामने ऐसी बात नहीं आई और मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य भी प्रेस में आ गया कि कहीं पर हमारे श्रमिक या कर्मचारियों के हित में लीज को समाप्त करना आवश्यक होगा सरकार ऐसा काम करने में न चूकेगी जिसमें श्रमिकों के हित का साधन होता है। यह बात सही है जैसा मैंने सूचित किया कि 16 जनवरी को त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था पत्रकारों और गैर पत्रकारों का। उसमें आपसी सहमति थी कि उन के रहने की दशा की भी कुछ जांच हो जाय। अध्ययन मंडल पहले इस काम के साथ-साथ दूसरा काम करेगा। भारत वाला काम दूसरा काम है। यह सब कर्मचारी और इम्प्लायर्स की दोनों की सहमति से हो रहा है। उसकी सफलता के लिये आपका आशीर्वाद चाहिये। जो भी फैक्ट्स माननीय सदस्यों के पास हो वे सब उस अध्ययन मंडल के सामने रख दें ताकि वह उनसे आवश्यक मार्ग दर्शन ग्रहण कर सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आशय का भी सुझाव वहां के जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी तरफ से आया है कि आप उनकी मदद करें ताकि वह सर्विस में रह जायं ? यदि हां, तो इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, इस अध्ययन मंडल को यह भी प्रस्ताव करना है कि अगर भारत के चलाने का कोई विकल्प निकलता हो तो उसकी योजना क्या हो ?

1981-82 के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

[समय 5-15 अपराह्न]

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि "31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में, '1981-82 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 19 फरवरी, 1981 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,14,46,65,000 रुपये से अधिक न हो।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे आपत्ति है...।

श्री मोहन सिंह--

हम सब को आपत्ति है...।

श्री उपाध्यक्ष--

लेखानुदान में चर्चा की परम्परा तो नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वैधानिक आपत्ति है...।

श्री मोहन सिंह--

चर्चा हो सकती है, यदि आपत्ति हो तो। इन्होंने अपनी पीठ ठोकी कि 1961 के बाद पहली बार यह समय से बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर एक महीने का लेखानुदान पेश कर इस प्रदेश के प्रशासन के साथ, हमारी अर्थ-व्यवस्था के साथ, खिलवाड़ किया है। मेरी घोर आपत्ति है। केवल रैली करने के नाम पर एक सप्ताह इस विधान सभा को छुट्टी करके, मान्यवर, इन्होंने इस बजट को टाला है और लेखानुदान ले रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम जो जुमला आपने अपने बजट भाषण में रखा है उसको काट दें बाकी ठीक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर...।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा की परम्परा नहीं है। जहां तक समय की कटौती का प्रस्ताव है वह तो (कार्य मंत्रणा समिति ने...)।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के बोलने पर।)

गुप्त जी मैं बोल रहा हूं आप बिराजें। आप एक मिनट बैठें तो। जहां तक आप ने समय का प्रश्न रखा समय तो कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया था और कार्य मंत्रणा समिति में अगर हमारी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो रियासत साहब भी थे और अन्य लोग भी थे और उस समय यह बात ध्यान में रही होगी।

(व्यवधान)

आप मेरी बात पूरी होने दीजिये। अब प्रश्न यह आता है कि इस पर चर्चा हो या न हो। चर्चा की परम्परा नहीं है। इसलिये उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यह बात सही है कि इस पर कार्य मंत्रणा समिति न विचार किया।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति का फंक्शन यह है कि सदन में कार्यक्रम के समय का निर्धारण करना । उसने अपना दायित्व कर दिया । उसके बाद सदन का काम है कि जो प्रश्न हमारे सामने पेश होने जा रहा है उस पर हम वैधानिक आपत्ति कर सकते हैं । वह हमारा अधिकार सुरक्षित है और उसी के तहत में अपनी आपत्ति को प्रस्तुत करना चाहता हूं । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मुझे आशा है कि आप मुझे यह आपत्ति उठाने का अवसर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में यह प्रश्न उठाया गया था । किसी खास वजह से यह सदन 7 दिन बन्द रहा और अब वह एक महीने का लेखानुदान ले रहे हैं । उसी पर आपको आपत्ति है...।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप मेरी आपत्ति सुन लीजिये ।

श्री रियासत हुसैन—

आप एक मिनट हमको समय दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी आपत्ति सुनने का अवसर प्रदान किया । सरकार ने अभी तक कभी ऐसा नहीं एहसास किया है कि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ कि किन परिस्थितियों में लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया जायेगा । मैं उसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदन का जो कार्यक्रम हमें वितरित किया गया है उसके अनुसार 25 मार्च तक यह बजट पूरा हो जायेगा और उसके लिये समय निर्धारित किया गया है । उसमें कोई शंका भी नहीं है कि उसको यह सदन पूरा कर पायेगा या नहीं लेकिन फिर भी अकस्मात यह शंका माननीय मन्त्री जी ने पेश कर दी है कि उस निश्चित समय तक बजट पास नहीं हो सकेगा, कौन सा ऐसा संकट आने वाला है, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति तो आने वाली नहीं है, या फिर सदन को स्थगित करने की आवश्यकता पड़ रही हो, या कोई गम्भीर बात होने वाली हो, या पार्टी का कोई आपसी झगड़ा खड़ा हो गया हो, या कोई आर्थिक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई हो कि एक महीने का वोट आन एकाउन्ट ले लिया जाय । कौन सी ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जब कि वित्त मन्त्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश भी वे तत्काल जारी करने वाले हैं और केवल काम चलाऊ काम रह जायेगा । इसलिये प्रदेश के विकास और आर्थिक समृद्धि के हित में, प्रदेश के नियोजन के हित में यह लेखानुदान पेश नहीं होना चाहिए और निर्धारित समय में ही बजट पास होना चाहिए । मान्यवर, प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रदेश के विकास में हमारा भी योगदान है और इसकी अपेक्षा माननीय वित्त मंत्री जी ने भी की है । वैसे आपके पास संख्या बल है, आप सक्षम हैं, लेकिन हम सुझाव रख सकते हैं और आपने जो सहयोग के योगदान की बात कही है, उसके लिये तैयार हैं । किसी भी प्रदेश के

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

आर्थिक विकास की कीमत पर नियमों को तोड़कर लेखानुदान नहीं रखा जाना चाहिए। मान्यवर, यही मेरी आपत्ति है और इस पर आप हमें चर्चा करने का अवसर दें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट के पांच दिन के जनरल डिस्कशन में सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे वित्त मन्त्री और माननीय सदस्यों ने यही कही कि हम सन् 1966 के बाद बजट समय से पेश कर रहे हैं। समय तो श्रीमन्, होता है 31 मार्च तक लेकिन उसके बीच में ही एकदम वोट-आन-एकाउन्ट आ गया और उसकी वजह नहीं बतायी कि क्या कारण है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च को बजट पास हो रहा है। मैं अगर नालायकी शब्द इस्तेमाल करूं तो ठीक नहीं है अपनी नासमझी की वजह से इन्होंने ऐसा मालूम पड़ता है 10 दिन का गैप बीच में दे दिया। अगर ऐसा ही था तो एक हफ्ता पहले बुला लिए होते ताकि रैली की जा सके। आप जो समय से बजट पास करने का रिकार्ड तोड़ रहे थे और कह रहे थे कि 66 के बाद यह बजट पेश कर रहे हैं तो उसको भी आपने तोड़ दिया है और वोट आन एकाउन्ट ले आये।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, समय से बजट पेश करके और समय से पास कराने का प्रयास करने की वाहवाही सरकार लूट रही थी, हमने भी इसकी सराहना की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अब अचानक लेखानुदान सरकार ले आई और कारण कोई नहीं बताए।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं इस लेखानुदान की प्रथा को सदन के नियमों में परिवर्तन करके स्थायी बना दिया जाय और हर साल 4 महीने का लेखानुदान ले लें। बजट जनवरी में पेश कर दिया करें और हमारे सदन की जो प्राक्कलन समिति है जो इस्टीमेंट्स का परीक्षण करती है वह कब करती है जब इस्टीमेन्ट्स यहां से पास हो जाते हैं और खर्च हो चुकता है फिर हम दो साल संस्तुति करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस प्रकार 6 महीने का पीरियड मिल जायेगा। अगर हम 4 महीने का लेखानुदान ले लें और बजट जनवरी में यहां पेश हो जाय फिर उसको प्राक्कलन समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो हर विभाग की जांच करके रिपोर्ट दे और उसे 4 महीने के अंदर पेश कर दे। तब यहां पर डिसकशन हो और 26 दिन की पाबंदी भी हट जाय उसके बदले में 40, 45 दिन का समय मिल जाय ताकि अभी तक जो बिना डिसकशन के बहुत से विभाग रह जाते हैं वह भी डिसकस हो जाय। तो यह मेरा सुझाव है। इससे हमारे इस्टीमेट्स कमेटी की और सदन की पकड़ विभागों की ज्यादा हो सकेगी। इससे प्रशासन में एफीसेंसी आयेगी और आमदनी के स्रोत कैसे बढ़ाये जा सकते हैं और खर्च कम कैसे किए जा सकते हैं, यह सब बातें आ जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपके सुझाव हैं या आपत्ति है ?

श्री भीखा लाल--

सुझाव है और आपत्ति कारण न बताने की है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

पहली आपत्ति तो मेरी यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की बात कही गयी, कार्यमंत्रणा समिति में उधर के लोग जो थे वह ज्यादा तादाद में थे और फिर कार्यमंत्रणा समिति ने 25 तारीख को बजट पास करने का फैसला किया है उस पर हमें अविश्वास नहीं है । जो फैसला उसने किया है उसे हम मानने के लिए तयार हैं और फिर संविधान के अनुच्छेद 206 में दिया है कि अपरिहार्य स्थितियों में ही लेखानुदान ले सकते हैं । तो अपरिहार्य परिस्थितियां भी माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं बताई हैं जिनमें वह इसे पेश कर रहे हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लेखानुदान जो लाया जा रहा है वह हर चीज का प्रबन्ध करना चाहती है । 25 मार्च को तो बजट पास होगा यह निश्चित है उसके बाद विधान परिषद् में जायेगा और उनका अधिकार है कि कुछ दिन तक वह उसमें विचार करें....।

श्री उपाध्यक्ष--

14 दिन तक रोकने का अधिकार है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

यह कटु अनुभव पिछली सरकार उठा चुकी है मैं उसका भोगी नहीं बनना चाहता हूं इसीलिए यह व्यवस्था की गई है सरकार को दूरअंदेशी तो करनी पड़ेगी । यह जरूरी है कि फूलप्रूफ व्यवस्था की जाय । मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा प्रयास किया जायेगा कि 31 मार्च तक बजट पास हो जाय । माननीय भीखालाल जी ने जो सुझाव दिए हैं वह तो अगले वर्ष के लिए हैं । उस पर अगले वर्ष विचार करने की बात है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय वित्त मंत्री जी विधान परिषद् में सदन के नेता हैं यदि उनको अपने सदन में विश्वास नहीं है तो उनको वहां से हट जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपकी आपत्तियों को सुना और माननीय वित्त मंत्री को भी सुना और उसके साथ-साथ यह भी देखा गया कि क्या यह सक्षम है कि लेखानुदान को पास कर सकते हैं या नहीं । जब भारत के संविधान को देखता हूं तो उसके अनुच्छेद 206 में दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं और संविधान हमको यह अधिकार देता है इसलिए लेखानुदान पारित हो सकता है ।

प्रश्न यह है कि "31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में, '1981-82 में 'उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 19 फरवरी, 1981 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,14,46,36,000 रुपये से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसकी प्रतियां वितरित की जायं ।

(सदस्यों को प्रतियां वितरित होने के उपरांत)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981

1 अप्रैल, 1981 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणतन्त्र के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1981 कहलायेगा ।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकान के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1981 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किए जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 2,60,74,27,000 रु0 (केवल दो अरब, साठ करोड़, चौहत्तर लाख, सत्ताइस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिए गए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
1	राज्य विधान मंडल	20,26	30	20,56
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	1,48	1,48
3	मंत्रि-परिषद्	5,74	..	5,74
4	न्याय विभाग	88,15	17,00	1,05,15
5	निर्वाचन विभाग	12,64	..	12,64
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर)	69,75	3	69,78
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	3,86,98	3	3,87,01
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	14,70	1	14,71
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	3,88,67	1	3,88,68
10	आबकारी विभाग	14,77	1	14,78
11	परिवहन विभाग	1,38,03	1	1,38,04
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	3,23	..	3,23

*भारित विनियोग से सम्बंधित क्रम-संख्या।

1	2		3	
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	1,48,12	1	1,48,13
*14	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	3,17,80	3,17,80
*15	ब्याज का भुगतान	..	15,93,92	15,93,92
*16	लोक सेवा आयोग	..	5,51	5,51
17	सचिवालय	66,58	1	66,59
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	3,53	..	3,53
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	38,78	..	38,78
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	5,96	1	5,97
21	संस्थागत वित्त विभाग	1,05	1	1,06
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1,75	..	1,75
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1,14,04	1	1,14,05
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	25,70	1	25,71
25	गृह विभाग (पुलिस)	10,06,84	1	10,06,85
26	गृह विभाग (कारागार)	74,83	1	74,84
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	67,86	..	67,86
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	43,74	4	43,78
29	सतर्कता विभाग	9,20	..	9,20
30	नागरिक सुरक्षा विभाग	51,01	1	51,02
31	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	2,80,61	95	2,81,56
32	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	66,25	..	66,25
33	शिक्षा विभाग	77,97,49	1	27,97,50

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

1	2			3	
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	..	76,18	1	76,19
35	स्पोर्ट्स विभाग	..	10,04	..	10,04
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	..	5,91	1	5,92
37	विज्ञान और प्रौद्योग विभाग	..	6,11	..	6,11
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	..	6,56,20	1	6,56,21
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	..	1,82,89	..	1,82,89
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	..	2,24,94	1	2,24,95
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	29,20	64	29,84
42	आवास एवं नगर भूमि विभाग	..	30,55	..	30,55
43	सूचना विभाग	..	19,02	1	19,03
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	48,63	1	48,64
45	श्रम विभाग (सेवायोजन)	..	55,03	2	55,05
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	..	4,70,71	1	4,70 72
47	सहायता और पुनर्वासन विभाग	..	2,67	1	2,68
48	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	..	90,00	90,00	1,80,00
49	सहकारिता विभाग	..	45,33	1	45,34
50	पर्वतीय विकास विभाग	.	3,41,53	2	3,41,55
51	नियोजन विभाग	..	32,12	..	32,12
52	कृषि विभाग (कृषि)	..	2,76,52	4	2,76,56
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	..	42,30	22	42,52
54	गन्ना विकास विभाग	..	43,20	1	43,21
55	ग्राम्य विकास विभाग	..	3,40,28	1	3,40,29
56	पंचायती राज विभाग	..	68,36	2	68,38
57	क्षेत्रीय विकास विभाग	..	3,37,69	..	3,37,69
58	खाद्य तथा रसद विभाग	..	57,51	8	57,59

1	2			3	
59	पशुधन विभाग	..	99,04	1	99,05
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	..	7,74	1	7,75
61	मत्स्य विभाग	..	9,10	1	9,11
62	वन विभाग	..	1,86,83	1	1,86,84
63	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	..	23,58	2	23,60
64	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	..	93,47	78,57	1,72,04
65	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु (उद्योग)	..	1,73,51	..	1,73,51
66	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	..	6,93	1	6,94
67	विद्युत् विभाग	..	2,29	..	2,29
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)	..	10,66,06	1	10,66,07
69	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	..	4,21,86	1	4,21,87
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	..	4,37,89	1	4,37,90
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	..	11,37	2	11,39
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	..	2,37,86	1	2,37,87
73	वित्त विभाग	..	6,08,33	..	6,08,33
74	पर्यटन विभाग	..	4,05	..	4,05
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	..	1,33,10	8	1,33,18
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	..	71,21	27	71,48
77	आबकारी विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	25	..	25

1	2		3		
78	चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	27,91	..	27,91
79	स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	1	..	1
81	गृह विभाग (पुलिस)—पूंजीगत परिव्यय	..	77	..	77
82	गृह विभाग (कारागार)—पूंजीगत परिव्यय	..	3,39	..	3,39
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	..	56,05	4	56,09
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	90	4	94
85	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	5,00	..	5,00
86	सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	51,34	..	51,34
87	पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	3,26,75	..	3,26,75
88	उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	1,10,67	41	1,11,08
89	सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	4,16	..	4,16
90	पंचायती राज विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	7	..	7
91	संस्थागत वित्त विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	8	..	8
92	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—पूंजीगत परिव्यय	..	14,33	..	14,33
93	राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर)	..	1,00	..	1,00
94	कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	3,95,88	4	3,95,92
95	ग्राम्य विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	5,98	..	5,98
96	क्षेत्रीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	..	4,16	..	4,16

विधान सभा

1	2		3	
98	खाद्य तथा रसद विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	19,19,58	..	19,19,58
99	पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	1,35	..	1,35
100	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)—पूंजीगत परिव्यय ..	8	..	8
101	मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	8	..	8
102	वन विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	1,03	..	1,03
103	विद्युत् विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	83	..	83
104	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्यों) पर पूंजीगत परिव्यय ..	21,98,77	1	21,98,78
105	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) ..	3,29,58	..	3,29,58
106	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	5,47,61	4	5,47,65
107	परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय ..	1	..	1
*109	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण ..		25,19,64	25,19,64
110	शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम ..	5,75	..	5,75
111	प्राविधिक शिक्षा विभाग—(ऋण और अग्रिम ..	41	..	41
112	स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	88,58	..	88,58
113	आवास विभाग—ऋण और अग्रिम ..	92,04	..	92,04
114	राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम ..	12,07	..	12,07
115	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	2,06	..	2,06
116	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम ..	60,48	..	60,48

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

1	2		3	
117	पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम ..	54,90	..	54,90
118	वन विभाग--ऋण और अग्रिम ..	6	..	6
119	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग--ऋण और अग्रिम ..	12	..	12
120	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--ऋण और अग्रिम ..	33,33	..	33,33
121	सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम ..	6,42	..	6,42
122	कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम ..	20,83	..	20,83
123	क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम ..	37,50	..	37,50
125	विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम ..	19,64,50	..	19,64,50
127	वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम ..	26,58	..	26,58
	योग ..	2,14,46,65	46,27,62	2,60,74,27

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । सोमवार 23 फरवरी, 1981 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 34 मिनट पर सोमवार, 23 फरवरी, 1981 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

20 फरवरी, 1981

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1369 पर)

टु,

रिलीफ कमिश्नर यू० पी० लखनऊ ।

–डब्लू– मिश्नर फैजाबाद ।

फ्राम,

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर ।

नं० मेमो/सी० आर० ए–28/4

ए वेरी बिग फायर ब्रोक आउट इन विलेज किशनी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना आफ दिस डिस्ट्रिक्ट आन 26–4–80 व्हेअरइन 300 हाउसेज हैव बीन बर्न्ट कासिंग लास टु प्रापर्टी आफ अबाउट रुपीज टू करोरर्स (.) रिलीफ वर्क गोइंग आन (.) डी० एम०/एस० पी० विजिटेड द स्पट एण्ड सुपरवाइज्ड टु रिलीफ वर्क (.) रूपीज टू लाख अन्डर सबहेड जी० आर० एण्ड एच० बी० एस० एलाटेड फर्दर टु प्रोवाइड रिलीफ वर्क (.)

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,

सुल्तानपुर ।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

संख्या 784/तेरह–17(79–80)/मु० रा० ले० दिनांक 2–5–80

विषय:––ग्राम किशनी थाना बाजार सुकल तहसील मुसाफिखाना में हुई अग्निकांड दिनांक 26–4–80 ।

महोदय,

उपरोक्त अग्निकांड के सम्बन्ध में इस कार्यालय के रेडियोग्राम संख्या मेमो/सी० आर० ए०, दिनांक 28–4–80 एवं आपके रेडियोग्राम संख्या 2649/1–×–80, दिनांक 26–4–80 के संदर्भ म निवेदन है कि अग्निकांड का कारण आकस्मिक था तथा 26–4–80 को लगी अग्नि 27–4 80 को दोपहर तक फायर ब्रिगेड, सरकारी कर्मचारी एवं जनता की मदद से बुझाई जा सकी । दिनांक 27–4–80 को अन्य अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी स्थल पर रहे और सभी सम्भव राहत कार्य सुनिश्चित किया । यह अग्निकांड बहुत ही बड़ा एवं असाधारण था जिसमें कुल 227 घर एवं अहाते जलकर भस्म हो गये । इन मकानों की सभी सामग्री, कपड़ा, बर्तन, नकद एवं आभूषण आदि जल गए । इन घरों में से 40 पक्के थे शेष कच्चे । तीन औरतें जल गयी हैं जिनका उपचार चल

रहा है । पशुओं में 39 बकरियां एवं 566 मुर्गियां जल कर मर गयी हैं । किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई है । कुल अनुमानित क्षति 2,35,14,750 रु० की हुई है ।

2—स्थल पर तत्काल राहत कार्य आरम्भ कर दिया गया था । अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ दवाएं भी बांटी जा रही है । 100 कुन्तल चावल पहुंचा दिया गया है और निःशुल्क भण्डारा चलाया जा रहा है । 2 ड्रम मिट्टी का तेल भी बांटा जा चुका है । प्रभावित परिवारों को धूप एवं गर्म हवा से बचाने के लिये शामियाने लगाए जा रहे हैं जिसका व्यय विशेष सहायता की मद से वहन किया जावेगा । कन्ट्रोल दर पर कपड़ा एवं गल्ला भी उपलब्ध कराया जा रहा है । वन विभाग से छाजन सामग्री निःशुल्क एवं कम दाम पर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । दस आहतों को छोड़ कर 217 जले मकान के स्वामियों को 100.00 की दर से 21,700.00 बतौर अहेतुक सहायता का वितरण कर दिया गया है । सभी 217 प्रभावित मकान जिसमें 40 मकान पक्के थे व शेष 177 कच्चे मकान के स्वामियों को 400 प्रति पक्का मकान व 300 प्रति कच्चा मकान की दर से गृह निर्माण अनुदान का वितरण हो रहा है ।

3—घटनास्थल मुख्यालय से लगभग 115 किलो मीटर दूर है जिसमें 18 किलो मीटर बिल्कुल कच्चा रास्ता है जिस पर बड़ी मोटर गाड़ी का चलना सम्भव नहीं है इसीलिये दुर्घटना की सूचना मिलने पर अग्नि शमन की छोटी गाड़ी ही आग बुझाने के लिये पहुंच सकी थी तथा राहत सामग्री भी पहुंचाने में कठिनाई हो रही है ।

4—आजकल जनपद की इस तहसील में विशेष कर एवं अन्य तहसीलों में भी आग लगने की दुर्घटना लगभग प्रतिदिन हो रही है तथा एक दिन में कई-कई स्थानों पर भी इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है । फिर भी सभी स्थानों पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तुरन्त आग बुझाने एवं राहत कार्य चालू करने के निर्देश दिये गये हैं । जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी स्थल पर पहुंच कर राहत कार्य की देख-रेख कर रहे हैं ।

5—प्रभावित परिवार को हुई क्षति का विवरण संलग्न सूची में इच्छानुसार प्रेषित किया जा रहा है ।

6—इस अग्नि कांड में हुई क्षति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों को क्षति पूर्ति के रूप में राज्यपाल महोदय के सहायता कोष से विशेष सहायता का दिया जाना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । अतः अनुरोध है कि इस मद में 2,27,000 राज्यपाल महोदय के सहायता कोष से शीघ्र दिलाये जाने की कृपा की जाय ।

भवदीय,

ह०/अस्पष्ट,

जिलाधिकारी,

सुल्तानपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1375 पर)

संलग्नक—क

बकायेदार विद्युत् उपभोक्ताओं से विद्युत् देयों की वसूली हेतु उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही ।

बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया विद्युत् देयों की वसूली करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये—

क्रम संख्या	वर्ग	टिप्पणी
1	सरकारी विभाग	बकाया धनराशि प्रमुखतः राजकीय नलकूप एवं लिफ्ट परियोजनाओं के विरुद्ध है। इस धनराशि के भुगतान हेतु सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है । सिंचाई विभाग ने विद्युत् देयों के सत्वर भुगतान हेतु अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 द्वारा इस विषय में निर्देश दिये हैं जिसका प्रभाव शीघ्र ही विदित होगा । प्रदेश के हित में विद्युत् देय धनराशि के बकाया होने पर भी सिंचाई विभाग को दी जाने वाले विद्युत् आपूर्ति काटी नहीं जा रही है ।
2	अर्ध सरकारी विभाग एवं निकाय	बकाया धनराशि गाजीपुर नगरपालिका के विरुद्ध है जिसके भुगतान के लिए शासन एवं निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके थे परन्तु फिर भी नगरपालिका गाजीपुर द्वारा बकाया विद्युत् देयों का भुगतान नहीं किया गया । जन-साधारण की असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए गाजीपुर नगरपालिका की नगर प्रकाश एवं पेय जल हेतु दी जाने वाली विद्युत् आपूर्ति विच्छेदित नहीं की गई । प्रदेश के स्थानीय निकायों, जल संस्थान तथा जल निगम इत्यादि से बकाया विद्युत् देयों के भुगतान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 4-8-1980 को एक बैठक हुई और दिनांक 16-12-1980 को माननीय विद्युत् मंत्री जी की उपस्थिति में भी बैठक हुई । स्थानीय निकायों से विद्युत् देयों की वसूली का मामला विचाराधीन है ।
3	अन्य वर्ग के उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया धनराशि	इस वर्ग के उपभोक्ताओं से बकाया विद्युत् देय धनराशि वसूल करने के लिए परिषद् द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

1--किश्तों में वसूली--

बकायेदार उपभोक्ताओं से सत्वर विद्युत् देयों की वसूली हेतु उन्हें विद्युत् देयों की किश्तों में भुगतान करने के आदेश दिये गये। इस वर्ग की प्रमुख देय धनराशि लगभग 66 लाख रुपये निजी नलकूप/पम्प सेट उपभोक्ताओं के विरुद्ध 3/80 तक बकाया थी जिन्हें विविध कारणों जैसे सूखा, अतिवृष्टि इत्यादि के कारण विद्युत् देयों की किस्तों में भुगतान करने के आदेश दिए गए। वर्ष 1979-80 में निजी नलकूप/पम्प सेट उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि को 5 किश्तों में जमा करने के आदेश प्रदान किये गये तथा जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकायों की वसूली भूराजस्व की तरह कराने के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे वे भी बकायों की प्रथम किस्त वसूल करने के बाद वापस ले लिए गए। वर्ष 1980-81 में भी इन्हें किस्तों में भुगतान करने के आदेश दिये गये जिसके अन्तर्गत बकायादार उपभोक्ता 50 प्रतिशत प्रथम किश्त में तथा शेष तीन समान मासिक किस्तों में भुगतान कर सकते थे एवं जिन उपभोक्ताओं द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया उनके कनेक्शन काटने के भी आदेश दिए गये। तत्पश्चात बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के नलकूप, पम्प सेट के उपभोक्ताओं के कनेक्शन विद्युत् देय धनराशि बकाया होने पर भी 30 नवम्बर, 1980 तक न काटने के आदेश दिए गये। तदनन्तर माह जनवरी, 1981 में निजी नलकूप/पम्प सेट उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि किस्तों में जमा करने के पुनरीक्षित आदेश दिये गये जिसके अन्तर्गत इन उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम में तथा शेष बकाया धनराशि तीन समान मासिक किस्तों में वसूली करने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं जिनके कनेक्शन विद्युत् देयों के भुगतान न करने के कारण कटे पड़े थे उनके विषय में दिसम्बर, 1980 तक के लिए परिषद् द्वारा यह आदेश दिए गए थे कि यदि बकायेदार उपभोक्ता बकाया धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर देते हैं तो उनके कनेक्शन जोड़ दिए जांय तथा शेष धनराशि को अधिभार सहित तीन समान मासिक किस्तों में वसूल कर लिया जाय। यह भी आदेश दिए गए थे कि यदि वे समय पर भुगतान न करें तो उनके कनेक्शन काट दिये जायं।

2--विद्युत् विच्छेदन--

उपरोक्त आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए मार्च, 1980 तक 7391 बकायेदार उपभोक्ताओं में से 346 कनेक्शन यथासंभव काटे गये। गाजीपुर जनपद में बकायेदार उपभोक्ताओं की लाइनों को कटाने के लिए विद्युत् विच्छेदन दल कार्यरत है।

3--भूराजस्व के बकायों की तरह वसूली--

बकाया विद्युत् देय धनराशि को भूराजस्व के बकायों की तरह वसूल करने के लिए डयूज रिकवरी ऐक्ट के अनुसार धारा 3 तथा 5 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाते हैं। वर्ष 1979-80 में 3875 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 42.36 लाख रुपये के धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये एवं 16.16 लाख रुपये की वसूली हुई। मार्च, 1980 तक जिलाधिकारी, गाजीपुर के पास 5612 उपभोक्ताओं के विरुद्ध 27.92 लाख रुपये के धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र वसूली हेतु शेष थे। परिषद् स्तर पर इस विषय में राजस्व परिषद् के माध्यम से भी प्रयत्न किया जाता है और फलस्वरूप जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद् द्वारा समय-समय पर त्वरित वसूली से सम्बन्धित आदेश दिए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् ने अपने समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बकाया देय धनराशि की वसूली के लिए निरन्तर प्रयास किये जायं।

पी0 एस0 यू0 पी0--10 वि0 सभा--4-6-81--835--(पी0 डी0)।